मण्डी परिषद, उ0प्र0 द्वारा विभिन्न योंजनाओं एवं नीतियों हेतु निर्गत परिपत्र

राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उत्तर प्रदेश
किसान मण्डी भवन, गोमती नगर, लखनऊ।

अनुक्रमणिका

क्र0	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	चावल निर्यात प्रोत्साहन योजना, 2018	1–7
2.	उत्तर प्रदेश प्रसंस्कृत तिल निर्यात प्रोत्साहन योजना	8–12
3.	मेन्था निर्यात नीति	13–15
4.	आम निर्यात नीति	16–18
5.	लहसुन निर्यात नीति	19–21
6.	उत्तर प्रदेश आलू निर्यात प्रोत्साहन योजना, 2018	22–24
7.	आलू विपणन हेतु परिवहन भाड़ा अनुदान व प्रोत्साहन योजना	25–32
8.	काला नमक चावल योजना	33–38
9.	मूल्य सम्बर्धन प्रोत्साहन– प्लास्टिक क्रेट्स, प्लास्टिक शीट का वितरण	39–44
10.	पीपी0पी0माडल पर कृषि उत्पाद प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना	45–46
11.	गुड़/खाण्डसारी इकाईयों हेतु मण्डी शुल्क समाधान योजना	47–55
12.	कृषि उत्पादों के निर्यात एवं निर्यात उद्यमियों के प्रोत्साहन की कार्ययोजना	56–57
13.	उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति, 2019	58–81
14.	कृषक कल्याणकारी योजनाएँ	82–90
15.	व्यापारी एवं आढ़ति कल्याणकारी योजनाएँ	91–95
16.	लाइसेंस हेतु गारण्टर न मिलने की स्थिति में प्राविधान	96
17.	एकीकृत लाइसेंस की फीस	97
18.	एकीकृत लाइसेंस के संबंध में उपविधि 52 में अतिरिक्त प्रविधान	98
19.	रू0 पॉच करोड़ की लागत वाली नव–स्थापित प्रसंस्करण इकाईयों को मण्डी शुल्क से छूट	99–102
20.	पी0पी0पी0 माडल पर कृषि उत्पाद प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना	103–104

(23)

राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उत्तर प्रदेश

किसान मण्डी भवन, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ

पत्रांक–विप0–2/(चा0नि0प्रो0यो0–144)/2018- 838 दिनांक 11-01- 2018

समस्त सभापति/सचिव,
कृषि उत्पादन मण्डी समितियॉ
उत्तर प्रदेश।

विषयः "उत्तर प्रदेश चावल निर्यात प्रोत्साहन योजना (2017–2022)" लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–70/2017/640/अस्सी–2–2017–2(12)/2000 दिनांक 28 दिसम्बर, 2017 द्वारा प्रदेश के चावल निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए कार्यालय ज्ञाप संख्या–662/अस्सी–2–2017–2(12)/2000 दिनांक 15 दिसम्बर, 2017 द्वारा जारी की गयी नीति को तत्काल प्रभाव से अवक्रमित करते हुए "उत्तर प्रदेश चावल निर्यात प्रोत्साहन योजना (2017–2022)" तक लागू की गयी है।

अतः उक्त कार्यालय ज्ञाप संख्या–70/2017/640/अस्सी–2–2017–2(12)/2000 दिनांक 28 दिसम्बर, 2017 की छायाप्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक–यथोपरि।

(धीरज कुमार)
निदेशक

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।
प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– समस्त उपनिदेशक(प्रशा0/विप0), मण्डी परिषद, उ0प्र0।
2– समस्त अधिकारीगण मण्डी परिषद/मण्डी समितियॉ,उ0प्र0।
3– समस्त अधिकारीगण, मण्डी परिषद, मुख्यालय।
4– आदेश/गार्ड पत्रावली।

निदेशक

22

उत्तर प्रदेश शासन
कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार अनुभाग–2
संख्या–70/2017/640/अस्सी–2–2017–2(12)/2000
लखनऊः दिनांक 28 दिसम्बर, 2017

कार्यालय–ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने, प्रदेश में अवस्थापना सुविधाओं को विकसित करने, रोजगार के अतिरिक्त अवसर सुलभ कराने, देश व प्रदेश की कृषि आधारित अर्थ–व्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा विदेशी मुद्रा अर्जित करने के निमित्त प्रदेश से चावल के निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए कार्यालय–ज्ञाप संख्या–662/अस्सी–2–2017–2(12)/2000 दिनांक 15 दिसम्बर, 2017 द्वारा जारी की गयी नीति को तत्काल प्रभाव से अवकमित करते हुए "उत्तर प्रदेश चावल निर्यात प्रोत्साहन योजना (2017–2022)" लागू किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। उक्त प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत प्रदेश के चावल निर्यातकों को निम्नलिखित सुविधाएं अनुमन्य होगी :–

(1) इस योजना को "उत्तर प्रदेश चावल निर्यात प्रोत्साहन योजना (2017–22)" कहा जायेगा।

(2) यह योजना दिनांक 07.11.2017 से दिनांक 06.11.2022 तक लागू होगी।

(3) उक्त योजना के अन्तर्गत देय मण्डी शुल्क व विकास सेस की छूट के बराबर की धनराशि की बैंक गारन्टी निर्यातक के द्वारा मण्डी समिति में जमा करवायी जायेगी, जिसे निर्यात दायित्व सिद्ध होने पर 30 दिन के भीतर अवमुक्त कर दिया जाएगा।

(4) निर्यात दायित्व सिद्ध न होने पर सम्बन्धित मण्डी के सचिव के द्वारा निदेशक, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार को प्रकरण सन्दर्भित किया जायेगा, जिसके द्वारा बैंक गारन्टी की धनराशि मण्डी के पक्ष में जब्त करने के सम्बन्ध में निर्णय लिया जायेगा।

(5) कृषि उत्पादन मण्डी परिषद की समितियों द्वारा चावल निर्माता–निर्यातकों को गेटपास निर्गत करने में लगने वाले समय से राहत देने हेतु चावल निर्माता–निर्यातकों को एडवांस गेटपास बुक मण्डी द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी। इसके लिए चावल निर्माता–निर्यातकों को प्रत्येक माह पारेषित की जाने वाली चावल की औसत मात्रा पर देय मण्डी शुल्क व विकास सेस की धनराशि के समुतल्य मूल्य की बैंक गारन्टी प्रस्तुत करने पर मण्डी समिति द्वारा एडवांस गेटपास पुस्तिका उपलब्ध कराई जायेगी तथा निर्यातित चावल

(जितेन्द्र प्रताप सिंह)
अपर निदेशक (प्रशासन)

(21)

की मात्रा के सत्यापन हेतु नजदीकी पंजीकृत धर्मकांटा की रसीद चावल निर्माता–निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत की जायेगी। चावल निर्माता–निर्यातक मण्डी से प्राप्त एडवांस गेटपास बुक से स्वयं गेटपास जारी करेगा और उसकी प्रति मण्डी समिति को अगले कार्य दिवस में उपलब्ध करायेगा।

(6) प्रदेश के चावल उत्पादक/निर्यातक को निर्यात दायित्व सिद्ध करने हेतु निर्यात किये गये चावल से सम्बन्धित बिल आफ़ लेडिंग, शिपमेन्ट बिल एवं शासन द्वारा समय–समय पर निर्यात दायित्व सिद्ध किये जाने हेतु जारी किये जाने वाले आवश्यक प्रपत्र की प्रमाणित प्रतियाँ सम्बन्धित मण्डी समिति में प्रस्तुत करनी होगी।

(7) डायरेक्ट निर्यातक, यदि किसान या किसान उत्पादक संघ (Farmer Producer Organisation) से सीधे क्रय करता है तो उसे 2.5 प्रतिशत की छूट एवं आढ़तियों के माध्यम से खरीदने पर केवल मण्डी शुल्क की 02 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।

(8) इनडायरेक्ट निर्यातक को सीधे किसान या किसान उत्पादक संघ से क्रय करने पर मण्डी शुल्क की 02 प्रतिशत छूट एवं आढ़तियों के माध्यम से खरीदने पर मण्डी शुल्क की 1.5 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।

(9) डायरेक्ट निर्यातकों के द्वारा एपीडा (कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण), जो भारत सरकार की संस्था है, में कराये गये पंजीकरण को मान्यता दी जायेगी। उन्हें प्रदेश में पृथक से कोई पंजीकरण नहीं कराना होगा।

(10) इनडायरेक्ट निर्यातकों को शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप पंजीकरण कराना होगा।

2– सामान्यतः धान में चावल तथा भूसी का अनुपात क्रमशः 2/3 एवं 1/3 होता है इस प्रकार धान से चावल का आदर्श रिकवरी मानक 66.66 प्रतिशत है, परन्तु निर्यात दायित्व (एक्सपोर्ट आब्लीगेशन) निर्धारित करने के परिप्रेक्ष्य में बासमती एवं नान बासमती चावल के लिए यह व्यवस्था निम्नानुसार होगी:–

(1) बासमती चावल का निर्यात दायित्व सिद्ध करने हेतु धान से चावल की रिकवरी का न्यूनतम मानक 45.00 प्रतिशत निर्धारित किया जाता है। यदि चावल मिलर/निर्माता चाहे तो वह धान से प्राप्त किये गये चावल को उक्त निर्धारित न्यूनतम मानक 45.00 प्रतिशत से अधिक मात्रा में आदर्श रिकवरी 66.66 प्रतिशत की सीमा तक भी निर्यात कर सकता है, परन्तु आदर्श रिकवरी मानक और वास्तविक रूप से निर्यातित चावल के अन्तर की मात्रा को

(29)

स्थानीय/आन्तरिक बिक्री माना जायेगा और इस अन्तर की मात्रा की बिक्री पर नियमानुसार मण्डी शुल्क एवं विकास सेस देय होगा। निर्धारित न्यूनतम मानक 45.00 प्रतिशत की सीमा से कम मात्रा में निर्यात करने पर निर्यातक को मण्डी शुल्क तथा विकास सेस से छूट का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

(2) नान–बासमती चावल का निर्यात दायित्व सिद्ध करने हेतु धान से चावल की रिकवरी का न्यूनतम मानक 50.00 प्रतिशत निर्धारित किया जाता है। यदि चावल मिलर/निर्माता चाहे तो वह धान से प्राप्त किये गये चावल को उक्त निर्धारित न्यूनतम मानक 50.00 प्रतिशत से अधिक मात्रा में आदर्श रिकवरी 66.66 प्रतिशत की सीमा तक भी निर्यात कर सकता है, परन्तु आदर्श रिकवरी मानक और वास्तविक रूप से निर्यातित चावल के अन्तर की मात्रा को स्थानीय/आन्तरिक बिक्री माना जायेगा और इस अन्तर की मात्रा की बिक्री पर नियमानुसार मण्डी शुल्क एवं विकास सेस देय होगा। निर्धारित न्यूनतम मानक 50.00 प्रतिशत की सीमा से कम मात्रा में निर्यात करने पर निर्यातक को मण्डी शुल्क तथा विकास सेस से छूट का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

3– चावल निर्यात के लिए धान क्रय करने के समय से चावल के वास्तविक निर्यात किये जाने के मध्य समय लगना स्वभाविक है। निर्यात के दौरान मण्डी समिति के लिए समय–समय पर निर्धारित नियमों एवं व्यवस्थाओं का चावल निर्माता–निर्यातकों द्वारा अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

4– मण्डी परिषद से संबंधित निर्यात दायित्व को सिद्ध करने के सम्बन्ध में जिन मामलों में मिलर/निर्यातक द्वारा स्वयं निर्यात किया जा रहा है, उनमें मण्डी समिति द्वारा गेटपास कटने के 180 दिनों के अन्दर बिल आफ लेडिंग, शिपमेन्ट बिल एवं शासन द्वारा समय–समय पर निर्यात दायित्व सिद्ध किये जाने हेतु जारी किये जाने वाले आवश्यक प्रपत्रों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं भुगतान प्राप्ति विवरण का प्रकरण सम्बन्धित मण्डी समिति को प्रस्तुत करने पर उनका निर्यात दायित्व पूर्ण माना जायेगा। यदि मिलर उक्त प्रतियॉ निर्धारित अवधि में देने के लिए असमर्थ होता है, तो बैंक गारन्टी के विपरीत उसको 90 दिनों का और अधिक समय दिया जा सकता है। उपरोक्त सभी अभिलेख प्रस्तुत करने पर उसका निर्यात दायित्व पूर्ण मान लिया जायेगा। यदि चावल का वास्तविक निर्यात नहीं किया जाता है तो सम्बन्धित विभागों के नियमों के अधीन मिलर के विपरीत मूल राशि ब्याज सहित वसूली के साथ–साथ दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

5– निर्यातक द्वारा निर्यात की पूर्व सूचना सम्बन्धित मण्डी समिति को लिखित रूप में देनी होगी। प्रदेश के चावल का निर्यात देश के किसी भी बन्दरगाह, वायुमार्ग तथा प्रदेश की सीमाओं पर निर्दिष्ट थल मार्ग से किया जायेगा। ऐसा न करने पर चावल निर्माता–निर्यातकों को निर्यात नीति की सुविधाएं अनुमन्य नहीं होगी।

(19)

6— उत्तर प्रदेश से समस्त प्रकार के चावल का निर्यात विश्व के किसी भी देश को इस नीति के अन्तर्गत किया जा सकता है, चाहे उस देश के साथ व्यापार विदेशी मुद्रा में हो रहा हो अथवा नेपाल तथा बांग्लादेश जैसे देशों में, जिनके साथ भारतीय मुद्रा में व्यापार हो रहा है, को भी चावल निर्यात किया जा सकता है और ऐसी निर्यात को उत्तर प्रदेश चावल निर्यात प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत प्रदत्त समस्त सुविधाएं अनुमन्य होंगी।

7— इस नीति के कार्यान्वयन में आने वाली कठिनाईयों के निवारण हेतु प्रमुख सचिव/सचिव, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार विभाग की अध्यक्षता में निम्नलिखित समिति होगी, जो समय–समय पर नियमित रूप से त्रैमासिक आधार पर बैठक करेगी तथा चावल निर्माता–निर्यातकों के समक्ष निर्यात में आने वाली व्यवहारिक कठिनाईयों का निवारण करेगी:–

1.	प्रमुख सचिव/सचिव, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार विभाग, उ0प्र0 शासन।	अध्यक्ष
2.	अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त/प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग/सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग द्वारा नामित अधिकारी।	सदस्य
3.	प्रमुख सचिव/सचिव, कृषि विभाग अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी।	सदस्य
4.	प्रमुख सचिव/सचिव, खाद्य एवं रसद विभाग अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी।	सदस्य
5.	प्रमुख सचिव/सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी।	सदस्य
6.	उत्तर प्रदेश राइस मिलर्स एसोसिएशन के एक प्रतिनिधि।	सदस्य
7.	निदेशक, मण्डी परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।	सदस्य
8.	निदेशक, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।	सदस्य/संयोजक

(18)

8— इस योजना के अन्तर्गत चावल निर्माता–निर्यातकों को मण्डी शुल्क एवं विकास सेस की छूट के प्रकरण पर सम्बन्धित कृषि उत्पादन मण्डी समिति द्वारा छूट अनुमन्य करायी जाती है। सम्बन्धित मण्डी समितियों द्वारा छूट के प्रकरणों पर लिये गये निर्णय पर असहमति की दशा में चावल निर्माता–निर्यातक, निदेशक, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार उत्तर प्रदेश लखनऊ को प्रत्यावेदन दे सकते है। निदेशक, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार द्वारा चावल निर्माता–निर्यातकों के प्रत्यावेदन पर दिये गये निर्णय के विरूद्ध शासन स्तर पर पुनर्विचार हेतु चावल निर्माता–निर्यातक अपना प्रत्यावेदन दे सकते हैं। शासन स्तर पर लिया गया निर्णय अन्तिम होगा।

अमित मोहन प्रसाद
प्रमुख सचिव।

संख्या–70/2017/640(1)/अस्सी–2–2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1— महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2— प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
3— प्रमुख सचिव, मा0 मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
4— स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
5— कृषि उत्पादन आयुक्त उत्तर प्रदेश शासन।
6— औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
7— प्रमुख सचिव/सचिव, खाद्य एवं रसद विभाग को इस निवेदन के साथ कि कृपया अपने अधीनस्थ अधिकारियों को प्रोत्साहन योजना के अनुपालन हेतु समुचित निर्देश निर्गत करते हुए इस विभाग को निर्गत किए गए निर्देशों से अवगत कराने का कष्ट करें।
8— प्रमुख सचिव/सचिव कर एवं निबन्धन विभाग को इस निवेदन के साथ कि कृपया अपने अधीनस्थ अधिकारियों को प्रोत्साहन योजना के अनुपालन हेतु समुचित निर्देश निर्गत करते हुए इस विभाग को निर्गत किए गए निर्देशों से अवगत कराने का कष्ट करें।
9— समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
10— समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
11— समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
12— निदेशक, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार, लखनऊ को इस आशय के साथ कि वे कृपया इस प्रोत्साहन योजना से समस्त सम्बन्धित अधिकारियों को अवगत कराने का कष्ट करें।
13— निदेशक, राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
14— कृषि निदेशक, उ0प्र0, कृषि भवन लखनऊ।

15— अपर कृषि निदेशक (चावल) कृषि भवन लखनऊ।
16— आयुक्त, वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
17— खाद्य आयुक्त, उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि समस्त क्षेत्रीय खाद्य नियन्त्रक, उत्तर प्रदेश को अपने स्तर से कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।
18— प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 निर्यात निगम, कानपुर।
19— अधिशासी निदेशक,उद्योग बन्धु, 12 सी, माल एवेन्यु लखनऊ।
20— निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क, उ0प्र0 को प्रोत्साहन योजना के व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु।
21— उद्योग निदेशक, उ0प्र0 कानपुर।
22— स्थानिक आयुक्त, 401 अम्बादीप, 10 कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली।
23— सचिव, भारत सरकार, विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली।
24— सचिव, भारत सरकार, वाणिज्य मंत्रालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली।
25— सचिव, भारत सरकार, कृषि मंत्रालय,कृषि भवन, नई दिल्ली।
26— सचिव, भारत सरकार, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली।
27— निर्यात आयुक्त, कार्यालय महानिदेशक, विदेश व्यापार, भारत सरकार, कक्ष संख्या–11, उद्योग भवन, नई दिल्ली।
28— अध्यक्ष, आल इण्डिया राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन, पी0एच0डी0 चैम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज, पी0एच0डी0 हाउस (चतुर्थ तल) फेज–1 एशियन गेम्स काम्पलेक्स के पीछे, नई दिल्ली।
29— अध्यक्ष, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद विकास प्राधिकरण (एपीडा) तीसरी मंजिल, एन0सी0यू0आई0 बिल्डिंग, अगस्त कान्ति मार्ग, नई दिल्ली।
30— अध्यक्ष, यू0पी0 राइस मिलर्स एसोसिएशन, हेड आफिस 2/10, कलेक्टरगंज (शक्कर पट्टी) कानपुर।
31— निदेशक, दूरदर्शन लखनऊ।
32— निदेशक, आकाशवाणी लखनऊ।
33— निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इस विज्ञप्ति का प्रकाशन आगामी असाधारण राजपत्र में कराते हुए विज्ञप्ति की 2000 (दो हजार) प्रतियां इस अनुभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
34— गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सर्वजीत राम)
विशेष सचिव।

राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उत्तर प्रदेश

किसान मण्डी भवन, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ

पत्रांक–विप0–2/(तिल निर्यात–23)/2018-1328 दिनांक 01/09/2018

समस्त सभापति/सचिव
कृषि उत्पादन मण्डी समितियॉ
उत्तर प्रदेश।

विषयः उत्तर प्रदेश प्रसंस्कृत तिल निर्यात प्रोत्साहन योजना (2018–2023) लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार अनुभाग–2, उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–6/2018/570/अस्सी–2–2018 –200(1)/2011 दिनांक 28 अगस्त, 2018 द्वारा "उत्तर प्रदेश प्रसंस्कृत तिल निर्यात प्रोत्साहन योजना (2018–2023)" लागू की गयी है।

अतः उक्त कार्यालय ज्ञाप संख्या–6/2018/570/अस्सी–2–2018–200(1)/2011 दिनांक 28 अगस्त, 2018 की छायाप्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि कृपया तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक–उपर्युक्तानुसार।

31.8.18

(रमाकान्त पाण्डेय)
निदेशक

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।
प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– विशेष सचिव, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार अनुभाग–2, उ0प्र0 शासन।
2– समस्त जिलाधिकारी–उत्तर प्रदेश।
3– निदेशक, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार, उत्तर प्रदेश।
4– समस्त उपनिदेशक(प्रशासन/विपणन), मण्डी परिषद, उत्तर प्रदेश।
5– समस्त अधिकारी, मण्डी परिषद, मुख्यालय।
6– गार्ड पत्रावली हेतु।

31.08.18

(जितेन्द्र प्रताप सिंह)
अपर निदेशक(प्रशासन)

208

उत्तर प्रदेश शासन
कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार अनुभाग-2
संख्या- 6/2018/570/अस्सी-2-2018-200(1)/2011
लखनऊ :दिनांक 28 अगस्त, 2018

कार्यालय ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने, प्रदेश से प्रसंस्कृत तिल के निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए "उ0प्र0 प्रसंस्कृत तिल निर्यात प्रोत्साहन योजना (2018-23)" लागू किये जाने की, श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है। उक्त प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत प्रदेश के प्रसंस्कृत तिल निर्यातको को निम्नलिखित सुविधायें अनुमन्य होंगी-

(1) इस नीति को "उ0प्र0 प्रसंस्कृत तिल निर्यात प्रोत्साहन योजना (2018-23)" कहा जायेगा।

(2) यह नीति आदेश जारी होने की तिथि से आगामी 05 वर्षों तक लागू रहेगी।

(3) उत्तर प्रदेश के निर्माता-निर्यातक, प्रदेश से निर्यात किये जा रहे प्रसंस्कृत तिल को उत्पादित करने में प्रयुक्त तिल यदि किसान या किसान उत्पादक संघ (Farmer Producer Organisation) से सीधे क्रय करता है तो उसे 2 प्रतिशत मण्डी शुल्क तथा 0.5 प्रतिशत विकास सेस की छूट दी जायेगी।

(4) उत्तर प्रदेश के निर्माता-निर्यातक, यदि आढतियों के माध्यम से तिल का क्रय करता है तो केवल मण्डी शुल्क की 2 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।

(5) प्रदेश के निर्यातको को, जो स्वयं प्रदेश की सीमा के अन्तर्गत प्रसंस्कृत तिल निर्मित करके उसका निर्यात करते हैं, को इस नीति की सुविधायें अनुमन्य होंगी। इसके अतिरिक्त प्रदेश के ऐसे निर्यातक, जो प्रदेश में स्थापित किसी तिल मिलर से प्रसंस्कृत तिल बनाने का अनुबन्ध करके प्रसंस्कृत तिल का निर्यात करते है, उन्हें भी इस नीति की सुविधायें अनुमन्य होंगी।

(6) निर्यात किये जाने की स्थिति में जी0एस0टी0 अधिनियम के प्राविधान के अनुसार इनपुट टैक्स क्रेडिट (आई0टी0सी0) का रिफण्ड निर्यातक को प्राप्त होगा।

(7) इस नीति के अन्तर्गत देय मण्डी शुल्क एवं विकास सेस की छूट के बराबर की धनराशि की बैंक गारण्टी निर्यातक के द्वारा मण्डी समिति में जमा करायी जायेगी, जिसे निर्यात दायित्व सिद्ध होने पर 30 दिन के भीतर अवमुक्त कर दिया जायेगा। बैंक गारण्टी के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा-निर्देश निदेशक, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार उ0प्र0 के द्वारा निर्गत किये जायेंगे।

(8) निर्यात दायित्व सिद्ध न होने पर सम्बन्धित मण्डी सचिव, द्वारा निदेशक, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार उ0प्र0 को प्रकरण सन्दर्भित किया जायेगा, जिसके द्वारा बैंक गारण्टी की धनराशि मण्डी समिति के पक्ष में जब्त करने के सम्बन्ध में निर्णय लिया जायेगा।

(9) नीति में प्रसंस्कृत तिल का अभिप्राय वैल्यू ऐडेड अर्थात हल्ड सीसेस (धुली तिल) से है। दूसरे शब्दों में उ0प्र0 प्रसंस्कृत तिल निर्यात प्रोत्साहन योजना (2018-23) के अन्तर्गत वर्णित छूट/सुविधायें विभिन्न प्रस्तरो में वर्णित प्रतिबन्धों/शर्तो के अन्तर्गत प्रसंस्कृत तिल के निर्यात की दशा में ही अनुमन्य होगा। किसी मिलर/निर्यातक द्वारा तिल (रॉ/नेचुरल) का निर्यात करने की दशा में यह सुविधा अनुमन्य नहीं होगी।

SO
Pl. issue circular
Raju 30/8/18

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(10) कच्चे तिल से प्रसंस्कृत तिल एवं भूसी इत्यादि का अनुपात सामान्यतया 75:25 होता है। अतः यदि तिल मिलर/निर्यातक द्वारा 100 किग्रा0 कच्चे तिल का क्रय प्रसंस्कृत तिल बनाने के लिए किया जाता है तो तिल निर्यातक को निर्यात दायित्व सिद्ध करने के लिए कम से कम 75 किग्रा0 प्रसंस्कृत तिल का निर्यात करना अनिवार्य होगा अन्यथा उसे मण्डी शुल्क, विकास सेस की छूट तथा जी0एस0टी0 के राज्य अंश की प्रतिपूर्ति का लाभ अनुमन्य नहीं होगा। इस प्रयोजनार्थ प्रसंस्कृत तिल का आदर्श रिकवरी मानक 75 प्रतिशत माना जायेगा। प्रसंस्कृत तिल की प्राप्ति के पश्चात अवशेष 25 प्रतिशत पर नियमानुसार मण्डी शुल्क एवं विकास सेस देय होगा।

(11) मण्डी शुल्क एवं विकास सेस से छूट केवल विदेशी मुद्रा में किये गये निर्यात पर अनुमन्य होगी। भारतीय मुद्रा अर्थात रूपये में किये जा रहे प्रसंस्कृत तिल निर्यात व्यापार को यह छूट अनुमन्य नहीं होगी।

(12) प्रदेश के प्रसंस्कृत तिल का निर्यात रेल तथा सड़क मार्ग अथवा किसी भी बन्दरगाह/वायुमार्ग एवं थल मार्ग से किया जा सकेगा।

(13) निर्यातकों के द्वारा भारत सरकार की संस्था एपीडा (कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण) में कराये गये पंजीकरण को मान्यता दी जायेगी। उन्हें प्रदेश में पृथक से कोई पंजीकरण नहीं कराना होगा।

(14) निर्यातको द्वारा निर्यात किये गये प्रसंस्कृत तिल की मात्रा का विवरण सम्बन्धित मण्डी समिति को प्रतिमाह उपलब्ध कराना होगा। इसे उपलब्ध न कराने की दशा में निर्यातक इकाई का निर्यात दायित्व अपूर्ण समझा जायेगा।

(15) निर्यात दायित्व पूर्ण करने हेतु निर्यातको को मण्डी समिति द्वारा गेटपास कटने के 180 दिनों के अन्दर बिल आफ लेडिंग, शिपमेन्ट बिल एवं शासन द्वारा समय-समय पर निर्यात दायित्व सिद्ध किये जाने हेतु जारी किये जाने वाले आवश्यक प्रपत्रो की प्रमाणित प्रतियां एवं भुगतान प्राप्ति का विवरण सम्बन्धित मण्डी समिति को प्रस्तुत करने पर उनका निर्यात दायित्व पूर्ण माना जायेगा।

(16) प्रसंस्कृत तिल निर्यात नीति के कार्यान्वयन में आने वाली कठिनाईयों के निराकरण हेतु प्रमुख सचिव/सचिव कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार विभाग की अध्यक्षता में निम्नलिखित समिति होगी, जो समय-समय पर नियमित रूप से त्रैमासिक आधार पर बैठक करेगी तथा प्रसंस्कृत तिल निर्माता-निर्यातको के समक्ष आने वाली व्यवहारिक कठिनाईयों का निवारण करेगी-

1	प्रमुख सचिव/सचिव कृषि, विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार विभाग, उ0प्र0 शासन।	अध्यक्ष
2	प्रमुख सचिव/सचिव, खाद्य एवं रसद विभाग अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी।	सदस्य
3	प्रमुख सचिव/सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी।	सदस्य
4	अध्यक्ष एवं महामंत्री, उत्तर प्रदेश तिल निर्यातक संघ।	सदस्य
5	निदेशक, मण्डी परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।	सदस्य
6	निदेशक, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।	सदस्य-संयोजक

(17) इस योजना के अन्तर्गत मण्डी शुल्क, विकास सेस एवं व्यापार कर से छूट का लाभ पाने के लिए निर्यातकों/मिलर का उत्तर प्रदेश कृषि उत्पाद मण्डी अधिनियम, 1964 के अन्तर्गत निर्धारित विनियमन व्यवस्थाओं एवं राज्य कृषि

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

उत्पादन मण्डी परिषद द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन करना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही निर्यातकों/मिलर्स को नीति में निहित शर्तों/ प्रतिबन्धों के अन्तर्गत प्रसंस्कृत तिल निर्यात से सम्बन्धित समस्त वांछित प्रपत्र एवं मासिक सूचना आदि का विवरण सम्बन्धित विभागो में निश्चित समय से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा निर्यातकों/मिलर्स से मण्डी शुल्क एवं विकास सेस के बराबर की धनराशि एवं उस पर नियमानुसार देय ब्याज की धनराशि वसूल की जायेगी।

अमित मोहन प्रसाद
प्रमुख सचिव।

संख्या-6/2018/570/अस्सी-2-2018 तद्दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2- प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
3- प्रमुख सचिव, मा0 मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश।
4- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश।
5- निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
6- खाद्य आयुक्त, उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ।
7- प्रमुख सचिव/ सचिव, खाद्य एवं रसद विभाग तथा कर एवं निबन्धन विभाग को इस निवेदन के साथ कि वे कृपया अपने अधीनस्थ अधिकारियों को प्रोत्साहन योजना के अनुपालन हेतु समुचित निर्देश निर्गत करते हुए इस विभाग को निर्गत किए गए निर्देशों से अवगत करायेंगे।
8- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
9- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
10- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
11- कृषि निदेशक, उ0प्र0, कृषि भवन लखनऊ।
12- अपर कृषि निदेशक (तिलहन), उ0प्र0, कृषि भवन लखनऊ।
13- निदेशक, राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, लखनऊ को इस आशय के साथ कि वे कृपया इस प्रोत्साहन योजना के समस्त सम्बन्धित अधिकारियों को अवगत कराने का कष्ट करें।
14- निदेशक, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
15- औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
16- आयुक्त, वाणिज्य कर स्टेशन रोड, लखनऊ।
17- समस्त क्षेत्रीय खाद्य नियन्त्रक, उत्तर प्रदेश।
18- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 निर्यात निगम, कानपुर।
19- अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, 12 सी, माल एवेन्यु लखनऊ।
20- निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क, उ0प्र0 को प्रोत्साहन योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु।
21- उद्योग निदेशक, उ0प्र0 कानपुर।
22- स्थानिक आयुक्त, 401 अम्बादीप, 10 कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली।
23- सचिव, भारत सरकार, विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली।
24- सचिव, भारत सरकार, वाणिज्य, उद्योग भवन, नई दिल्ली।
25- सचिव, भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

26- सचिव, भारत सरकार, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली।
27- निर्यात आयुक्त, कार्यालय महानिदेशक, विदेश व्यापार, भारत सरकार कक्ष संख्या-11, उद्योग भवन, नई दिल्ली।
28- चेयरमैन, इण्डियन आयल सीड्स एण्ड प्रोड्यूज एक्सपोर्टस. एसोशियेशन, 78-79 बजाज भवन, नारीमन प्वाइन्ट, मुम्बई-400021।
29- अध्यक्ष, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद विकास प्राधिकरण (एपीडा) तीसरी मंजिल, एन0सी0यू0आई0 बिल्डिंग, अगस्त क्रान्ति मार्ग, नई दिल्ली।
30- उ0प्र0 तिल निर्यातक संघ, डी-235, विवेक विहार, नई दिल्ली 110095।
31- निदेशक, दूरदर्शन/ आकाशवाणी, लखनऊ।
32- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामाग्री, उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेषित कि वे कृपया इस विज्ञप्ति का प्रकाशन आगामी असाधारण राजपत्र में कराते हुए विज्ञप्ति की 2000 (दो हजार) प्रतियां इस अनुभाग को यथासमय उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
33- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

शिवराम त्रिपाठी
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(195)

राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उत्तर प्रदेश

किसान मण्डी भवन, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ

पत्रांक–विप0–2/मेंथा–115/2018–1345 दिनांक– 6/9/2018

समस्त सभापति/सचिव,
कृषि उत्पादन मण्डी समितियॉं,
उत्तर प्रदेश।

परिषद पत्रांकः विप0–2/115/2018–1238 दिनांक 16.07.2018 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा मेन्था प्रसंस्करण इकाईयों को निर्यात पर मण्डी शुल्क/विकास सेस से छूट दिये जाने विषयक शासनादेश संख्याः 13/2018/1592/80–1–2018–600(17)/2018, दिनांक 10.07.2018 की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित की गई है।

उक्त के क्रम में मेन्था निर्यात नीति के सम्बन्ध में निम्न निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जानी है:–

1. बैक गारण्टी की धनराशि निर्यात योग्य मेन्था उत्पाद के कच्चे माल पर देय व विकास सेस के तुल्य होगी। जिस मण्डी समिति से एकीकृत लाईसेंस प्राप्त किया जाएगा उसी मण्डी समिति में एकजाई बैक गारण्टी जमा की जाएगी।
2. निर्यात के पूर्व निर्यातको को मेन्था प्रजाति की समस्त प्रकार की हर्ब और मिन्ट, उनके तेल और तेलों से निकाले गये ठोस पदार्थ तथा ठोस पदार्थ निकालने के पश्चात् सभी अवशेष को मूल्य का 1 प्रतिशत मण्डी शुल्क तथा 0.50 प्रतिशत विकास सेस आगणित करके उसके तुल्य धनराशि की बैंक गारण्टी निर्यात वाली मण्डी समिति में जमा करनी होगी।
3. यदि निर्यातक दूसरी मण्डी के लाईसेन्स पर खरीद करके निर्यातक मण्डी समिति में लाता है तो उसका पूर्ण विवरण जिस मण्डी समिति में बैक गारण्टी जमा करायी गयी है, के साथ क्रय की मण्डी समिति को पृथक से पाक्षिक रूप से देना होगा।
4. निर्यात वाली मण्डी समिति का यह दायित्व होगा कि इस बात की गणना अपने पास सुरक्षित रखें कि कितनी धनराशि के निर्दिष्ट कृषि उत्पाद का क्रय मण्डीवार अन्य सभी मण्डियों से किया गया, कितना मण्डी शुल्क व विकास सेस किस–किस मण्डी समिति का प्रभावित हुआ।
5. निर्यात दायित्व सिद्व करने के सम्बन्ध में मण्डी समिति द्वारा गेटपास कटने के 180 दिन के अन्दर निर्यात दायित्व सिद्व किये जाने हेतु वांछित अभिलेख जमा करने होंगे।
6. निर्यात दायित्व सम्बन्धी अभिलेख जैसे–बिल आफ लेडिंग, शिपमेन्ट बिल एवं दायित्व सिद्व किये जाने हेतु जारी किये जाने वाले आवश्यक प्रपत्र प्राप्त होने पर 30 दिन के भीतर निर्यात दायित्व सम्बन्धी निर्णय मण्डी समिति द्वारा किया जाना अनिवार्य होगा। निर्यात दायित्व सिद्व होने पर 30 दिन के भीतर बैक गारण्टी अवमुक्त की जाएगी।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से कराया जाना सुनिश्चित करें।

5/9/18
(रमाकान्त पाण्डेय)
निदेशक।

पृष्ठांकन पत्रांक व दिनांक उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. विशेष सचिव, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार अनुभाग–1, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त उप निदेशक (प्रशासन/विपणन) मण्डी परिषद, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त अधिकारी, मण्डी परिषद, मुख्यालय।
5. गार्ड फाइल हेतु।

05.09.18
(जितेन्द्र प्रताप सिंह)
अपर निदेशक (प्रशासन)

उत्तर प्रदेश शासन
कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार अनुभाग–1
संख्या–13 / 2018 / 1592 / 80–1–2018–600(17) / 2018
लखनऊ: दिनांक–10 जुलाई, 2018

कार्यालय–ज्ञाप

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम–1 सन् 1904) की धारा–21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–25 सन् 1964) की धारा–17 के खण्ड (तीन) के उप खण्ड (ख) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके अधिसूचना संख्या–170 / 80–1–2013–600(46) / 88 दिनांक 28.01.2013 द्वारा मण्डी क्षेत्र में विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद मेन्था प्रजाति की समस्त प्रकार की हर्ब और मिन्ट, उनके तेल और तेलों से निकाले गये ठोस पदार्थ तथा ठोस पदार्थ निकालने के पश्चात् बचे अवशेष के, बिकी के संव्यवहार पर कृषि उत्पाद के मूल्य का एक प्रतिशत मण्डी शुल्क एवं 0.5 प्रतिशत विकास सेस लिया जा रहा है।

2– कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 की धारा–17(क) (1) (ख) के अन्तर्गत जिन मेन्था प्रसंस्करण इकाईयों को निर्यात पर मण्डी शुल्क / विकास–सेस से छूट प्रदान की जायेगी, उनके सम्बन्ध में यह व्यवस्था प्रभावी की जाती है कि उक्त छूट हेतु देय मण्डी शुल्क व विकास सेस की छूट के बराबर की धनराशि की बैंक गारण्टी निर्यातक के द्वारा निर्यात से पूर्व मण्डी समिति में जमा करवायी जायेगी, जिसे निर्यात दायित्व सिद्ध होने पर 30 दिन के भीतर बैंक गारण्टी अवमुक्त कर दिया जाएगा। एतदर्थ मण्डी शुल्क व विकास सेस की गणना निदेशक, मण्डी द्वारा नियमानुसार करते हुए बैंक गारण्टी की अपेक्षा की जायेगी।

(रमाकान्त पाण्डेय)
निदेशक,
मण्डी परिषद, उ0प्र0

अमित मोहन प्रसाद
प्रमुख सचिव

संख्या–13 / 2018 / 1592(1) / 80–1–2018–600(17) / 2018तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2– प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
3– प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश शासन।
4– स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
5– कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
6– औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
7– समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
8– समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
9– समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

(राजीव श्रीवास्तव)
उपनिदेशक

(... प्रताप सिंह)
उपनिदेशक (प्रशासन)

(92)

10– निदेशक, राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ को इस आशय के साथ कि वे कृपया इस प्रोत्साहन योजना से समस्त सम्बन्धित अधिकारियों को अवगत कराने का कष्ट करें।
11– कृषि निदेशक, उ0प्र0, कृषि भवन, लखनऊ।
12– अपर कृषि निदेशक (मेन्था), कृषि भवन, लखनऊ।
13– आयुक्त, वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
14– प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 निर्यात निगम, कानपुर।
15– अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, 12 सी, मालएवेन्यू, लखनऊ।
16– निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क, उ0प्र0 को प्रोत्साहन योजना के व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु।
17– उद्योग निदेशक, उ0प्र0, कानपुर।
18– स्थानिक आयुक्त, 401 अम्बादीप, 10 कस्तुरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली।
19– सचिव, भारत सरकार, विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली।
20– सचिव, भारत सरकार, वाणिज्य मंत्रालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली।
21– सचिव, भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, कृषि भवन नई दिल्ली।
22– सचिव, भारत सरकार, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय, कृषि भवन नई दिल्ली।
23– निर्यात आयुक्त, कार्यालय महानिदेशक, विदेश व्यापार, भारत सरकार, कक्ष संख्या–11 उद्योग भवन, नई दिल्ली।
24– अध्यक्ष, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद विकास प्राधिकरण (एपीडा) तीसरी मंजिल, एन0सी0यू0आई0 बिल्डिंग, अगस्त क्रान्ति मार्ग नई दिल्ली।
25– निदेशक, दूरदर्शन, लखनऊ।
26– निदेशक, आकाशवाणी, लखनऊ।
27– निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उ0प्र0 लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इस विज्ञप्ति का प्रकाशन आगामी असाधारण राजपत्र में कराते हुए विज्ञप्ति की 2000 (दो हजार) प्रतियां इस अनुभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
28– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(बी0राम शास्त्री)
विशेष सचिव

राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उत्तर प्रदेश
किसान मण्डी भवन, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ
दूरभाष: 0522–2720383, 384, 405, 137, 138, 139 फैक्स –0522–2720056

114

पत्रांक–विप0–2/(आम नि0–19)/2018 – 992 दिनांक 29/3/2018

–: आदेश :–

आम निर्यात हेतु ब्राण्ड प्रमोशन सहायता नियमावली, 2005 एवं आम निर्यात हेतु हवाई/समुद्री भाड़े में सहायता नियमावली, 2005 तथा पूर्व में समय–समय पर संशोधित किये गये आदेशों को अतिक्रमित करते हुए मण्डी परिषद के मा0 संचालक मण्डल की 154वीं बैठक दिनांक 18.01.2018 में दी गयी स्वीकृति/अनुमोदन के क्रम में निम्नानुसार "उत्तर प्रदेश आम निर्यात विनियमावली 2018" निम्नानुसार जारी की जाती है।

1–संक्षिप्त शीर्ष नाम एवं प्रकार–

(1) यह विनियमावली "उत्तर प्रदेश आम निर्यात विनियमावली, 2018" कही जायेगी।

(2) यह विनियमावली आदेश जारी होने की तिथि से सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में प्रभावी होगी।

2–परिभाषा– इस नियमावली के अन्तर्गत जब तक अन्यथा वर्णित न हो–

(1) "निर्यात" का तात्पर्य उ0प्र0 कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम,1964 की धारा–2 के खण्ड "(ज–2)" में वर्णित परिभाषा से है।

(2) "भाड़ा" का तात्पर्य वायु/समुद्री/स्थल मार्ग से भेजे गये आम के सम्बन्ध में एयर लाइन्स/समुद्री जहाज/ट्रक के माध्यम से भुगतान की गयी धनराशि से है।

(3) "उत्पादक" का तात्पर्य उ0प्र0 कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम,1964 की धारा–2 के खण्ड (त) में अंकित परिभाषा से है।

(4) "फारमर प्रोड्यूसर आर्गनाइजेशन" का तात्पर्य कम्पनी एक्ट,1956 के अन्तर्गत पंजीकृत फारमर प्रोड्यूसर आर्गनाइजेशन से है।

(5) (अ) "आम" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश में उत्पादित होने वाले समस्त प्रकार के आम से है।

(ब) "नवाब ब्राण्ड" आम का तात्पर्य 275 ग्राम से अधिक भार वाले, डिसैप किये हुए, दोषरहित, उच्च गुणवत्ता वाले, फाइटो सेनेटरी मानकों के अन्तर्गत आम से है, जिसका प्रसंस्करण मण्डी परिषद द्वारा मण्डी परिषद के पैक हाऊस में मानकों के अन्तर्गत पैकिंग मैटेरियल में नवाब ब्राण्ड लोगो एवं नाम से पैक किया गया हो।

(6) "भाड़े में सहायता" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश में उत्पादित आम के हवाई/समुद्री/स्थल मार्ग से निर्यात किये जाने पर होने वाले भाड़े में सहायता दिये जाने से है।

(7) "प्रदेश" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश से है।

(8) "निदेशक" का तात्पर्य उ0प्र0 कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 के अन्तर्गत मण्डी निदेशक की परिभाषा से है।

3–पात्रता– (1) व्यक्ति सम्बन्धित मण्डी समिति का लाइसेन्सी हो।

(2) एपीडा का पंजीकरण प्रमाण–पत्र हो।

(2) उत्तर प्रदेश में उत्पादित आम के निर्यात पर ही यह योजना प्रभावी होगी।

(3) इस योजना का लाभ नान रूपये करेंसी में किये गये निर्यात पर ही देय होगा।

4–सहायता प्राप्ति प्रकिया– इस योजना के अन्तर्गत दी गयी सहायता का लाभ प्राप्त करने के लिए सम्बन्धित मण्डी समिति में निम्नलिखित अभिलेखों के साथ संलग्न प्रारूप पर, निर्यात के दिनांक से 06 माह (180 दिन) के भीतर, प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(1) निर्यातक द्वारा तिथिवार पैक कराये गये आम/नवाब ब्राण्ड आम की मात्रा का मण्डी सचिव द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण–पत्र।

(2) एयर वे बिल/बिल आफ लेडिंग।

(3) कामर्शियल इन्वायस एवं निर्यातक की पैकिंग लिस्ट।

(4) विदेश मुद्रा प्राप्त होने का बैंक का प्रमाण–पत्र की प्रति।

(5) निर्यातक द्वारा एयर पोर्ट/पोर्ट सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत आम कंसाइनमेंट के रोग तथा कीटाणुओं से मुक्त होने संबंधी प्रमाण–पत्र (फाइटो सेनेटरी सर्टीफिकेट)।

(6) निर्यातक द्वारा विकेता किसानों की उपलब्ध करायी गयी सूची का मिलान प्रपत्र–6 एवं खतौनी से करने के उपरान्त ब्राण्ड प्रमोशन में उनके अंश का भुगतान आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से मण्डी समिति द्वारा किया जायेगा।

5– निर्यातक द्वारा योजना के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए प्रार्थना–पत्र एवं सम्बन्धित अभिलेख प्राप्त होने के 30 दिवस के अन्तर्गत मण्डी समिति प्रार्थना पत्र का निस्तारण करते हुए वांछित धनराशि की मांग उपनिदेशक(प्रशासन/विपणन) के माध्यम से मण्डी परिषद मुख्यालय से करेगी। धनराशि प्राप्त होते ही उसका भुगतान लाभार्थी को कर दिया जायेगा।

6–सहायता का विवरण

(1)

नवाब ब्राण्ड आम के निर्यात पर देय ब्राण्ड प्रमोशन अनुदान (रू0 प्रति कि0ग्रा0)		निर्यात पर देय परिवहन भाड़ा अनुदान (रू0 प्रति कि0ग्रा0)	
		निर्यातक को	
उत्पादक को	निर्यातक को	हवाई/समुद्री मार्ग से	सड़क परिवहन से
1	2	3	4
रू0 6.00	रू0 10.00	रू0 15.00	रू0 7.50

(2) प्रदेश के आमों को अमेरिकी बाजार में निर्यात हेतु, ई–रेडिएशन हेतु आम ले जाने के लिए प्रयुक्त रीफर वैन के परिवहन व्यय का 40 प्रतिशत या रू0 20 प्रति किलोग्राम में जो न्यून हो, ई–रेडिएशन परिवहन सहायता के रूप में अतिरिक्त रूप से उपलब्ध कराई जायेगी। ई–रेडिएशन केन्द्र तक आम केट्स में ले जाने की भी अनुमति प्रदान की जायेगी।

7–कठिनाई निराकरण– इस विनियमावली के लागू करने में आने वाली कठिनाईयों का निराकरण मण्डी निदेशक द्वारा किया जायेगा।

(112)

उपरोक्तानुसार मण्डी परिषद के मा0 संचालक मण्डल की 154वीं बैठक दि0 18.01.2018 में लिये गये निर्णयानुसार "उत्तर प्रदेश आम निर्यात विनियमावली, 2018" में निहित व्यवस्था के अन्तर्गत कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

यह भी अपेक्षित है कि उपरोक्तानुसार दी गयी स्वीकृति/निर्णयानुसार मैंगों पैक हाउस से प्रसंस्कृत तथा निर्यातित हो रहे आम से जुड़े मण्डी समितियों, निर्यातकों एवं आम उत्पादकों को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

29.3.18

(रमाकान्त पाण्डेय)
निदेशक

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1–समस्त सचिव/सभापति, कृषि उत्पादन मण्डी समितियॉ, उत्तर प्रदेश।
2–उपनिदेशक(प्रशा0/वि0), निर्यात सेल, मण्डी परिषद।
3–प्रबन्धक, मैंगो पैक हाउस, रहमान खेड़ा, लखनऊ/सहारनपुर।

29.3.18

निदेशक

146वीं मद संख्या -2 (88) 19

राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उ0प्र0

किसान मण्डी भवन, विभूति खण्ड, गोमतीनगर लखनऊ

पत्रांक–विप0–2(168)/2015-1344 दिनांक 10/8/2015

–: आदेश :–

मण्डी परिषद के मा0 संचालक मण्डल, की 146वीं बैठक दिनांक–22.06.2013 के मद संख्या–20 पर लहसुन निर्यात प्रोत्साहन हेतु परिवहन भाड़ा सहायता अनुदान दिये जाने के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव पर निम्नलिखित निर्णय लिया गया था:–

" लहसुन निर्यात का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया लहसुन निर्यात को बढ़ावा दिये जाने हेतु रू0 1.00 (एक रूपया) परिवहन भाड़ा सहायता प्रति कि0ग्रा0 की दर से लहसुन निर्यात परिवहन भाड़ा सहायता अनुदान निर्यात विनियमावली,2013 अनुमोदित किया गया।"

उपरोक्त निर्णय कम में परिषद पत्र संख्या–विप0–2/लह0नि0(168)/2013–490 दिनांक 08.8.2013 के द्वारा लहसुन निर्यात प्रोत्साहन हेतु परिवहन भाड़े में सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में मा0 संचालक मण्डल का निर्णय एवं प्रस्ताव प्रमुख सचिव, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार अनुभाग–1, उ0प्र0 शासन को प्रेषित किया गया था। पुनः पत्र संख्या–विप0–2/लह0नि0(168)/2013–561 दिनांक 09.10.2013 के कम में मा0 संचालक मण्डल द्वारा प्रकरण पर लिये गये निर्णय पर अनुमोदन मांगा गया, जिसके क्रम में शासन के पत्र संख्या–786/80–1–2015–600(51)/2013 दिनांक 31 मार्च, 2015 द्वारा निर्देश दिये गये कि लहसुन निर्यात प्रोत्साहन हेतु परिवहन भाड़े में सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 में दी गयी व्यवस्थानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें। चूँकि मा0 परिषद की 146वीं बैठक दिनांक 22.06.2013 में पारित लहसुन निर्यात परिवहन भाड़ा सहायता अनुदान विनियमावली, 2013 में परिवहन भाड़ा सहायता दिनांक 31.03.2014 तक किये गये निर्यात पर भुगतान किया जाना प्रस्तावित था और तत्समय तक इस पर शासन का अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ था। अतः लहसुन निर्यात प्रोत्साहन हेतु परिवहन भाड़े में सहायता विनियमावली को आगे लागू किये जाने के सम्बन्ध में मा0 अध्यक्ष, मण्डी परिषद, उ0प्र0 द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है, जिसकी कार्योत्तर स्वीकृति मा0 परिषद की आगामी बैठक में लिया जाना है।

अतः मा0 संचालक मण्डल के निर्णय एवं उस पर शासन के पत्र दिनांक 31 मार्च, 2015 से प्राप्त निर्देश तथा इसी सन्दर्भ में मा0 अध्यक्ष महोदय के उक्त निर्णय कम में निम्नानुसार लहसुन निर्यात हेतु परिवहन भाड़े में सहायता विनियमावली, 2013 लागू की जाती है:–

लहसुन निर्यात हेतु परिवहन भाड़े में सहायता विनियमावली, 2013

1–**संक्षिप्त नाम** (1) यह विनियमावली लहसुन निर्यात भाड़ा सहायता विनियमावली, 2013 कहलायेगी।

(2) प्रश्नगत विनियमावली निर्गत होने के दिनांक से लागू होगी।

2–**परिभाषायें** विषय या प्रसंग में कोई प्रतिकूल बात न होने पर, इस अधिनियम में :–

(1) "**निर्यातक**" का तात्पर्य निर्दिष्ट कृषि उत्पाद लहसुन को निर्यात करने वाले से है।

(2) "**लहसुन**" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश में उत्पादित लहसुन से है।

(3) "**प्रदेश**" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश से है।

(4) "**निर्यात**" का तात्पर्य मण्डी समिति के लाइसेन्सधारी/पंजीकृत, व्यापारी/उत्पादक द्वारा विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद लहसुन का भारत से बाहर निर्यात किये जाने से है, जिसका भुगतान भारतीय मुद्रा के अतिरिक्त किसी अन्य देश में प्रचलित मुद्रा से किया जाये।

(5) "निदेशक" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 की धारा–2(ज)
में वर्णित परिभाषा से है।

3–सामान्य शर्तें

(1) उत्तर प्रदेश में उत्पादित होने वाले लहसुन को हवाई/समुद्र/थल मार्ग से निर्यात किये जाने की दशा में रू0 1.00 (रूपया एक) प्रति कि0ग्रा0 की दर से परिवहन भाड़ा सहायता देय होगी। इस सुविधा का लाभ निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन अनुमन्य होगा।

(क) प्रदेश के लहसुन का निर्यात देश के बाहर करने वाले मण्डी समिति के लाइसेन्सधारी/पंजीकृत व्यापारी/उत्पादक एवं निर्यातकों को यह सुविधा उपलब्ध होगी।

(ख) प्रदेश के लहसुन का निर्यात करने वाले लाइसेन्सी लहसुन के निर्यातकों को उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 एवं उक्त के अधीन बनी नियमावली के प्रावधानों के अन्तर्गत सम्बन्धित मण्डी समिति का लाइसेन्स लेना अनिवार्य होगा एवं उत्पादकों को भी सम्बन्धित मण्डी समिति में उत्पादक निर्यातक के रूप में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।

(ग) उत्तर प्रदेश में उत्पादित होने वाले लहसुन के निर्यात प्रोत्साहन हेतु परिवहन भाड़े में उक्त विनियमावली के अन्तर्गत सहायता राशि प्राप्त करने हेतु सम्बन्धित मण्डी समिति लाइसेन्सी व्यापारियों/पंजीकृत उत्पादकों को सहायता धनराशि प्राप्त करने हेतु निर्धारित प्रारूप पर सम्बन्धित मण्डी समिति कार्यालय में दावा निर्धारित प्रारूप पर निम्नलिखित अभिलेखों सहित प्रस्तुत करने की समय सीमा निर्यात के दिनांक से 365 दिन होगी। लहसुन निर्यातकों/पंजीकृत उत्पादकों द्वारा सकारण प्रार्थना–पत्र देने पर विशेष परिस्थितियों में सम्बन्धित उपनिदेशक (प्रशासन/विपणन) की संस्तुति पर उक्त अवधि को 60 दिन तक और बढ़ाया जा सकता है।

(1) निर्यातकों द्वारा लहसुन प्रेषण के सम्बन्ध में इंगित डिलीवरी स्थल में पहुँच का प्रमाण–पत्र।
(2) निर्यातकों के आई0ई0सी0 प्रमाण–पत्र की फोटोप्रति।
(3) देश के अन्दर जिस शहर से निर्यात हेतु लहसुन समुद्र/वायु/थल मार्ग से भेजा गया हो, वहाँ से प्राप्त परिवहन भाड़े की रसीद।
(4) निर्यातक द्वारा पैक कराये गये लहसुन की मात्रा विशिष्टियों के अनुरूप सत्यापन हेतु सम्बन्धित सचिव,मण्डी समिति द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण–पत्र।
(5) एयर वेबिल/बिल आफ लैडिंग/ट्रांसपोर्ट की रसीद।
(6) कामर्शियल इन्वायस एवं उत्पाद की पैकिंग लिस्ट।
(7) निर्यातक द्वारा सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत लहसुन कन्साइनमेन्ट के रोग तथा कीटाणुओं से मुक्त होने सम्बन्धी प्रमाण–पत्र।
(8) निर्यातक द्वारा विदेश के केता द्वारा निर्गत एकाउण्ट सेल स्टेटमेन्ट/बैंक रिअलाइनजेशन सर्टीफिकेट भी सम्बन्धित मण्डी समिति को प्रस्तुत करना होगा।
(9) आयकर विभाग द्वारा जारी पैन नम्बर की फोटोप्रति।

(घ) मण्डी समिति की संस्तुति पर नियमानुसार लहसुन के निर्यात के परिवहन भाड़ा में सहायता की धनराशि की स्वीकृति निदेशक द्वारा दी जायेगी। सहायता की धनराशि का भुगतान एकाउण्ट पेई चैक के द्वारा किया जायेगा।

(ड़) निर्यात पर परिवहन भाड़ा सहायता धनराशि उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद के द्वारा निर्यात फैसिलिटेशन मद से वहन की जायेगी।

(च) प्रकिया में किसी प्रकार की कठिनाई होने पर निदेशक से दिशा–निर्देश प्राप्त किये जा सकते हैं। प्रश्नगत विनियमावली के प्राविधानों से शिथिलता देने का अधिकार निदेशक,

मण्डी परिषद, उत्तर प्रदेश को होगा।

(छ) इस विनियमावली में संशोधन/परिवर्तन करने का अधिकार निदेशक, मण्डी परिषद, उत्तर प्रदेश को होगा।

(ज) मा0 परिषद की 146वीं बैठक दिनांक 22.06.2013 में यह प्रस्ताव पारित हुआ है कि लहसुन के निर्यातकों को विदेशों में लहसुन निर्यात करने पर रू0 1.00 (एक रूपया) परिवहन भाड़ा सहायता प्रति कि0ग्रा0 की दर से देय होगा।

4–निदेशक का निर्णय अन्तिम– इन विनियमों में किसी बात के रहते हुए भी किन्हीं विशेष परिस्थितियों में समिति हित में मण्डी निदेशक को निर्णय लेने का पूर्ण अधिकार होगा। प्रदेशन की प्रक्रिया तथा भुगतान पद्धति में सामयिक परिस्थितियों के अनुसार संशोधित एवं परिवर्तित करने का अधिकार भी पूर्णतया निदेशक को होगा।

5–वाद के लिये अधिकार क्षेत्र

(1) इन विनियमों के अधीन उत्पन्न होने वाले विवाद के सम्बन्ध में निर्यातक अपना प्रार्थना–पत्र धारा–32 के अन्तर्गत परिषद में दे सकता है।

(2) इन विनियमों के अधीन उत्पन्न होने वाले वाद के लिये जनपद लखनऊ स्थित दीवानी न्यायालय का ही अधिकार क्षेत्र होगा।

6–विवादों पर निदेशक का निर्णय बाध्यकारी– इन विनियमों के सम्बन्ध में किसी भी विषय अथवा विवाद पर निदेशक का निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा।

उपर्युक्त विनियमावली में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अन्तर्गत लहसुन निर्यातकों को परिवहन भाड़ा सहायता प्रदान करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

(डा0 अनूप यादव)
मण्डी निदेशक

पृष्ठांकन एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि–अधोलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार अनुभाग–1, उ0प्र0 शासन।
2. वित्त नियंत्रक, मण्डी परिषद, लखनऊ।
3. समस्त उप निदेशक (प्र0/विप0), मण्डी परिषद, उत्तर प्रदेश।
4. सिस्टम एनालिस्ट, मण्डी परिषद, मुख्यालय।
5. समस्त सभापति/सचिव, कृषि उत्पादन मण्डी समितियॉ, उत्तर प्रदेश।
6. गार्ड फाईल।

मण्डी निदेशक

राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उत्तर प्रदेश

किसान मण्डी भवन, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ

पत्रांक–विप0–2/आलू निर्यात–150/2018–993 दिनांक– 29/3/2018

आदेश

आलू निर्यात के सम्बन्ध में मण्डी परिषद द्वारा वर्तमान में संचालित योजना दो विनियमावलियों– "ताज ब्राण्ड आलू निर्यात हेतु भाड़ा सहायता विनियमावली" 2005 एवं "ताज ब्राण्ड" आलू निर्यात हेतु ब्राण्ड प्रमोशन सहायता विनियमावली, 2005 के स्थान पर मण्डी परिषद के मा0 संचालक मण्डल की 154वीं बैठक दिनांक 18.01.2018 में मा0 अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रस्ताव के मद संख्या–2 पर इन विनियमावलियों एवं उनमें समय–समय पर किये गये संशोधनों को अतिक्रमित करते हुए "उत्तर प्रदेश आलू निर्यात प्रोत्साहन योजना विनियमावली, 2018" लागू किये जाने संबंधी प्रस्ताव विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया था। मा0 संचालक मण्डल द्वारा लिये गये निर्णय के कम में "उत्तर प्रदेश आलू निर्यात प्रोत्साहन योजना 2018" निम्नानुसार जारी की जा रही है :–

उत्तर प्रदेश आलू निर्यात प्रोत्साहन योजना, 2018

1. **योजना का नाम** — इस योजना का नाम आलू निर्यात प्रोत्साहन योजना 2018 होगा।
2. **योजना का उद्देश्य** — आलू निर्यात प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य उत्तर प्रदेश में उत्पादित आलू की मांग में वृद्धि कर भावों में सुधार तथा उत्पादकों को बेहतर मूल्य दिलाना है। साथ ही उत्तर प्रदेश को विदेशी मुद्रा लाभ एवं रोजगार सृजन भी इस योजना में अन्तर्निहित है।
3. **योजना का प्रसार एवं लागू किया जाना** — इस नियमावली का क्षेत्र सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश होगा। यह नियमावली जारी किये जाने की तिथि से लागू होगी।
4. **परिभाषा:–**
   - a "**मण्डी समिति**" का तात्पर्य उ0प्र0 कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 के अन्तर्गत गठित समिति से है।
   - b "**मण्डी सचिव**" का तात्पर्य सम्बन्धित मण्डी समिति के सचिव से है।
   - c "**निर्यात**" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 की धारा–2 के खण्ड ज–2 में वर्णित परिभाषा से है।
   - d "**निर्यातक**" का तात्पर्य ऐसे उत्पादक अथवा लाइसेंसी व्यापारी से है जो आलू का निर्यात देश के बाहर करें तथा उसके पास एपिडा से पंजीकरण तथा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कोड हो। इसके अन्तर्गत मण्डी क्षेत्र का उत्पादक, लाइसेंसी व्यापारी अथवा फार्मर प्रोड्यूसर आरर्गेनाइजेशन होगें।
   - e "**निदेशक**" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 की धारा–2 (ज) में वर्णित परिभाषा से है।
   - f "**आलू**" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश में उत्पादित आलू से है।

g "उत्पादक" का तात्पर्य उ0प्र0 कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम 1964 की धारा–2 के खण्ड (त) में अंकित परिभाषा से है।

h "भाड़ा" का तात्पर्य समुद्री/स्थल मार्ग से भेजे गये आलू के सम्बन्ध में समुद्री जहाज/ट्रक के परिवहन व्यय के रूप में भुगतान की गयी धनराशि से है।

i "भाड़े में सहायता" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश में उत्पादित आलू के समुद्री/स्थल मार्ग से निर्यात किये जाने पर होने वाले भाड़े में सहायता दिये जाने से है।

5 पात्रता

1 व्यापारी अथवा फारमर प्रोड्यूसर आर्गनाइजेशन (एफ0पी0ओ0) निर्यातक सम्बन्धित मण्डी समिति का लाइसेन्सी होना चाहिए। उत्पादक मण्डी क्षेत्र का उत्पादक हो।

2 निर्यातक एपीडा एवं आई0ई0सी में पंजीकृत हो।

3 उत्तर प्रदेश में उत्पादित आलू के निर्यात पर ही यह योजना प्रभावी होगी।

4 उत्तर प्रदेश में उत्पादित आलू के इनडायरेक्ट निर्यातक इस योजना के अन्तर्गत पात्र होगें। इनडायरेक्ट निर्यातक को एकीकृत लाइसेंस अथवा सम्बन्धित मण्डी समिति का लाइसेंस लेना होगा तथा मण्डी अधिनियम के प्राविधानों का पालन करना होगा।

6 निर्यात पूर्व सूचना

निर्यातक द्वारा निर्यात करने से पूर्व, सम्बन्धी मण्डी समिति को निम्नवत् सूचना लिखित रूप में अनिवार्य रूप से दी जाएगी।

a निर्यातक का नाम

b किसान/उत्पादक है अथवा व्यापारी

c कितनी मात्रा में निर्यात का अनुमान है

d किन–किन देशों को निर्यात किया जाना है

e निर्यात का मार्ग (समुद्री/स्थल) का विवरण

f निर्यात की अवधि .....से .....तक

7 निर्यात प्रकिया

a **उत्पादक–निर्यातक के लिए–** उत्पादक/निर्यातक द्वारा पारेषण के साथ उपरोक्त सूचना प्रस्तुत करने पर सम्बन्धित मण्डी समिति से निःशुल्क गेटपास प्रदान किया जायेगा।

b **व्यापारी–निर्यातक/एफ0पी0ओ0–निर्यातक**–व्यापारी/निर्यातक/एफ0पी0ओ0 निर्यातक को मण्डी अधिनियम के प्राविधानों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा। जिसके अन्तर्गत मण्डी शुल्क व विकास सेस की देयता के साथ उसे प्रपत्र–9 तथा गेटपास की अनिवार्यता होगी।

8. योजना के अन्तर्गत प्रदत्त सहायताः–

उ0प्र0 में उत्पादित आलू के सड़क मार्ग से निर्यात होने की स्थिति

सड़क परिवहन भाड़ा 1.00 रू0 प्रति किलो अथवा वास्तविक भाड़ें का 25 प्रतिशत जो भी कम हो। प्रति पारेषण अधिकतम रू0 25,000.00 तक।

उ0प्र0 में उत्पादित आलू के जल मार्ग से निर्यात होने की स्थिति में

निकटतम बन्दरगाह तक आलू के सड़क परिवहन भाड़ा अनुदान के रूप में रू0 0.50 प्रतिकिलो अथवा वास्तविक भाड़े का 25 प्रतिशत जो भी कम हो तथा जल परिवहन भाड़ा सहायता के रूप में अतिरिक्त–

1–एशियाई अथवा मिडिल ईस्ट के देशों के लिए रू0 1.50 प्रतिकिलो।

2–यूरोप, अमेरिका, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, आस्ट्रेलिया

के लिए रू0 2.50 प्रतिकिलो।

9 **सहायता प्राप्ति करने की प्रकिया :–**

1. निर्यात प्रोत्साहन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए निर्यातक को निर्यात हेतु गेटपास प्राप्त होने के 180 दिन के भीतर निम्नलिखित अभिलेख सम्बन्धित मण्डी सचिव के समक्ष प्रस्तुत करना होगा :–
   (1) कामर्शियल इन्वायस एवं निर्यातक की पैकिंग लिस्ट।
   (2) बिल आफ लेडिंग।
   (3) निर्यातक द्वारा कन्साइनमेंट के रोग तथा कीटाणुओं से मुक्त होने सम्बन्धी प्रमाण–पत्र (फाइटो सेनेटरी सर्टीफिकेट)।
   (4) निर्यात का भुगतान प्राप्त होने का बैंक प्रमाण–पत्र की प्रति।
   (5) उत्पादक निर्यातक के मामले में खतौनी की प्रति।
   (6) एफ0पी0ओ0 की दशा में उसका पंजीकरण प्रमाण–पत्र।
   (7) डी0बी0टी0 के लिए खाता संख्या व अन्य सम्बन्धित आवश्यक अभिलेख की प्रति।
2. मण्डी सचिव द्वारा अभिलेख प्राप्त होने के 30 दिन के भीतर प्रकरण का निस्तारण किया जाएगा तथा एक सप्ताह के अन्दर सम्बन्धित निर्यातक को डी0बी0टी0 के माध्यम भुगतान किया जाएगा।
3. यदि व्यापारी/किसान/एफ0पी0ओ0 मण्डी समिति द्वारा पारित आदेश से क्षुब्ध होता है तो किसान/व्यापारी 30 दिन के भीतर निदेशक, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार विभाग के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है।

10 **कठिनाई का निराकरण –**

इस योजना के लागू किये जाने में आने वाली कठिनाईयों का निराकरण निदेशक, मण्डी परिषद की अध्यक्षता में निम्नलिखित समिति द्वारा किया जाएगा–

1– निदेशक, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार अथवा उनका नामित प्रतिनिधि –सदस्य

2– निदेशक, उद्यान विभाग, उ0प्र0 शासन अथवा उनका नामित प्रतिनिधि–सदस्य

3– उपनिदेशक(प्रशा0/विप0), प्रभारी निर्यात सेल–सदस्य सचिव।

यह योजना आदेश जारी होने की तिथि से मान्य होगी। अतः इस विनियमावली का व्यापक प्रचार–प्रसार कराते हुए उपरोक्तानुसार अनुपालन तत्काल सुनिश्चित कराये।

29.3.18

(रमाकान्त पाण्डेय)
मण्डी निदेशक

पृष्ठांकन एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) प्रमुख सचिव, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार विभाग उत्तर प्रदेश शासन।
(2) समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(3) समस्त उप निदेशक (प्रशासन/विपणन), मण्डी परिषद, उत्तर प्रदेश।
(4) समस्त सभापति/सचिव, कृषि उत्पादन मण्डी समितियां, उत्तर प्रदेश।

29.3.18

मण्डी निदेशक

राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उत्तर प्रदेश

किसान मण्डी भवन, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ

पत्रांक: विप0–2/आलू अनु0(2018–19)/215/2019–178न दिनांक: 12/7/2019

समस्त उपनिदेशक (प्रशासन/विपणन),
राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद,
उत्तर प्रदेश।

विषयः– प्रदेश मे आलू उत्पादको, व्यापारियों व निर्यातकों को आलू विपणन हेतु परिवहन भाड़ा अनुदान व प्रोत्साहन के सम्बन्ध में।

प्रदेश में आलू उत्पादको, व्यापारियों व निर्यातकों को आलू विपणन हेतु परिवहन भाड़ा अनुदान व प्रोत्साहन के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या:267/80–1–2019–600(12)/2009 दिनांक:11 जून,2019 (छायाप्रति संलग्न) का अवलोकन करने का कष्ट करें। इस क्रम में अग्रेतर लिए गये निर्णय के अनुसार शासनादेश निर्गत होने की तिथि से दिनांक: 30.09.2019 तक परिवहन भाडा अनुदान एवं प्रोत्साहन दिये जाने के आदेश एवं निम्नलिखित शर्तो के अधीन स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

(1) उत्तर प्रदेश राज्य में आलू उत्पादक जनपदों के सापेक्ष अन्य जनपदों में आलू के तुलनात्मक रूप से अधिक बाजार मूल्य के दृष्टिगत राज्य की सीमा के अन्दर तथा प्रदेश के बाहर आलू उत्पादकों को 150किमी0 तथा आलू व्यापारियों को 300किमी0 से अधिक दूरी के परिवहन एवं विपणन किये जाने पर वास्तविक रूप से व्यय किये गये परिवहन भाड़े पर अनुदान प्रदान किया जायेगा।

(2) प्रस्तर–1 के अनुसार राज्य के अन्दर व राज्य के बाहर प्रेषित किये जाने एवं विपणन करने पर रू0 50.00 प्रति कुन्टल कर दर से अथवा वास्तविक रूप से व्यय किये परिवहन भाड़े का 25 प्रतिशत जो भी कम हो की दर से, परिवहन भाड़ा अनुदान सम्बन्धित मण्डी समिति द्वारा प्रदान किया जायेगा।

(3) उपरोक्तनुसार विपणन किये गये आलू पर मण्डी शुल्क व विकास सेस की छूट प्रदान की जायेगी।

(4) मण्डी अधिनियम की धारा–2(क) में दी गयी व्यवस्था के अनुसार उत्पादक अपनी उपज प्रदेश के अन्दर अथवा प्रदेश के बाहर किसी भी मण्डी में विक्रय के लिए स्वतन्त्र होगा। उत्पादक पर कोई भी मण्डी शुल्क तथा विकास सेस न तो आरोपित किया जायेगा न ही उद्ग्रहीत किया जायेगा।

आलू उत्पादक/विक्रेता द्वारा मण्डी शुल्क एवं विकास सेस से छूट प्राप्त करने के लिए यदि स्वयं आलू का परिवहन किया जाता है, तो उसे आलू परिवहन करने के समय अपने साथ खसरा एवं खतौनी, की सत्य प्रतिलिपि तथा परिवहन बिल्टी के मूल प्रपत्र तथा यदि कोल्ड स्टोरेज से निर्गमन किया गया आलू परिवहन किया जा रहा, ऐसी स्थिति में कोल्ड स्टोरेज की निर्गमन रसीद साथ में रखना अनिवार्य होगा।

उत्पादक विक्रेता द्वारा भाड़ा अनुदान प्राप्त करने के लिए खसरा एवं खतौनी के साथ बैंक खाते का विवरण जिसमें बैंक का नाम, खाता संख्या तथा आई0एफ0एस0सी0 कोड के साथ सम्बन्धित मण्डी समिति से इस उद्देश्य के लिए निःशुल्क गेटपास प्राप्त करना होगा। प्रेष्य मण्डी समिति में पारेषण पहुचने पर वहॉ से प्रवेश पर्ची प्राप्त करके, भाड़ा अनुदान के दावे के रूप में सम्बन्धित मण्डी समिति में प्रस्तुत करना होगा।

भाड़ा अनुदान सम्बन्धित मण्डी समिति द्वारा आर0टी0जी0एस0 या नेफ्ट के माध्यम से प्रेषक उत्पादक के खाते में भुगतान किया जायेगा।

5. उक्त के क्रम में प्रदेश मे आलू उत्पादको व व्यापारियों को आलू विपणन हेतु परिवहन भाड़ा अनुदान व प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया अपनायी जायेगी।

1. उत्पादक के सम्बन्ध में–

(अ) (अ) आलू उत्पादक/विक्रेता को आलू परिवहन करते समय निम्न अभिलेख साथ रखना अनिवार्य होगा:–

1. खसरा–खतौनी की सत्य प्रतिलिपि।
2. बिल्टी के मूल प्रपत्र।
3. यदि कोल्ड स्टोरेज से निर्गमन किया गया आलू का परिवहन किया जा रहा है तो कोल्ड स्टोरेज की निकासी रसीद।
4. इस योजना के अन्तर्गत आलू परिवहन करने पर मण्डी समिति से निःशुल्क गेटपास प्राप्त करना होगा जिस पर मण्डी समिति द्वारा "आलू परिवहन भाड़ा अनुदान योजना–2018–2019" का स्टैम्प एवं हस्ताक्षर होगा।

मण्डी समिति द्वारा इस योजना के अन्तर्गत उत्पादक को जारी होने वाले गेटपास व आने वाले आलू का विवरण पृथक से जावक रजिस्टर पर अंकित किया जाएगा तथा सभी अभिलेख क्रमबद्ध ढंग से संकलित करने होगें।

(ब) आलू उत्पादक/विक्रेता द्वारा परिवहन भाड़ा अनुदान व प्रोत्साहन प्राप्त करने हेतु दावे के साथ निम्न अभिलेख/सूचनायें देनी होगी–

1. खसरा–खतौनी की अद्यतन प्रति।
2. उत्पादक/किसान के बैंक खाते का विवरण जैसे–बैंक का नाम, खाता संख्या तथ आई0एफ0एस0 सी0 कोड आदि।
3. प्रेष्य मण्डी समिति में पारेषण आलू पहुँचने पर वहाँ की सें मण्डी समिति की प्रवेश प प्राप्त करके दावे के साथ प्रस्तुत करना होगा।
4. उत्पादक को परिवहन भाड़ा अनुदान प्राप्त करने हेतु सचिव मण्डी समिति को उपरोक अभिलेख परिवहन तिथि से 30 दिवस के भीतर सम्बन्धित मण्डी समिति को प्रस्तुत क होगें तथा सचिव, मण्डी समिति द्वारा उत्पादकों के प्रस्तुत दावों को 10 दिवस के भी निस्तारण करते हुए अभिलेखीय परीक्षण के उपरान्त भाड़ा अनुदान सम्बन्धी आदेश पा किया जायेगा।
5. भाड़ा अनुदान सम्बन्धित मण्डी समिति द्वारा आर0टी0जी0एस0 या नेफ्ट के माध्यम से दिवस में उत्पादक के खाते में भुगतान किया जायेगा।
6. उपनिदेशक(प्रशासन/विपणन), मण्डी परिषद द्वारा न्यूनतम 05प्रतिशत प्रकरणों आकस्मिक निरीक्षण किया जायेगा।

2. व्यापारियों के सम्बन्ध में–

(अ) आलू व्यापारियों द्वारा मण्डी शुल्क व विकास सेस से छूट एवं भाड़ा अनुदान प्राप्त करने योजनान्तर्गत आलू भेजते समय निर्धारित प्रक्रिया अपनायी जायेगी–

1. आलू व्यापारियों द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में उत्पादित आलू के राज्य के अन्दर आ बाहर विपणन हेतु प्राथमिक आलू परिवहन करने पर इस योजना के अन्तर्गत मण्डी शु एवं विकास सेस से छूट प्रदान की जायेगी।
2. इसके लिए सम्बन्धित व्यापारी को प्रपत्र–5 में विशेष उल्लेख के साथ मण्डी समिति गेटपास के लिए आवेदन किया जायेगा।

(2) आलू के निर्यात के लिए मण्डी परिषद द्वारा घोषित भाड़ा अनुदान तथा ब्राण्ड प्रमोशन की व्यवस्था यथावत् प्रभावी रहेगी। इसके साथ निर्यातित आलू पर मण्डी शुल्क एवं विकास सेस से छूट अनुमन्य होगी।

(3) इस नीति का प्रचार प्रसार एवं बायर सेलर मीट का आयोजन सम्बन्धित विभागों के सहयोग से मण्डी परिषद द्वारा किया जायेगा।

(4) उक्त प्रोत्साहन व्यवस्था शासनादेश निर्गत होने की तिथि से दिनांक 30.09.2019 तक प्रभावी रहेगी।

अतः उत्पादकों एवं व्यापारियों द्वारा विपणन किये गये आलू परिवहन भाड़ा अनुदान दावों के निस्तारण के सम्बन्ध में उल्लिखित निर्देशों एवं अनुदान की प्रकिया के विषय में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नक :यथोक्त।

12/2/19

(रमाकान्त पाण्डेय)
निदेशक

पृष्ठांकन पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. विशेष सचिव, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार अनुभाग-1,उ0प्र0 शासन को उनके पत्रांक:267/80-1-2019 -600 (12)/2009 दिनांक:11.06.2019 के कम में सूचनार्थ प्रेषित।
2. समस्त समस्त सचिव, कृषि उत्पादन मण्डी समितियॉ, उत्तर प्रदेश को उक्त शासनादेश की प्रति इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त आदेश का अनुपालन तत्काल सुनिश्चित कराये।

12/2/19

निदेशक

मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में आलू उत्पादक किसानों की समस्याओं के निराकरण के सम्बन्ध में दिनांक 25 जून, 2019 को लोक भवन के सभा कक्ष में आयोजित बैठक की कार्यवृत्ति:-

बैठक में उपस्थिति विवरण संलग्न।

मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अनुमति से बैठक प्रारम्भ हुई। प्रमुख सचिव, कृषि के द्वारा बैठक के आयोजन के सम्बन्ध में संक्षिप्त रूप रेखा प्रस्तुत की गयी। डा0 आर0 के0 तोमर, संयुक्त निदेशक/उप निदेशक (आलू) द्वारा बैठक में प्रदेश में आलू की स्थिति के सम्बन्ध में प्रस्तुतीकरण किया।

संज्ञान में लाया गया कि प्रदेश में वर्ष 2018-19 में 6.10 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में लगभग 147.77 लाख मिट्रिक टन आलू का उत्पादन है। प्रदेश के कुल उत्पादन में खाने में 75.00 लाख मिट्रिक टन, प्रसंस्कृत उत्पाद तैयार करने में 10.00 लाख मिट्रिक टन, आलू के बीज के रूप में 20.00 लाख मिट्रिक टन का उपयोग किया जाता है। शेष 40 से 45 लाख मिट्रिक टन सरप्लस आलू, प्रदेश के बाहर तथा देश के बाहर विक्रय हेतु भेजा जाता है।

वर्ष 2019 में 121.99 लाख मिट्रिक टन आलू शीतगृह में भण्डारित है। आलू की निकासी बाजार भाव के अनुरूप घटती-बढ़ती रहती है। माह जून, 2019 में आलू के थोक औसत बाजार भाव 850 859 प्रति कुन्तल है, जो गत वर्ष की तुलना में कम है।

2. बैठक में विचार-विमर्श के उपरान्त कृषकों को आलू उत्पादन का उचित मूल्य मिले, इसके लिए उपयुक्त कार्य योजना तैयार की जाय। यह कार्य योजना अल्प कालीन एवं दीर्घ कालीन बनायी जाय। इस योजना को तैयार करने के लिए निम्न निर्देश दिये गये:-

2.1 अल्प कालीन-

2.1.1 प्रदेश में आलू उत्पादकों, व्यापारियों को परिवहन भाड़े पर शासनदेश दिनांक 11 जून, 2019 द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं को दिनांक 30 सितम्बर, 2019 तक के लिए लागू किया जाय। यदि आवश्यकता महसूस की जाती है तो इसके बढ़ाये जाने पर विचार किया जाय।

2.1.2 प्रदेश एवं देश से बाहर आलू भेजे जाने हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाय एवं उपयुक्त स्थानों पर बायर सेलर मीट का आयोजन किया जाय।

2.1.3 मध्यान्ह भोजना योजना में आलू के उपयोग को बढ़ाया जाय।

2.1.4 बाढ़ एवं सूखे की स्थिति में आलू उपयोग को बढ़ावा दिया जाय।

2.2 दीर्घ कालीन-

2.2.1 प्रसंस्करण के लिए उपयुक्त प्राजातियों के बीज उत्पादन को प्रोत्साहित किया जाय।

2.2.2 एपीडा से समन्वय स्थापित कर आलू निर्यात को बढ़ावा देने हेतु "पेस्ट फ्री जोन" का निर्धारण।

2.2.3 आलू आधारित प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु विशेष प्रोत्साहन पर विचार करना।

2.2.4 बाजार हस्तक्षेप योजना प्रभावी करने के पूर्व आलू क्रय से सम्बन्धित विभिन्न पहलुओं जैसे- क्रय एजेन्सी, क्रय केन्द्र, दर आदि का निर्धारण पूर्व में निर्धारित कर लिया जाय।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

अमित मोहन प्रसाद
प्रमुख सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
उद्यान अनुभाग
संख्या-1271/58-2019-100(1)/2017
लखनऊः दिनांक 05 जुलाई, 2019

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
2- प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- प्रमुख सचिव, राजस्व, अभाव एवं दैवी आपदा, उ0प्र0 शासन।
4- प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा, उ0प्र0 शासन।
5- प्रमुख सचिव, माध्यमिक शिक्षा, उ0प्र0 शासन।
6- प्रमुख सचिव, बाल विकास एवं पुष्टाहार, उ0प्र0 शासन।
7- प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद विभाग, उ0प्र0 शासन।
8- प्रमुख सचिव, कृषि विपणन एवं विदेश व्यापार, उ0प्र0 शासन।
9- राहत आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
10- आयुक्त, खाद्य एवं रसद, उ0प्र0 शासन।
11- निदेशक, मण्डी परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
12- निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
13- निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
14- निदेशक, बेसिक शिक्षा, उ0प्र0, लखनऊ।
15- निदेशक, बाल विकास एवं पुष्टाहार, उ0प्र0, लखनऊ।
16- निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण, तृतीय तल, अपट्रान भवन, लखनऊ।
17- निदेशक, कृषि विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
18- प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0एग्रो, लखनऊ।
19- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पी0सी0एफ0, लखनऊ।
20- प्रबन्ध निदेशक, नैफेड, लखनऊ।
21- प्रबन्ध निदेशक, हॉफेड, लखनऊ।
22- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य उपभोक्ता सहकारी संघ लि0, सहकारिता भवन, लखनऊ।
23- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 उपभोक्ता सहकारी संघ लि0, बालाकदर रोड, लखनऊ।
24- क्षेत्रीय प्रबन्धक, एन.सी.सी.एफ. लखनऊ।
25- अध्यक्ष, कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन, लखनऊ।
26- गार्ड बुक।

भवदीया,
(इन्दुबाला कटियार)

महत्वपूर्ण

संख्या– 267/80–1–2019–600(12)/2009

प्रेषक,

ममता यादव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
मण्डी परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार अनुभाग–1 लखनऊ: दिनांक 11 जून, 2019

विषय:–प्रदेश में आलू उत्पादकों, व्यापारियों व निर्यातकों को आलू विपणन हेतु परिवहन भाड़ा अनुदान व प्रोत्साहन के सम्बन्ध में।

महोदय,

आलू उत्पादक कृषकों की समस्याओं के निराकरण एवं आलू के बाजार मूल्य को स्थायित्व प्रदान करनें के लिए शासन द्वारा आलू के विपणन को प्रोत्साहित करने हेतु हस्तक्षेप करने का निर्णय लेते हुए वर्ष 2016–2017 में उत्पन्न आलू के विपणन को राज्य की सीमा के अन्दर व राज्य के बाहर प्रोत्साहित करने के लिए शासनादेश संख्या–1200/80–1–2017–600(12)/2009, दिनांक 18 जुलाई, 2017) द्वारा निर्देश निर्गत किये गये थे, जो दिनांक 31.12.2017 तक ही प्रभावी था। अतः संदर्भित शासनादेश दिनांक 18.07.2017 को अवक्रमित करते हुए बाजार हस्तक्षेप योजना के अन्तर्गत वर्ष–2018–19 में उत्पादित आलू के विपणन को राज्य की सीमा के अन्दर व राज्य के बाहर प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित निर्देश निर्गत किये जाते हैं:–

(1) उत्तर प्रदेश राज्य में आलू उत्पादक जनपदों के सापेक्ष अन्य जनपदों में आलू के तुलनात्मक रूप से अधिक बाजार मूल्य के दृष्टिगत राज्य की सीमा के अन्दर तथा प्रदेश के बाहर आल उत्पादकों को 150 कि0मी0 तथा आलू व्यापारियों को 300 कि0मी0 से अधिक दूरी के परिवह एवं विपणन किये जाने पर वास्तविक रूप से व्यय किये गये परिवहन भाड़े पर अनुदान प्रदा किया जायेगा।

(2) प्रस्तर–(1) के अनुसार राज्य के अन्दर व राज्य के बाहर प्रेषित किये जानें एवं विपणन कर पर रू0 50.00 प्रति कुन्तल की दर से अथवा वास्तविक रूप से व्यय किये गये परिवहन भा का 25 प्रतिशत, जो भी कम हो की दर से परिवहन भाड़ा अनुदान सम्बन्धित मण्डी समि द्वारा प्रदान किया जायेगा।

(3) उपरोक्तानुसार विपणन किये गये आलू पर मण्डी शुल्क व विकास सेस की छूट प्रदान की जायेगी।

(4) मण्डी अधिनियम की धारा-2(क) में दी गयी व्यवस्था के अनुसार उत्पादक अपनी उपज प्रदेश के अन्दर अथवा प्रदेश के बाहर किसी भी मण्डी में विक्रय के लिए स्वतन्त्र होगा। उत्पादक पर कोई भी मण्डी शुल्क तथा विकास सेस न तो आरोपित किया जायेगा न ही उद्ग्रहीत किया जायेगा।

आलू उत्पादक/विक्रेता द्वारा मण्डी शुल्क व विकास सेस से छूट प्राप्त करने के लिए यदि स्वयं आलू का परिवहन किया जाता है, तो उसे आलू परिवहन करते के समय अपने साथ खसरा एवं खतौनी की सत्य प्रतिलिपि तथा परिवहन बिल्टी के मूल प्रपत्र तथा यदि कोल्ड स्टोरेज से निर्गमन किया गया आलू परिवहन किया जा रहा है, ऐसी स्थिति में कोल्ड स्टोरेज की निर्गमन रसीद साथ में रखना अनिवार्य होगा।

उत्पादक विक्रेता द्वारा भाड़ा अनुदान प्राप्त करने के लिए खसरा एवं खतौनी के साथ बैंक खाते का विवरण जिसमें बैंक का नाम, खाता संख्या तथा आई0एफ0एस0सी0 कोड के साथ सम्बन्धित मण्डी समिति से इस उद्देश्य के लिए निःशुल्क गेटपास प्राप्त करना होगा। प्रेष्य मण्डी समिति में पारेषण पहुँचने पर वहाँ से प्रवेश पर्ची प्राप्त करके, भाड़ा अनुदान के दावे के रूप में सम्बन्धित मण्डी समिति में प्रस्तुत करना होगा।

भाड़ा अनुदान सम्बन्धित मण्डी समिति द्वारा आर0टी0जी0एस0 या नेफ्ट के माध्यम से प्रेषक उत्पादक के खाते में भुगतान किया जायेगा। निःशुल्क गेटपास जारी करने तथा भुगतान की प्रक्रिया सम्बन्धित विस्तृत निर्देश मण्डी निदेशक द्वारा पृथक से जारी किये जायेगें।

(5) आलू व्यापारियों द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में उत्पादित आलू के राज्य के अन्दर अथवा बाहर विपणन हेतु प्राथमिक आलू परिवहन करने पर इस योजना के अन्तर्गत मण्डी शुल्क एवं विकास सेस से छूट प्रदान की जायेगी। इसके लिए सम्बन्धित व्यापारी को प्रपत्र-5 में विशेष उल्लेख के साथ मण्डी समिति को गेटपास के लिए आवेदन किया जायेगा जिसके साथ परिवहन की बिल्टी तथा कोल्ड स्टोरेज से निर्गमन की स्थिति में कोल्ड स्टोरेज की निकासी पर्ची तथा तौल पर्ची के साथ प्रपत्र-9 प्रस्तुत किया जायेगा। मण्डी समिति द्वारा इस योजना के अन्तर्गत जारी गेटपासों का विवरण पृथक से अनुरक्षित किया जायेगा।

भाड़ा अनुदान का दावा प्रस्तुत करने के लिए व्यापारी को प्रेष्य मण्डी समिति की प्रवेश पर्ची तथा प्राप्त भुगतान का विवरण पारेषणवार प्रस्तुत करना होगा। भाड़ा अनुदान का भुगतान आर0टी0जी0एस0 या नेफ्ट के माध्यम से सम्बन्धित मण्डी समिति द्वारा किया जायेगा। निदेशक, मण्डी परिषद द्वारा इस सम्बन्ध में पृथक से प्रक्रिया सम्बन्धी निर्देश जारी किये जा सकते हैं।

(6) आलू के विपणन के लिए मण्डी अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत मण्डी उप स्थल, डायरक्टर मार्केटिंग अथवा प्राइवेट मण्डी की घोषणा भी नियमानुसार की जा सकती है।

-3-

(7) आलू के निर्यात के लिए मण्डी परिषद द्वारा घोषित भाड़ा अनुदान तथा ब्राण्ड प्रमोशन की व्यवस्था यथावत प्रभावी रहेगी। इसके साथ निर्यातित आलू पर मण्डी शुल्क एवं विकास सेस से छूट अनुमन्य होगी।

(8) इस नीति का प्रचार प्रसार एवं बायर–सेलर मीट का आयोजन सम्बन्धित विभागों के सहयोग से मण्डी परिषद द्वारा किया जायेगा।

उक्त प्रोत्साहन व्यवस्था शासनादेश निर्गत होने की तिथि से 31 दिसम्बर, 2019 तक प्रभावी रहेगी। आलू के विपणन/परिवहन में दिये जाने वाले अनुदान पर आने वाला व्ययभार मण्डी परिषद द्वारा अपने आय के स्रोतों से वहन किया जायेगा। कृपया उक्त विपणन प्रोत्साहन एवं अनुदान व्यवस्था लागू किये जाने के सम्बन्ध में मा0 संचालक मण्डल का अनुमोदन प्राप्त करते हुए नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीया,

Mamta Yadav
11/6/19

(ममता यादव)
विशेष सचिव

संख्या–287(1)/80–1–2019तद्दिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

(1) कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
(2) प्रमुख सचिव, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(3) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उद्यान विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(4) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, सहकारिता विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(5) गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(समर बा
अनु स

राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उत्तर प्रदेश
किसान मण्डी भवन, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ
दूरभाषः 0522–2720383, 384, 405, 137, 138, 139
फैक्स –0522–2720056

पत्रांकः–विप0–2/(का0न0चा0नि0–162)/2015–1207 दिनांकः 01.05.2016

–: आदेश :–

मा0 संचालिक मण्डल मण्डी परिषद की 146वीं बैठक दिनांक 31.05.2014 के मद संख्या–9 पर ब्राण्डेड काला नमक राईस के निर्यात हेतु ब्राण्ड प्रमोशन एवं भाड़ा साहयता अनुदान दिये जाने के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव पर निम्नलिखित निर्णय लिया गया था।

"काला नमक चावल "(राइस) ब्राण्ड का नाम अनुमोदित किया गया। उत्तर प्रदेश से ब्राण्डेड काला नमक चावल (राइस) के निर्यात को बढ़ावा दिये जाने हेतु रू0 0.50 (पचास पैसे मात्र) प्रति कि0ग्रा0 एवं भाड़ेमें सहायता हेतु रू0 2.00 (दो रूपये मात्र) प्रति कि0ग्रा0 ब्राण्ड प्रमोशन दिये जाने तथा ब्राण्ड प्रमोशन एवं भाड़ा साहयता अनुदान निर्यात प्रोत्साहन नियमावली 2014 अनुमोदित किया गया।

मा0 संचालक मण्डल मण्डी परिषद के उपरोक्त निर्णय को लागू किये जाने हेतु परिषद पत्रांक विप0:2(चावल नियमा0–182)/2014–928 दिनांक 08.09.2014 द्वारा शासन से अनुमति मांगी गयी थी, जिसके क्रम में शासन के पत्र संख्या–945/00–1–2016–600(40)/2014 दिनांक 26.03.2015 द्वारा अवगत कराया गया कि ण्डी परिषद के संचालक मण्डल की 148वीं बैठक दिनांक 31.05.2014 के मद संख्या–9 पर लिये गये निर्णय में शासन से अनुमति लिये जाने का कोई यथउल्लेख न होने के कारण प्रकरण में अनुमति दिये जाने का कोई औचित्य नहीं है सभा प्रकरण में संचालक मण्डल मण्डी परिषद की 146 वीं बैठक दिनांक 31.06.2014 को मद संख्या–9 पर लिये गये निर्णय के अनुक्रम में अपने स्तर से नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये है। अतः मा0 परिषद के निर्णय एवं तद्क्रम में शासन से प्राप्त निर्देशों के क्रम में उत्तर प्रदेश से ब्राण्डेड काला नमक चावल को ब्राण्ड प्रमोशन एवं भाड़ा सहायता अनुदानदिये जाने के सम्बन्ध में निम्नलिखित शर्ता/प्रतिबिन्धों के अधीन निर्यात प्रोत्साहन विनियमावली, 2014 लागू की जाती हैः–

उत्तर प्रदेश से ब्राण्डेड काला नकम चावल के निर्यात हेतु ब्राण्ड प्रमोशन एवं भाड़ा सहायता
अनुदान दिये जाने के सम्बन्ध में निर्यात प्रोत्साहन विनियमावली, 2014

संक्षिप्त नामः–

(1). यह नियमावली मण्डी परिषद "काला नमक राइस निर्यात निर्यात प्रोत्साहन विनियमावली 2014" कहलायेगी।

(2) पूर्व प्रवृत्त तत्सम्बन्धी नियम व आदेशों को अतिक्रमित करते हुए यह विनियमावली 2014" कहलायेगी।

2 परिभाषा–

1. निर्यात– का तात्पर्य काला नमक राइस का भारत से बाहर निर्यात करने से है। इसके अन्तर्गत ऐसे उत्पादक द्वारा जो स्वयं कृषि उत्पादन करें या पारिश्रमिक पर रखे गये श्रमिकों के मण्यम से उत्पादन करें, द्वारा किये गये भारत से बाहर निर्यात भी है।
2. भाड़ा– का तात्पर्य वायु/समुद्री मार्ग/चल मार्ग से भार से बाहर भेजे गये "काला नमक राइस" के सम्बन्ध में एयर लाइन्स/समुद्री जहाज/ट्रान्सपोर्टर कम्पनी द्वारा निर्यातक से भाड़े के रूप में वसूल की गयी धनराशि से है।
3. "उत्पादक"– उत्पादक का तात्पर्य उ0प्र0 कृषि उत्त्पादन मण्डी अधिनियम,1964 की धारा–2(त) में वर्णित परिभाषा है।
4. ब्राण्ड– ब्राण्ड का तात्पर्य उत्तर प्रदेश में उत्पादित "काला नमक राइस" की प्रजातियां के संबंध में 5.29 मि0मी0 लम्बाई एवं 1.97 मि0मी0 चौड़ाई में पैदा होने वाले अथवा आयातक देश द्वारा निर्धारित चुने विशिष्टयों के अनुसार गुणवत्ता के चावल से है।

5. भाडे से सहायता– उ0प्र0 में उत्पादित होने वाले काला नमक राइस ब्राण्ड की हवाई/समुद्री/थल मार्ग से भारत से बाहर गैर रूपया मुद्रा (INR) से निर्यात किये जाने की दशा में रू0 2.00 (रू0 दो रूपये मात्र) प्रति किलोग्राम की दर हेतु परिवहन अनुदान देय होगा।
6. ब्राण्ड प्रमोशन – उत्तर प्रदेश से ब्राण्ड के अन्तर्गत "काला नमक राइस" का निर्यात भारत से बाहर गैर रूपया मुद्रा (INR) में करने वाले निर्यातक को रू0 0.50 (पचास पैसे मात्र) प्रति ब्राण्ड प्रमोशन अनुदान देय होगा।

3. शर्ते–

(1) उत्पादक के निर्यात की दशा में उसे निर्यात से एवं सम्बन्धित मण्डी समिति को निर्यात के सम्बन्ध से सूचना निर्धारित प्रारूप "क" पर एवं गैर उत्पादक–निर्यातक को सम्बन्धित मण्डी समिति साथ ही उन्हे भी निर्धारित प्रारूप "ख" का निर्यात से पूर्व मण्डी समिति को सूचना देना अनिवार्य होगा।

(2) निर्यातक को अन्य सम्बन्धित निकायों से लाइसेन्स/पंजीकरण लेना अनिवार्य होगा।

(3) निर्यातक को आयात कर्ता देश के निर्यात में निर्धारित सोसीफिकेशन एवं प्राइटोसेनेटरी मानको का पालन करना अनिवार्य होगा।

4. भाड़े में सहायता एवं ब्राण्ड प्रमोशन सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया करने की प्रक्रिया–भाड़ा सहायता एवं ब्राण्ड प्रमोशन प्राप्त करने के लिए निर्धारित प्रारूप पर सम्बन्धित मण्डी समिति के कार्यालय में निम्नलिखित अभिलेखो केसाथ प्रार्थना पत्र देना होगा–

(क) निर्यात हेतु बन्दरगाह/हवाई अडडे/रेलवे स्टेशन तक भाड़े की रसीद एवं रेलवे रसीद/समुद्री भाड़े/वायुयान भाड़ा अथवा थल मार्ग से वाहन भाड़े की रसीद।
(ख) मण्डी समिति का प्रपत्र–9, गेटपास निर्यात लाइसेन्सी की दशा में।
(ग) कामर्शियल इनवाइस एवं उत्पाद की पैकिंग लिस्ट।
(घ) बिल आफ लैण्डिंग।
(ड) सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत कल्साइन्मेन्ट के प्लइटोसेनेटरी प्रमाण–पत्र की प्रतिलिपि।
(च) आयातक द्वारा एकाउण्ट से स्टेटमेन्ट/बैंकऐअलाइजेशन सर्टिफिकेट्स।
(छ) निर्यातक का आई0ई0सी0 प्रमाण पत्र।
(ज) पैन नम्बर।

4. सहायता की स्वीकृति–

सम्बन्धित सचिव, मण्डी समिति एवं उपनिदेशक (प्रशासन/विपणन) की संस्तुति पर परिवहन भाड़ा एवं ब्राण्ड प्रमोशन सहायता की स्वीकृति निदेशक, मण्डी परिषद द्वारा की जायेगी। स्वीकृत धनराशि का भुगतान एकाउण्ट पेई चक्र के माध्यम से किया जायेगा। सहायता धनराशि निर्यात फैसिलिटेशन से वहन की जायेगी।

5. दावा प्रस्तुत करने की अवधि–

दावा प्रस्तुत करने की सीमा निर्यात के दिनांक से 365 दिन होगी। प्रार्थना पत्र दिये जाने दावा प्रस्तुत करने की यह अवधि सम्बन्धित उपनिदेशक (प्रशासन/विपणन) द्वारा संस्तुति किये जाने पर निदेशक मण्डी परिषद द्वारा अधिसप्तम निर्यात की दिनांक से 640 दिन में किया जा सकेगा।

6. मण्डी अधिनियम,, 1964, नियमावली, 1665.....होना–

इस विनियमावली के प्रावधानों में अनुकूल मण्डी अधिनियम/नियमावली/..... शासनादेश यथावश्यक लागू होगें।

7. कठिनाई निराकरण–

इस विनियमावली के लागू होने में आने वाली कठिनाइयां के निराकरण करने का अधिकार निदेशक, मण्डी परिषद में निहित होगा तथा विवाद की स्थिति में निदेशक का निर्णय अन्तिम होगा।

(डा0 अनूप यादव)
मण्डी निदेशक

पृष्ठांकन एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपिः– अधोलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. विशेष सचिव, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार अनुभाग–1 उ0प्र0 शासन।
2. वित्त नियंत्रक, मण्डी परिषद, लखनऊ।
3. समस्त उपनिदेशक (प्रशासन/विपणन), मण्डी परिषद उत्तर प्रदेश।
4. समस्त सभापति/सचिव, कृषि उत्पादन मण्डी समितियां, उत्तर प्रदेश।
5. गार्ड फाईल।

मण्डी निदेशक

21

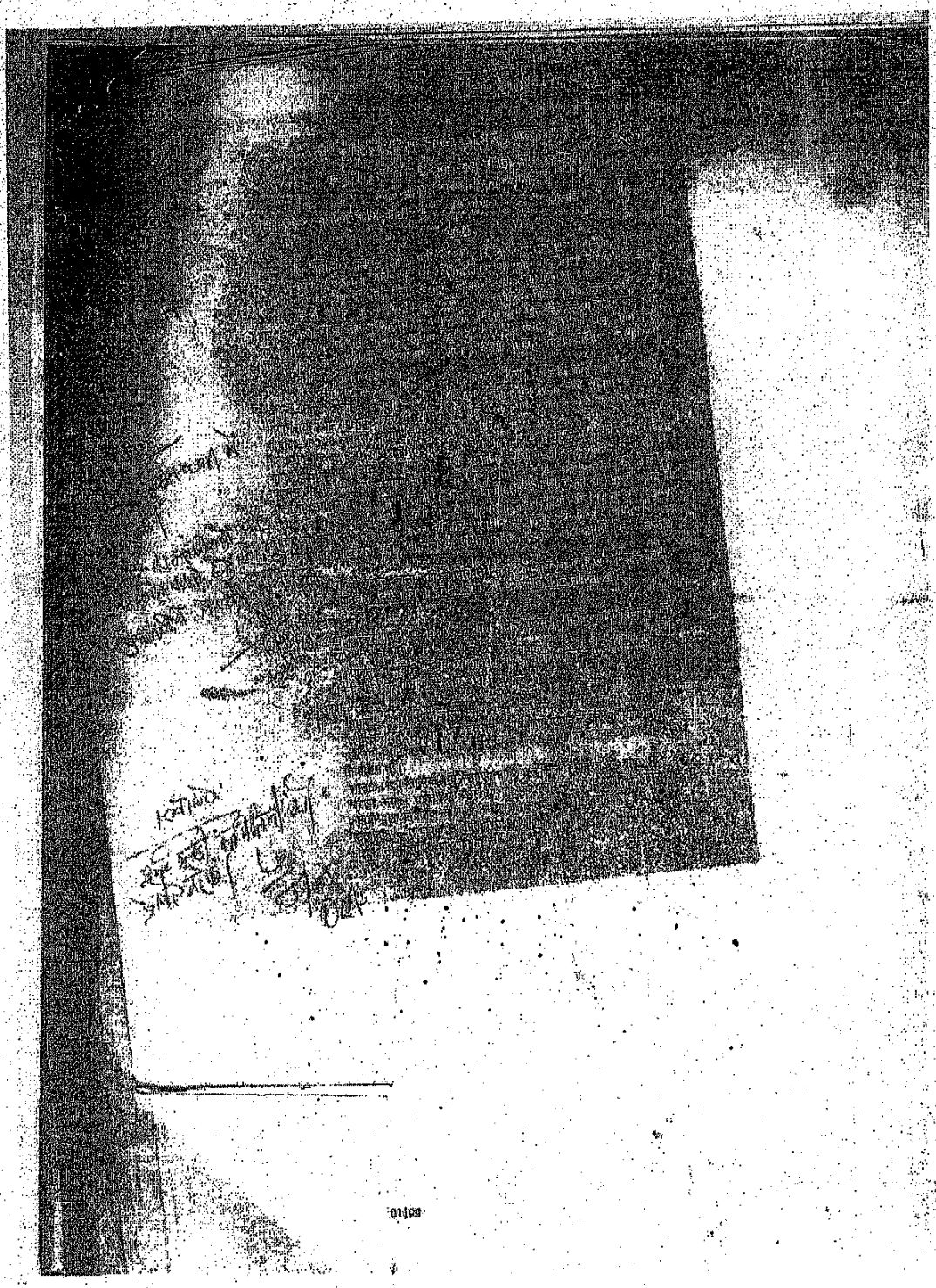

http://mpmb.in/uploaded/101_01.jpg

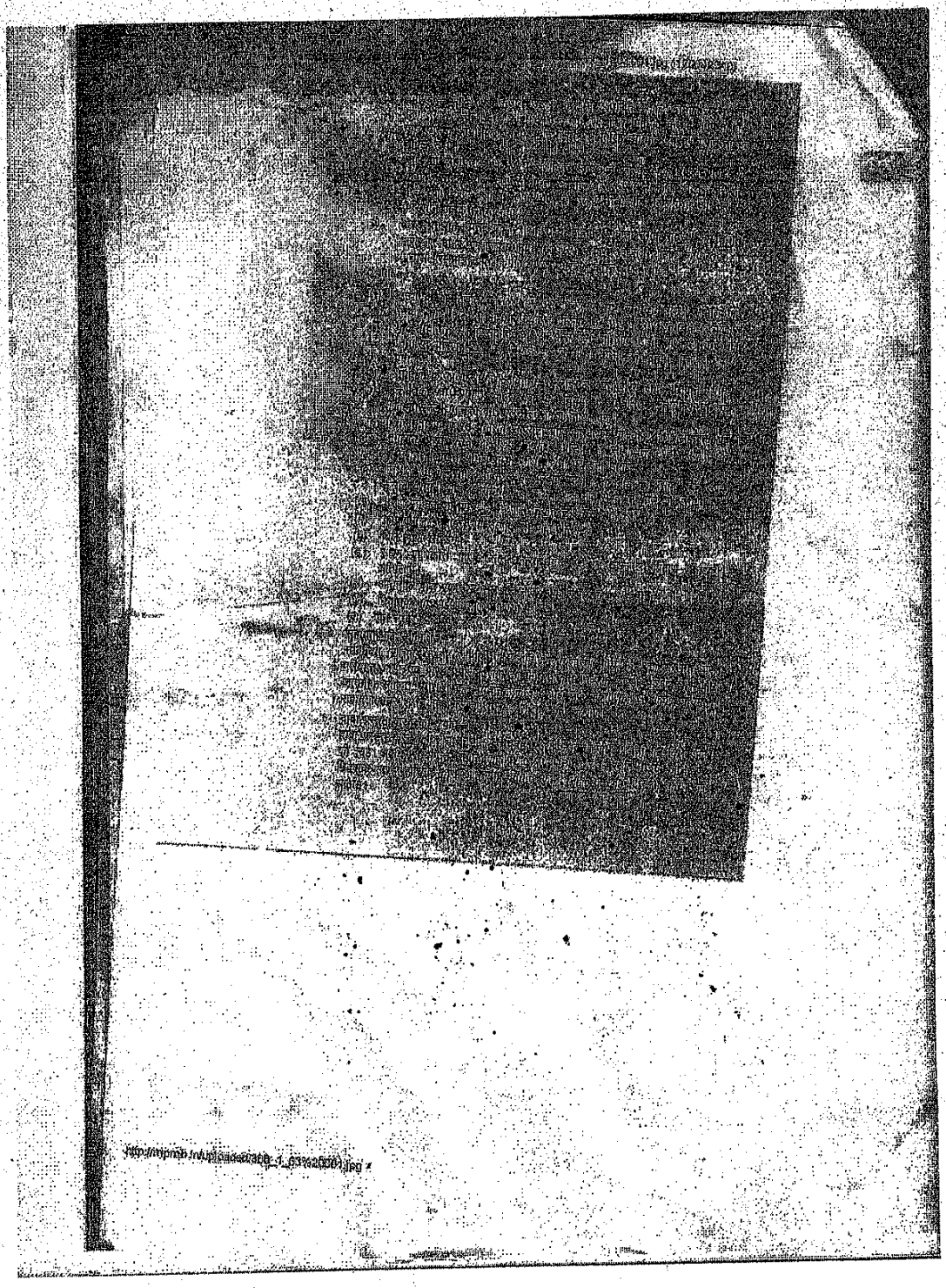

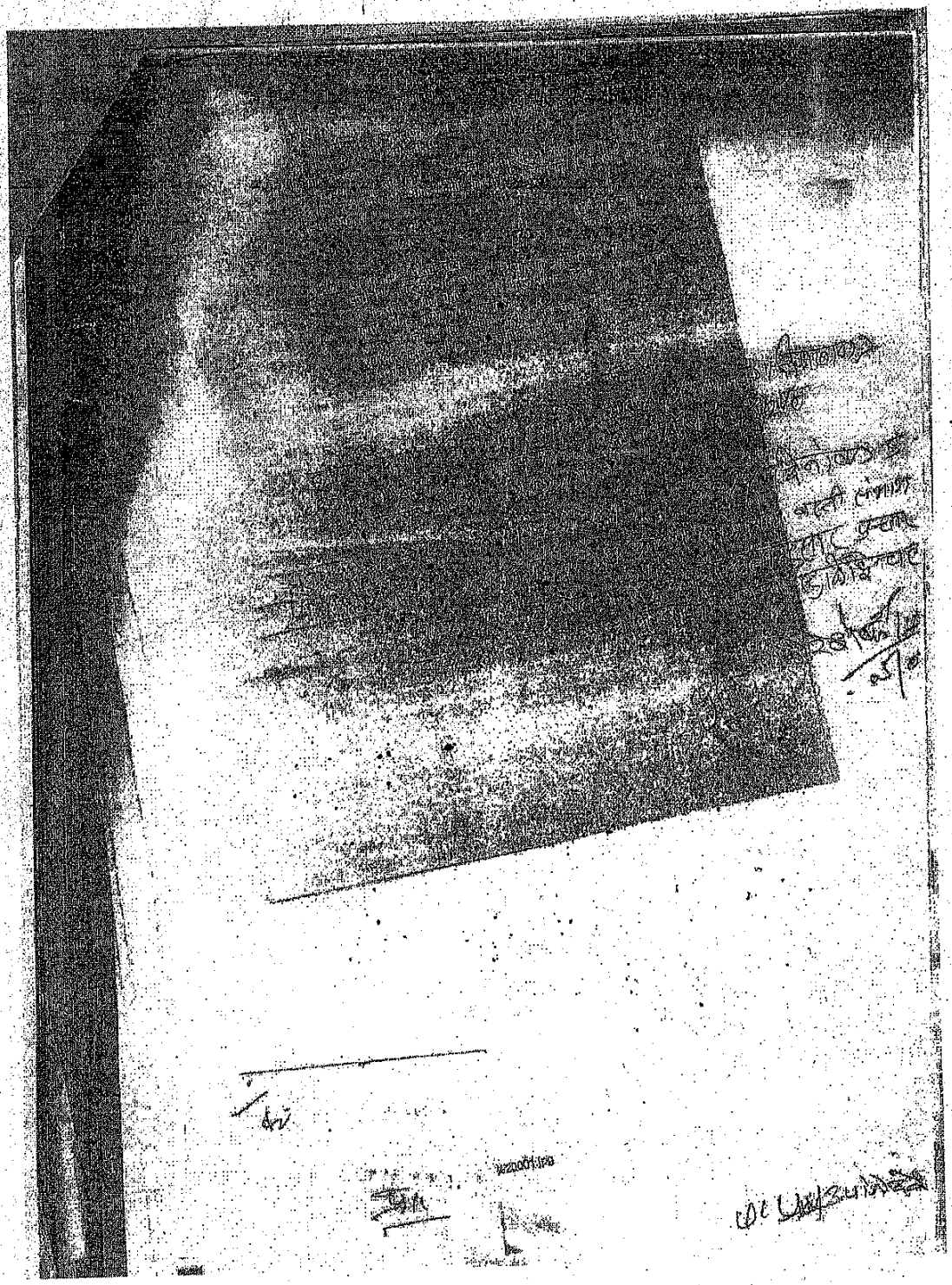

राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उत्तर प्रदेश
किसान मण्डी भवन, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ
दूरभाषः 0522–2720383, 384, 405, 137, 138, 139 फैक्स
–0522–2720056

पत्रांक–विप0–2/(प्ला0केट्स/शीट्स–206)/2019–1691 दिनांक 16/4/2019

समस्त उपनिदेशक(प्रशा0/विप0)
मण्डी परिषद उत्तर प्रदेश।

पोस्ट हार्वेस्ट को न्यून करने तथा इसके द्वारा किसानों की आय में वृद्धि के हित में मण्डी समिति द्वारा निःशुल्क प्लास्टिक केट्स/प्लास्टिक शीट उपलब्ध कराये जाने हेतु मा0 संचालक मण्डल की 155वीं बैठक दिनांक 24.07.2018 में मा0 परिषद द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में परिषद पत्रांक–विप0–2/परिषद बैठक अनुपालन/2018–1432 दिनांक 02.11.2018 एवं पत्रांक–विप0–2/(प्लास्टिक केट्स/शीट)/2019–1623 दिनांक 18.02.2019 द्वारा दिशा–निर्देश निर्गत किये गये हैं।

मा0 संचालक मण्डल द्वारा प्लास्टिक केट्स/प्लास्टिक शीट के सम्बन्ध में दिनांक 07.03.2019 को सम्पन्न 156वीं बैठक में पारित प्रस्ताव की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। इस विषय में अग्रेतर कार्यवाही निर्वाचन प्रक्रिया सम्पन्न होने के उपरान्त नियमानुसार सम्पादित की जाए।

संलग्नक–यथोपरि।

15/4/19.
(रमाकान्त पाण्डेय)
निदेशक

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार
प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– वित्त नियंत्रक, मण्डी परिषद, मुख्यालय।
2– समस्त सभापति/सचिव, कृषि उत्पादन मण्डी समिति, उत्तर प्रदेश।
3– व्यवस्थाधिकारी, मण्डी परिषद मुख्यालय।

(जितेन्द्र प्रताप सिंह)
अपर निदेशक(प्रशासन)

राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उत्तर प्रदेश

किसान मण्डी भवन, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ

पत्रांक–विप0–2/परिषद बैठक अनुपालन/2018–1432 दिनांक–02.11.2018

समस्त उप निदेशक (प्रशासन/विपणन)

मण्डी परिषद, उत्तर प्रदेश।

पोस्ट हार्वेस्ट को न्यून करने तथा इसके द्वारा किसानों की आय में वृद्धि के हित में मण्डी समिति द्वारा निःशुल्क प्लास्टिक केटस/प्लास्टिक शीट उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव मा0 संचालक मण्डल की 155वीं बैठक दिनांक 24.07.2018 में रखा गया। मा0 परिषद के निर्णय के क्रम में मण्डी समितियों माध्यम से फल–सब्जियों को रखने हेतु लगभग 20 किलो धारिता के प्लास्टिक केटस एवं किसानों के मण्डी स्थल में ढेरी के नीचे बिछाने के लिए प्लास्टिक शीट (10फीटX10फीट) का क्रय एवं वितरण किया जाना है। प्लास्टिक केटस एवं प्लास्टिक शीट के सम्बन्ध में निम्न कार्यवाही संभाग स्तर पर की जानी है:

1. **प्लास्टिक केट्स के मानक का विवरण:–**

   लम्बाई लगभग 540 मिली0 मी0, चौड़ाई लगभग 360 मिली मी0

   ऊँचाई लगभग 290 मिली मी0, वजन न्यूनतम लगभग 1.5 किलो।

   केटो पर "राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उ0प्र0," "ई–नाम अपनाएं" तथा केट की संख्या एम्बोज्ड होगी।

क्रय की व्यवस्था

प्लास्टिक केटों का क्रय ई–टेण्डर के माध्यम से संभागीय उप निदेशक (प्रशासन/विपणन) की अध्यक्षता में गठित समिति के माध्यम से की जाएगी। इस समिति में संभागीय लेखाधिकारी तथा संभागीय मुख्यालय की मण्डी के सचिव सदस्य होंगे।

केटों की वितरण व्यवस्था

केटों के वितरण हेतु संशोधित अधिनियम के अनुसार मण्डी समिति के निर्वाचन/गठन तक की अवधि के लिए निम्नानुसार एक समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें निम्नलिखित अध्यक्ष/सदस्य होंगे:–

1.	सभापति, कृषि उत्पादन मण्डी समिति	अध्यक्ष
2.	सभापति, मण्डी समिति द्वारा नामित फल एवं सब्जी का गत कृषि वर्ष में सर्वाधिक मण्डी शुल्क देने वाला एक लाईसेन्सी व्यापारी	सदस्य
3.	सभापति, मण्डी समिति द्वारा नामित फल एवं सब्जी का गत कृषि वर्ष में सर्वाधिक मण्डी शुल्क देने वाला एक लाईसेंसधारी आढ़र्ती	सदस्य
4.	सभापति, मण्डी समिति द्वारा नामित गतवर्षों में उपहार योजना पाने वाले दो लाभान्वित कृषक	सदस्य
5.	सचिव, मण्डी समिति,	संयोजक

वितरण का आधार

वितरण से पूर्व तीन कृषि वर्षो में मण्डी में सबसे अधिक मूल्य योग के फल–सब्जी (आलू, प्याज व लहसुन को छोड़कर) लाने वाले किसान से आरम्भ कर घटते क्रम में प्रत्येक किसान को 4

निम्नवत् होगाः–

क0स0	विवरण	किसान	प्रति नग	कुल केट
1	"क" विशिष्ट श्रेणी की मण्डी में	200	04	800
2	"क" श्रेणी की मण्डी में	125	04	500
3	"ख" श्रेणी की मण्डी में	100	04	400
4	"ग" श्रेणी की मण्डी में	75	04	300

इसके अतिरिक्त एक वर्ष के उपरान्त 25 प्रतिशत की संख्या तक टूटे फूटे केटो को उपनिदेशक (प्रशासन/विपणन) की स्वीकृति पर नये केटों से बदला जा सकेगा।

2. <u>प्लास्टिक शीट के मानक का विवरणः–</u>

लम्बाई 10फीटX10फीट
वजन लगभग 1.75 किलोग्राम से 2.00 किलोग्राम तक
प्लास्टिक शीट पर "राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उ0प्र0," "ई–नाम अपनाएं" तथा संख्या छपी होगी।

<u>क्रय की व्यवस्था</u>

प्लास्टिक शीटों का क्रय ई–टेण्डर के माध्यम से संभागीय उप निदेशक (प्रशासन/विपणन) की अध्यक्षता में गठित समिति के माध्यम से की जाएगी। इस समिति में संभागीय लेखाधिकारी तथा संभागीय मुख्यालय की मण्डी के सचिव सदस्य होंगे।

<u>प्लास्टिक शीट की विपणन व्यवस्था</u>

प्लास्टिक सीट के वितरण हेतु संशोधित अधिनियम के अनुसार मण्डी समिति के निर्वाचन/गठन तक की अवधि के लिए निम्नानुसार एक समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें निम्न अध्यक्ष/सदस्य होंगेः–

1.	सभापति, कृषि उत्पादन मण्डी समिति	अध्यक्ष
2.	सभापति, मण्डी समिति द्वारा नामित खाद्यान का गत कृषि वर्ष में सर्वाधिक मण्डी शुल्क देने वाला एक लाईसेन्सी व्यापारी	सदस्य
3.	सभापति, मण्डी समिति द्वारा नामित गत कृषि वर्ष में सर्वाधिक मण्डी शुल्क देने वाला खाद्यान का एक लाईसेन्सधारी आढ़ती	सदस्य
4.	सभापति, मण्डी समिति द्वारा नामित गत वर्षों में उपहार योजना में पाने वाले दो लाभान्वित कृषक	सदस्य
5.	सचिव, मण्डी समिति	संयोजक

<u>वितरण का आधार</u>

वितरण से पूर्व तीन कृषि वर्षो में अधिक मूल्य योग के निर्दिष्ट कृषि उत्पाद लाने वाले व्यापारी से आरम्भ कर घटते कम में मण्डी समितिवार व्यापारी की संख्या निम्नवत् होगीः–

क0स0	विवरण	व्यापारी	प्रति नग	प्लास्टिक शीट
1	"क" विशिष्ट श्रेणी की मण्डी में	50	04	200
2	"क" श्रेणी की मण्डी में	40	04	160
3	"ख" श्रेणी की मण्डी में	30	04	120
4	"ग" श्रेणी की मण्डी में	20	04	80

इसके अतिरिक्त एक वर्ष के उपरान्त 25 प्रतिशत की संख्या तक कटी–फटी प्लास्टिक शीटों को उप निदेशक (प्रशासन/विपणन) की स्वीकृति पर नयी प्लास्टिक शीट से बदला जा सकेगा।

वित्तीय व्यवस्था

प्लास्टिक क्रेटस/शीट पर होने वाले व्यय के बजट की मांग औचित्य दर्शाते हुए सम्बन्धित मण्डी समिति द्वारा उप निदेशक (प्रशासन/विपणन) के माध्यम से परिषद मुख्यालय से प्राप्त की जाएगी।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से कराया जाना सुनिश्चित करें।

31.10.18
(रमाकान्त पाण्डेय)
निदेशक।

पृष्ठांकन पत्रांक व दिनांक उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपि–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. वित्त नियन्त्रक, मण्डी परिषद, मुख्यालय।
2. उप निदेशक (प्रशासन/विपणन) मण्डी परिषद, लखनऊ सम्भाग को इस आशय से कि वे उक्त मानकों के आधार पर प्लास्टिक क्रेटस/शीट ई–टेण्डर के माध्यम से क्रय करके एक–एक नग नमूने के तौर पर परिषद मुख्यालय के स्टोर अनुभाग में उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।
3. समस्त सभापति/सचिव, कृषि उत्पादन मण्डी समिति, उत्तरप्रदेश।
4. व्यवस्थाधिकारी, मण्डी परिषद, मुख्यालय।

(जितेन्द्र प्रताप सिंह)
अपर निदेशक (प्रशासन)

प्रस्ताव संख्या..... पृष्ठ संख्या.....

पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को न्यून करने तथा इसके द्वारा किसानों की आय में वृद्धि के हित में कृषकों को मण्डी समिति द्वारा निःशुल्क प्लास्टिक केट्स एवं व्यापारियों के माध्यम से उन्हें निःशुल्क प्लास्टिक शीट उपलब्ध कराये जाने सम्बन्धी योजना के विस्तार का प्रस्ताव।

वर्तमान परिस्थितियों में किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य के दृष्टिगत मार्केटिंग लॉसेस कम किये जाने हेतु पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को न्यून करने तथा इसके द्वारा किसानों की आय में वृद्धि के हित में मण्डी समिति द्वारा निःशुल्क प्लास्टिक केट्स एवं प्लास्टिक शीट उपलब्ध कराये जाने हेतु मा0 संचालक मण्डल की 155वीं बैठक दिनांक 24.07.2018 के मद संख्या–5 पर प्रस्ताव मा0 परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसे मा0 परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया।

मा0 परिषद द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में अपर निदेशक(प्रशासन) की अध्यक्षता में एक समिति का गठन करते हुए मण्डी समिति द्वारा निःशुल्क प्लास्टिक केट्स/प्लास्टिक शीट की दरें व उनकी गुणवत्ता के लिए रणनीति तैयार किये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 17.10.2018 को बैठक आहूत की गयी। उक्त समिति बैठक में समिति द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में परिषद पत्रांक–विप0–2/परिषद बैठक अनुपालन/2018–1432 दिनांक 02.11.2018 द्वारा समस्त उपनिदेशक(प्रशासन/विपणन), मण्डी परिषद, उत्तर प्रदेश को मा0 परिषद द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में मण्डी समितियों के माध्यम से फल–सब्जियों को रखने हेतु लगभग 20 किलो धारिता के प्लास्टिक केट्स एवं किसानों के मण्डी स्थल में अनाज ढेरी के नीचे बिछाने के लिए प्लास्टिक शीट (10फीटX10फीट) का क्रय एवं वितरण के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश प्रसारित करते हुए अनुपालन कराया गया।

इस योजना को जन सामान्य में स्वागत किये जाने तथा मॉग के दृष्टिगत वर्तमान योजना के विस्तार किये जाने की आवश्यकता पायी गयी है। अस्तु किसानों तथा व्यापारियों की संख्या में निम्नानुसार वृद्धि का प्रस्ताव किया जा रहा है :–

प्लास्टिक केट्स

वितरण से पूर्व तीन कृष वर्षों में मण्डी में सबसे अधिक मूल्य योग के फल–सब्जी (आलू, प्याज व लहसुन को छोड़कर) लाने वाले किसान से आरम्भ कर घटते क्रम में प्रत्येक किसान को 4 केट्स निःशुल्क उपलब्ध करायेगी। मण्डी समितिवार किसानों की संख्या का कोटा वार्षिक निम्नवत होगा :–

क0स0	विवरण	वर्तमान व्यवस्था			प्रस्तावित व्यवस्था		
		किसान	प्रति नग	कुल केट	किसान	प्रति नग	कुल केट
1	"क" विशिष्ट श्रेणी की मण्डी में	200	04	800	500	04	2000
2	"क" श्रेणी की मण्डी में	125	04	500	250	04	1000
3	"ख" श्रेणी की मण्डी में	100	04	400	200	04	800
4	"ग" श्रेणी की मण्डी में	75	04	300	150	04	600

इसके अतिरिक्त एक वर्ष के उपरान्त 25 प्रतिशत की संख्या तक टूटे फूटे केटों को उपनिदेशक(प्रशासन/विपणन) की स्वीकृति पर नये केटों से बदला जा सकेगा।

प्लास्टिक शीट

वितरण से पूर्व तीन कृषि वर्षो में अधिक मूल्य योग के निर्दिष्ट कृषि उत्पाद लाने वाले व्यापारी से आरम्भ कर घटते क्रम में मण्डी समितिवार व्यापारी की संख्या निम्नवत् होगी:–

		वर्तमान व्यवस्था			प्रस्तावित व्यवस्था		
क0स0	विवरण	व्यापारी	प्रति नग	प्लास्टिक शीट	व्यापारी	प्रति नग	प्लास्टिक शीट
1	"क" विशिष्ट श्रेणी की मण्डी में	50	04	200	100	04	400
2	"क" श्रेणी की मण्डी में	40	04	160	80	04	320
3	"ख" श्रेणी की मण्डी में	30	04	120	60	04	240
4	"ग" श्रेणी की मण्डी में	20	04	80	40	04	160

इसके अतिरिक्त एक वर्ष के उपरान्त 25 प्रतिशत की संख्या तक कटी–फटी प्लास्टिक शीटों को उप निदेशक (प्रशासन/विपणन) की स्वीकृति पर नयी प्लास्टिक शीट से बदला जा सकेगा।

यह संशोधित योजना 01 अप्रैल 2019 से प्रभावी प्रभावी होगी।

उपरोक्त व्यवस्था के अधीन योजना के सुचारू रूप से संचालन के लिये यथोचित निर्देश निदेशक, मण्डी परिषद स्तर से निर्गत किये जा सकेंगे।

प्रस्ताव:–

"पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को न्यून करने तथा इसके द्वारा किसानों की आय में वृद्धि के हित में कृषकों को मण्डी समिति द्वारा निःशुल्क प्लास्टिक केट्स एवं व्यापारियों के माध्यम से उन्हें निःशुल्क प्लास्टिक शीट उपलब्ध कराये जाने सम्बन्धी योजना के विस्तार का प्रस्ताव।"

राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उत्तर प्रदेश

किसान मण्डी भवन, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ

दूरभाषः 0522–2720383, 384, 405, 137, 138, 139 फैक्स –0522–2720056

पत्रांक– विप0–2/(पी0पी0पी0–199)/2019–1836 दिनांक 01/8/2019

उपनिदेशक(प्रशा0/विप0)

मण्डी परिषद, इलाहाबाद, गोरखपुर, कानपुर,

मुरादाबाद, वाराणसी, लखनऊ, झाँसी एवं सहारनपुर।

विषयः **प्रदेश के मण्डी स्थलों में पी0पी0पी0 माडल पर कृषि उत्पाद प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना के सम्बन्ध में।**

कृपया उपर्युक्त विषयक परिषद पत्रांक–विप0–2/(पी0पी0पी0199)/2018–1555 दिनांक 08.01.2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मा0 परिषद के संचालक मण्डल एवं शासन के पत्र संख्या–2542/80–1–2018–600(15)/2010 दिनांक 13 दिसम्बर, 2018 द्वारा प्राप्त स्वीकृति के कम में प्रदेश में कृषि उत्पाद प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना हेतु 11 बिन्दुओं की नीति निर्धारित करते हुए आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिये गये थे।

उक्त सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उक्त योजना को अधिक लोकोपयोगी बनाये जाने के लिये शासन द्वारा निर्देशित 11 शर्तों के साथ 12वीं शर्त सम्मिलित करने हेतु शासन को प्रेषित किये जाने हेतु मा0 संचालक मण्डल की 156वीं बैठक दिनांक 07.03.2019 के मद संख्या–10 पर प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था जिसे मा0 संचालक मण्डल द्वारा अनुमोदित किया गया। इस सम्बन्ध में शासन के पत्र संख्या–813/80–1–2019–600(15)/2010 दिनांक 22 जुलाई, 2019 (प्रति संलग्न) द्वारा पी0पी0पी0माडल पर निर्दिष्ट कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण के लिए प्रसंस्करण इकाई लगाये जाने के विषय में शासनादेश दिनांक 13 दिसम्बर, 2018 द्वारा निर्गत नीति के साथ उक्त संशोधित प्राविधानों को सम्मिलित किये जाने पर शासन द्वारा सहमति प्रदान की गयी है।

उक्त सम्बन्ध में मा0 संचालक मण्डल एवं शासन द्वारा लिये गये निर्णय कम में निर्धारित नीति निम्न प्रकार से उल्लिखित की गयी है :–

1. नई खाद्य प्रसंस्करण नीति एवं नई औद्योगिक नीति के अन्तर्गत समाचार पत्रों के माध्यम से विज्ञापन प्रकाशित करते हुए प्राप्त आवेदन पत्रों का निस्तारण सिंगल विण्डों सिस्टम से किया जायेगा।
2. विहित समय सीमा के अर्न्तगत प्राप्त, पात्र आवेदनों पर, प्रथम आगत प्रथम प्रावत (First Come & First Serve) का सिद्वान्त लागू होगा।
3. आवेदक की पात्रता, राज्य स्तरीय इम्पावर्ड समिति/औद्योगिक विकास आयुक्त/प्रमुख सचिव, कृषि विपणन की समिति द्वारा सुनिश्चित की जायेंगी।
4. कृषि प्रसंस्करण इकाई की स्थापना के लिए मण्डी समिति की भूमि के उपयोग का अधिकार प्राप्त होनें के एक वर्ष के अन्दर यदि फर्म द्वारा उत्पादन प्रारम्भ नही किया जाता है तो ऐसी दशा में भूमि मण्डी समिति को स्वतः वापस प्राप्त हो जायेगी, जिसका मण्डी समिति द्वारा पुनः उपयोग किया जा सकेगा और फर्म को कोई भी क्षतिपूर्ति देय नहीं होगीं।
5. भूमि के उपयोग का अधिकार देने के लिए मण्डी समिति और कृषि प्रसंस्करण इकाई के मध्य आपसी समझौता (M.O.U.) की शर्तो में यह उल्लेख किया जायेगा कि यदि फर्म द्वारा निर्धारित अवधि (30 वर्ष) में कभी भी तीन माह या अधिक माह उत्पादन बाधित किया जाता है अथवा ऐसा प्रतीत होता है कि फर्म द्वारा उत्पादन/कार्य सम्पादन में रूचि नहीं ली जा रही है या जानबूझकर उत्पादन बन्द किया गया है या कम उत्पादन किया जा रहा है, तो ऐसी दशा में निदेशक, मण्डी परिषद द्वारा फर्म के विरूद्व कार्यवाही की जा सकती है।
6. कृषि प्रसंस्करण इकाई की स्थापना के लिए मण्डी समिति की भूमि के उपयोग का अधिकार दिये जाने के बाद भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई ऋण प्रभावी नही होगा। उक्त भूमि

पर किसी भी प्रकार का भार स्वीकार नहीं होगा। भूमि को बन्धक या गिरवी नही रखा जा सकेगा।

7. परियोजना की अवधि (30 वर्ष) के उपरान्त भूमि मण्डी समिति को स्वतः प्राप्त हो जायेगी तथा आपसी समझौता (M.O.U.) निष्प्रभावी हो जायेगी।

8. फर्म को भूमि का उपयोग का अधिकार दिये जाने बाद भूमि का उपयोग निर्धारित प्रयोजन से भिन्न उपयोग में नहीं किया जा सकेगा। भूमि की सतह से अनावश्यक छेड़–छाड़ नही की जायेगी।

9. कृषि प्रसंस्करण ईकाईयों में प्रयुक्त होने वाला निर्दिष्ट कृषि उत्पाद का 80 प्रतिशत भाग सीधे किसानों से क्रय किया जायेगा।

10. भूमि अन्तरण तथा प्रसंस्करण इकाई के चयन का अन्तिम निर्णय मण्डी परिषद के मा0 संचालक मण्डल द्वारा अनुमोदित किया जायेगा।

11. कृषि प्रसंस्करण इकाई की स्थापना हेतु समझौता ज्ञापन के आधार पर उपयोग में लायी जाने वाली मण्डी समिति की भूमि (अधिकतम 2.5 एकड़ की सीमा तक) का किराया समझौता ज्ञापन वर्ष में जिलाधिकारी द्वारा घोषित वाणिज्यिक सर्किल रेट के डेढ़ गुना से आगणित तथा 30 वर्षो में वार्षिक रूप से विभाजित धनराशि के तुल्य होगा।

12. बैंक द्वारा स्वीकृत डी0पी0आर0 (Detail Project Report) का 10 प्रतिशत अधिकतम रू0 1.50 करोड़ तक मण्डी समिति का अंशदान होगा। अंशदान की आधी धनराशि उद्योग के आधे निर्माण पर शेष का भुगतान उत्पादन आरम्भ करने पर निर्गत किया जायेगा।

प्रदेश के मण्डी स्थलों में पी0पी0पी0 मांडल पर कृषि उत्पाद प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना किये जाने हेतु मण्डी समितियों के नाम

कमांक	संभाग का नाम	मण्डी समिति का नाम	फल एवं सब्जी/खाद्यान्न
1.	इलाहाबाद	प्रतापगढ़	ऑवला
2.	गोरखपुर	सहजनवॉ (गोरखपुर)	राइपनिंग चैम्बर/कोल्ड स्टोरेज
3.	कानपुर	कानपुर (चकरपुर)	हरी मिर्च–फल–सब्जी कोल्ड स्टोरेज एवं राइपनिंग चैम्बर
4.	कानपुर	फर्रूखाबाद	आलू
5.	मुरादाबाद	बिलासपुर	धान/गेहूँ
6.	वाराणसी	वाराणसी	हरी मिर्च
7.	लखनऊ	लखनऊ, मलिहाबाद/दुबग्गा	आम
8.	झॉसी	झॉसी	दलहन/तिलहन/गेहूँ प्रसंस्करण
9.	झॉसी	कोंच	दलहन/तिलहन/हरी मटर प्रसंस्करण
10.	सहारनपुर	खतौली	गुड़ खाद्यान्न

अतः पी0पी0पी0माडल पर निर्दिष्ट कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण के लिए अधिक से अधिक प्रसंस्करण इकाई लगाये जाने हेतु इच्छुक व्यक्तियों को प्रेरित करने की कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक–यथोपरि।

01.03.19

(जितेन्द्र प्रताप सिंह)
निदेशक

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि–सचिव, कृषि उत्पादन मण्डी समिति, प्रतापगढ़, सहजनवॉ(गोरखपुर), कानपुर(चकरपुर), फर्रूखाबाद, बिलासपुर, वाराणसी, लखनऊ(मलिहाबाद/दुबग्गा), झॉसी, कोंच एवं खतौली को इस निर्देश के साथ कि उक्त सम्बन्ध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

01.03.19

निदेशक

राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उत्तर प्रदेश
किसान मण्डी भवन, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ
दूरभाषः 0522-2720383, 384, 405, 137, 138, 139 फैक्स -0522-2720056

पत्रांक- विप0-2/(खा0-स0योजना (20)/2019-1983 दिनांक 6/11/2019

समस्त उपनिदेशक(प्रशासन/विपणन)
राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उ0प्र0।

विषयः गुड़/खाण्डसारी इकाईयों हेतु मण्डी शुल्क समाधान योजना चीनी वर्ष 2019-2020 से 2021-2022 तक लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-20/2019/1328/80-1-2019-600(20)/1994 दिनांक 25 अक्टूबर, 2019 **(छायाप्रति संलग्न)** का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश की केशर इकाईयों गुड़-खाण्डसारी के लिए चीनी वर्ष 2019-2020 से 2021-2022 में देय मण्डी शुल्क एवं विकास सेस के बदले एकमुश्त समाधान धनराशि जमा करने की व्यवस्था कतिपय शर्तो एवं प्रतिबन्धों के साथ अधिसूचना निर्गत की गयी है।

अतएव शासन द्वारा निर्गत उक्त अधिसूचना की प्रति संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित की जा रही है, कि इसे अपने सम्भाग की मण्डी समितियों को प्रेषित करते हुए अधिसूचना में निर्धारित की गयी शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अनुरूप समाधान योजना तत्काल लागू कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक-यथोपरि।

06.11.2019

(जितेन्द्र प्रताप सिंह)
निदेशक

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।
प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त सभापति/सचिव, कृषि उत्पादन मण्डी समितियॉ, उत्तर प्रदेश को उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. सिस्टम एनालिस्ट, मण्डी परिषद मुख्यालय को इस आशय से कि उक्त अधिसूचना की प्रति मैसेज बाक्स/वेव साइट पर अप लोड कराना सुनिश्चित करें।
3. आदेश/गार्ड पत्रावली हेतु।

(कुमार विनीत)
अपर निदेशक(प्रशासन)

469

उत्तर प्रदेश शासन
कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार अनुभाग-1
संख्या- 20/2019/1328/80-1-2019-600(20)/1994
लखनऊ : दिनांक-25 अक्टूबर, 2019

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25 सन् 1964) की धारा 17 के खण्ड (तीन) के उपखण्ड (ख) के द्वितीय परन्तुक के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित आदेश देती हैः-

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (क्रशर इकाईयाँ गुड़, खाण्डसारी) (मण्डी शुल्क का प्रशमन) आदेश, 2019

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(1) यह आदेश उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (क्रशर इकाईयाँ गुड़, खाण्डसारी) (मण्डी शुल्क का प्रशमन) आदेश, 2019 कहा जायेगा।

(2) यह आदेश चीनी वर्ष 2019-2020 के प्रारम्भ होने के दिनांक से अर्थात 01 अक्टूबर, 2019 से प्रवृत्त होगा और 30 सितम्बर, 2022 तक प्रभावी रहेगा ।

परिभाषाये

2- इस आदेश में–

(क) "अधिनियम" का तात्पर्य "उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964" से है;

(ख) "कृषि वर्ष" का तात्पर्य किसी कैलेण्डर वर्ष के एक जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है;

(ग) "क्रशर इकाई" का तात्पर्य अनुसूची में उल्लिखित एक या उससे अधिक विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद का उत्पादन या प्रसंस्करण करने वाली और मण्डी समिति द्वारा इस रूप में लाईसेन्स प्राप्त किसी इकाई से है;

(घ) "चीनी वर्ष" का तात्पर्य किसी कैलेण्डर वर्ष के एक अक्टूबर से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है;

(ङ) "प्रपत्र" का तात्पर्य इस आदेश से अनुलग्न किसी प्रपत्र से है;

3- इस आदेश के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, कोई व्यापारी, जिसके पास क्रशर इकाई के रूप में, मण्डी समिति का विधिमान्य लाईसेन्स हो, मण्डी शुल्क की ऐसी धनराशि, जो उसके प्रति चीनी वर्ष 2019-2020 से 2021-2022 तक के लिए देय हो, के बदले में एकमुश्त धनराशि का भुगतान करने के अपने विकल्प का प्रयोग कर सकता है;

परन्तु यह कि यह योजना किसी मण्डी समिति द्वारा वहाँ लागू की जायेगी जहाँ मण्डी क्षेत्र में स्थित कम से कम तीस प्रतिशत इकाईयाँ उक्त योजना के लिए विकल्प दें।

4- क्रशर इकाई के रूप में लाईसेन्स प्राप्त किसी व्यापारी, जो एकमुशत धनराशि के भुगतान का विकल्प दे, को इस आदेश के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से 30 दिन के भीतर मण्डी समिति को प्रपत्र संख्या-1 में अपना आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

5- जैसे ही खण्ड-4 में उल्लिखित आवेदन प्राप्त हो वैसे ही मण्डी समिति को इसमें यथा विहत रीति से देय मण्डी शुल्क एवं विकास उपकर की एकमुश्त धनराशि का निर्धारण करना होगा।

(योगेन्द्र ...)
अनुभाग

6- क्रय-विक्रय के प्रत्येक संव्यवहार पर देय मण्डी शुल्क के बदले में किसी क्रशर इकाई से वसूल की जाने वाली एकमुश्त धनराशि निम्नवत होगी:-

क्रम सं0	क्रेशर इकाई (गुड़ खाण्डसारी, आदि) का आकार एवं प्रकार	इकाई का प्रकार	चीनी वर्ष 2019-2020 के लिए प्रशमन धनराशि (रू0 में)		
			मण्डी शुल्क	विकास उपकर (सेस)	कुल धनराशि
1	2	3	4	5	6
1-	20×25.5 सेन्टीमीटर से अनधिक	(क) नान हाइड्रोलिक (बिना टरबाइन)	346340	86580	432920
		(ख) हाइड्रोलिक/नान हाइड्रोलिक स्प्रिंगयुक्त युक्ति सहित (बिना टरबाइन)			
2-	20×25.5 सेन्टीमीटर से अधिक किन्तु 25.5×30.5 सेन्टीमीटर से अनधिक	(क) नान हाइड्रोलिक (बिना टरबाइन)	474680	118670	593350
		(ख) हाइड्रोलिक/ नान हाइड्रोलिक स्प्रिंगयुक्त युक्ति सहित (बिना टरबाइन)			
3-	25.5×30.5 सेन्टीमीटर से अधिक किन्तु 28×35.5 सेन्टीमीटर से अनधिक	(क) नान हाइड्रोलिक (बिना टरबाइन)	704900	176220	881120
		(ख) हाइड्रोलिक/ नान हाइड्रोलिक स्प्रिंगयुक्त युक्ति सहित (बिना टरबाइन)	1287560	321800	1609360
4-	28.00×35.5 सेन्टीमीटर से अधिक किन्तु 33.00×46.00 सेन्टीमीटर से अनधिक	(क) नान हाइड्रोलिक (बिना टरबाइन)	1397580	349400	1746980
		(ख) हाइड्रोलिक/नान हाइड्रोलिक स्प्रिंगयुक्त युक्ति सहित (बिना टरबाइन)	1992470	498120	2490590
5-	33.00×46.00 सेन्टीमीटर से अधिक	(क) नान हाइड्रोलिक (बिना टरबाइन)	3960500	990130	4950630
		(ख) हाइड्रोलिक/नान हाइड्रोलिक स्प्रिंगयुक्त युक्ति सहित (बिना टरबाइन)			

क्रम सं0	क्रेशर इकाई (गुड़ खाण्डसारी, आदि) का आकार एवं प्रकार	इकाई का प्रकार	चीनी वर्ष 2020-2021 के लिए प्रशमन धनराशि (रू0 में)		
			मण्डी शुल्क	विकास उपकर (सेस)	कुल धनराशि
1	2	3	4	5	6
1-	20×25.5 सेन्टीमीटर से अनधिक	(क) नान हाइड्रोलिक (बिना टरबाइन)	380970	95240	476210
		(ख) हाइड्रोलिक/नान हाइड्रोलिक स्प्रिंगयुक्त युक्ति सहित (बिना टरबाइन)			
2-	20×25.5 सेन्टीमीटर से अधिक किन्तु 25.5×30.5 सेन्टीमीटर से अनधिक	(क) नान हाइड्रोलिक (बिना टरबाइन)	522150	130540	652690
		(ख) हाइड्रोलिक/नान हाइड्रोलिक स्प्रिंगयुक्त युक्ति सहित (बिना टरबाइन)			
3-	25.5×30.5 सेन्टीमीटर से अधिक किन्तु 28×35.5 सेन्टीमीटर से अनधिक	(क) नान हाइड्रोलिक (बिना टरबाइन)	775390	193850	969240
		(ख) हाइड्रोलिक/ नान हाइड्रोलिक स्प्रिंगयुक्त युक्ति सहित (बिना टरबाइन)	1416320	354080	1770400
4-	28×35.5 सेन्टीमीटर से अधिक किन्तु 33.00×46.00 सेन्टीमीटर से अनधिक	(क) नान हाइड्रोलिक (बिना टरबाइन)	1537340	384340	1921680
		(ख) हाइड्रोलिक/ नान हाइड्रोलिक स्प्रिंगयुक्त युक्ति सहित (बिना टरबाइन)	2191720	547930	2739650
5-	33.00×46.00 सेन्टीमीटर से अधिक	(क) नान हाइड्रोलिक (बिना टरबाइन)	4356550	1089140	5445690
		(ख) हाइड्रोलिक/ नान हाइड्रोलिक स्प्रिंगयुक्त युक्ति सहित (बिना टरबाइन)			

क्रम सं0	क्रेशर इकाई (गुड़ खाण्डसारी, आदि) का आकार प्रकार	इकाई का प्रकार	चीनी वर्ष 2021-2022 के लिए प्रशमन धनराशि (रू0 में)		
			मण्डी शुल्क	विकास उपकर (सेस)	कुल धनराशि
1	2	3	4	5	6
1-	20×25.5 सेन्टीमीटर से अनधिक	(ख) नान हाइड्रोलिक (बिना टरबाइन)	419070	104770	523840
		(ख) हाइड्रोलिक/ नान हाइड्रोलिक स्प्रिंगयुक्त युक्ति सहित (बिना टरबाइन)			
2-	20×25.5 सेन्टीमीटर से अधिक किन्तु 25.5×30.5 सेन्टीमीटर से अनधिक	(क) नान हाइड्रोलिक (बिना टरबाइन)	574370	143590	717960
		(ख) हाइड्रोलिक/ नान हाइड्रोलिक स्प्रिंगयुक्त युक्ति सहित (बिना टरबाइन)			
3-	25.5×30.5 सैन्टीमीटर से अधिक किन्तु 28×35.5 सेन्टीमीटर से अनधिक	(क) नान हाइड्रोलिक (बिना टरबाइन)	852930	213220	1066150
		(ख) हाइड्रोलिक/ नान हाइड्रोलिक स्प्रिंगयुक्त युक्ति सहित (बिना टरबाइन)	1557950	389480	1947330
4-	28×35.5 सेन्टीमीटर से अधिक किन्तु 33.00×46.00 सेन्टीमीटर से अनधिक	(क) नान हाइड्रोलिक (बिना टरबाइन)	1691080	422770	2113830
		(ख) हाइड्रोलिक/ नान हाइड्रोलिक स्प्रिंगयुक्त युक्ति सहित (बिना टरबाइन)	2410890	602720	3013600
5-	33.00×46.00 सेन्टीमीटर से अधिक	(क) नान हाइड्रोलिक (बिना टरबाइन)	4792200	1198090	5990290
		(ख) हाइड्रोलिक/ नान हाइड्रोलिक स्प्रिंगयुक्त युक्ति सहित (बिना टरबाइन)			

7- यदि क्रशर इकाई टरबाइन युक्त है तो चीनी वर्ष 2019-2020 से 2021-2022 के लिए प्रत्येक आकार हेतु उल्लिखित प्रशमन धनराशि उपरोक्त स्तम्भ सं0-4, 5 एवं 6 में उल्लिखित प्रशमन धनराशि से 10 प्रतिशत अधिक होगी।

8- यदि क्रशर इकाई के रूप में लाइसेन्स प्राप्त किसी व्यापारी ने चीनी वर्ष 2019-2020 से 2021-2022 के सम्बन्ध में मण्डी शुल्क की किसी धनरशि का भुगतान कर दिया हो और मण्डी शुल्क जो उसके द्वारा संदेय हो, के बदले में वह एकमुश्त धनराशि का विकल्प देता है तो भुगतान की गयी मण्डी शुल्क की धनराशि, इस अधिसूचना के अनुसार परिनिर्धारित एकमुश्त धनराशि से घटा दी जायेगी।

9- घटाये जाने के पश्चात, यदि कोई धनराशि अधिशेष रह जाती है तो उसका समायोजन अगले वर्ष में किया जायेगा, यदि इसके पश्चात भी कोई धनराशि अवशेष रह जाती है तो इसका समायोजन आंगामी वर्षो में किया जायेगा। मण्डी समिति द्वारा उसे वापस नहीं दिया जायेगा।

10- क्रशर इकाई के अनुमानित उत्पादन के आधार पर प्रतिभूति पत्र पर मुद्रित गेटपास पुस्तिका, इकाई पर ही उपलब्ध करायी जायेगीं। यदि मण्डी समिति द्वारा जॉच में गेटपास पुस्तिका का कोई दुरूपयोग किया जाना पाया जाता है तो पुस्तिका को जब्त कर लिया जायेगा और व्यापारी योजना के अधीन लाभों से वंचित हो जायेगा और इकाई के विरूद्ध वैधानिक एवं दण्डात्मक कार्यवाही भी की जायेगी।

11- योजना के विकल्प का प्रयोग करने के पश्चात् चीनी वर्ष 2019-2020 से 2021-2022 के अन्त तक एकमुश्त धनराशि के अतिरिक्त अन्य कोई मण्डी शुल्क संदेय नहीं होगा। यदि कोई व्यापारी अपनी क्रशर इकाई द्वारा उत्पादित या प्रसंस्कृत मात्रा के अतिरिक्त अनुसूची में उल्लिखित विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद का क्रय विक्रय करता है तो उसे उस मात्रा के प्रत्येक क्रय विक्रय के सौदे पर मण्डी शुल्क तथा विकास उपकर (सेस) का भुगतान प्रचलित दर पर करना होगा। यह धनराशि एकमुश्त धनराशि के अतिरिक्त होगी।

12- (1) ऐसे व्यापारी जो गेटपास पुस्तिका का विकल्प देता है, को प्रत्येक सप्ताह गेटपासों की कार्यालय प्रतियॉ प्रस्तुत करनी होगी। वर्ष के अन्त में मण्डी समिति यह अवधारित करेगी कि व्यापारी ने अपनी इकाई की उत्पादन क्षमता के अनुरूप ही गेट पास जारी किया है। इस प्रयोजनाथ, क्रशर इकाई को भण्डारण की मासिक स्थिति, सम्बन्धित समिति को प्रत्येक माह प्रस्तुत करनी होगी।

(2) पूर्वोक्त प्रयोजनार्थ, मण्डी समिति द्वारा अपेक्षित अभिलेखों को प्रस्तुत करने के लिए व्यापारीगण बाध्य होगें। मण्डी समिति किसी उपयुक्त समय पर क्रशर का निरीक्षण करने हेतु प्राधिकृत होगी।

13- (एक) यदि किसी एकमुश्त धनराशि के भुगतान के सम्बन्ध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो सम्बन्धित मण्डी समिति द्वारा पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात प्रख्यापक आदेश द्वारा उसका विनिश्चय किया जायेगा।

(दो) मण्डी समिति के विनिश्चय के विरूद्व 30 दिन के भीतर या ऐसे समय के भीतर जिसे समुचित मामलों में निदेशक, द्वारा बढाया जा सकता है। अधिनियम की धारा 32 के अधीन पुनरीक्षण दाखिल किया जा सकता है।

14- इस योजना का विकल्प देने वाला व्यापारी अपेक्षित एकमुश्त धनराशि का भुगतान वर्ष में किश्तो में करेगा, प्रथम किश्त आवेदन के समय जमा की जायेगी तथा द्वितीय किश्त 30 दिन के अन्दर जमा कर दी जायेगी।

15- यदि कोई एकमुश्त धनराशि देय हो जाने के पश्चात असंदत्त रह जाती है तो इसकी वसूली, अधिनियम की धारा 20 के अनुसार की जायेगी।

अनुसूची
(खण्ड-2(घ) देखिये)

विनिर्दिष्ट कृषि उत्पादः-

1- गुड
2- खाण्डसारी
3- राब
4- शक्कर
5- ताड गुड (जगरी)

आज्ञा से,

(अमित मोहन प्रसाद)
प्रमुख सचिव

प्रपत्र-1

(खण्ड 4 देखिये)

सेवा में,

सचिव,

कृषि उत्पादन मण्डी समिति.....

जिला.....

महोदय,

मेरे पास विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद गुड़/खाण्डसारी/राब/शक्कर/ताड़ गुड़ (जगरी) के उत्पादन/प्रसंस्करण के लिए क्रेशर इकाई के लिए कृषि उत्पादन मण्डी समिति.....जिला.....का विधिमान्य लाइसेन्स है। लाईसेन्स का विवरण निम्न प्रकार है:-

1- लाईसेन्स प्राप्त व्यापारी का नाम व पता .....

2- (क) लाईसेन्स संख्या .....

(ख) लाईसेन्स जारी किये जाने/नवीकरण का दिनांक .....

(ग) लाईसेन्स की समाप्ति का दिनांक

3- चीनी वर्ष 2019-2020 से 2021-2022 में क्रेशर इकाई का आकार स्वरूप और उत्पादन क्षमता .....

4- स्थान, जहां क्रेशर इकाई स्थित है:-

ग्राम, नगर .....

तहसील .....

जिला .....

मैं एतद्द्वारा उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (केशर इकाइयॉ, गुड़ खाण्डसारी)(मण्डी शुल्क का प्रशमन करना) आदेश 2019 के अनुसार चीनी वर्ष 2019-2020 से 2021-2022 के संबंध में संदेय मण्डी शुल्क के बदले में एकमुश्त धनराशि में मण्डी शुल्क के भुगतान का विकल्प देता हूँ।

अत- यह प्रार्थना है, कि पूर्वोक्त चीनी वर्ष के लिए उक्त आदेश के उपबंधों के अनुसार, एकमुश्त भुगतान की जाने वाली मण्डी शुल्क की धनराशि की गणना करने और स्वीकार करने की कृपा करें। गन्ना विभाग द्वारा जारी विधिमान्य लाईसेन्स की प्रति भी इसके साथ संलग्न की जाती है।

भवदीय,

आवेदक के हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं .....पूर्वोक्त क्रशर इकाई का स्वामी/भागीदार एतद्द्वारा सत्यापित करता हूँ कि ऊपर दी गयी सूचना मेरी व्यक्तिगत जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है।

हस्ताक्षर

462

संख्याः- 20 /2019/1328(1)/80-1-2019-600(20)/1994, तददिनांक

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित-

1. संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को उपरोक्त अधिसूचना की अंग्रेजी प्रति सहित इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया दिनांक 25/10/2019 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट के भाग-4 के खण्ड 'ख' में प्रकाशनार्थ । कृपया उक्त गजट की 50 प्रतियाँ शासन को भेजने का कष्ट करें।
2. निदेशक, राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
3. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से

(समर बहादुर)

अनु सचिव

राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उत्तर प्रदेश

किसान मण्डी भवन, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ

दूरभाषः 0522–2720383, 384, 405, 137, 138, 139

फैक्स –0522–2720056

पत्रांक– निर्यात–प्रकोष्ठ/(23)/2019–893 दिनांक 13/11/2019

कार्यालय ज्ञाप

उत्तर प्रदेश राज्य उत्पादित विविध कृषि उत्पादो के निर्यात एवं कृषि निर्यात उद्यमियों को प्रोत्साहित करने हेतु कृषि क्षेत्र के स्नातक/परास्नातक अथवा कृषि व्यापार के क्षेत्र में डिग्रीधारक व्यक्तियों को प्रोत्साहित कर प्रदेश से निर्यात की संभावनाओं को बल प्रदान किये जाने हेतु मा0 संचालक मण्डल की 156वीं बैठक दिनांक 07.3.2019 के मद संख्या–15 पर प्रस्तुत कार्ययोजना पर मा0 परिषद द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित करते हुए निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव शासन को प्रेषित करते हुए कार्यवाही की जाए, के क्रम में शासन के पत्र संख्या–815/80–1–2019–600(39)/2018, दिनांक–16 जुलाई, 2019 द्वारा प्राप्त निर्देश को सम्मिलित करते हुए निम्नवत् कार्ययोजना जारी की जा रही हैः–

1. यह योजना 21 वर्ष से 40 वर्ष तक के युवक–युवतियों के लिए है तथा कृषि, अभियॉत्रिकी, प्रबन्धन एवं वाणिज्य/व्यापार की स्नातक उपाधि रखने वाले व्यक्तियों को इस योजना के पात्र है। प्रति वर्ष में अधिकतम 10 लाभार्थियों को इस योजना से लाभान्वित किया जाएगा।
2. कृषि उत्पाद के निर्यात में मान्यता प्राप्त संस्थाओं के द्वारा चलाये जाने वाले सर्टीफिकेट पाठ्यक्रम, जो कम से कम छः सप्ताह के हों, के लिए इच्छुक युवा उद्यमियों को पाठ्यक्रम की फीस का 50 प्रतिशत अथवा रू0 50 (पचास) हजार, जो भी कम हो मण्डी परिषद के द्वारा अनुदान के रूप में दिया जायेगा।
3. पाठ्यक्रम पूरा करने के पश्चात उक्त उद्यमी को अपना कारोबार शुरू करने हेतु रू0 एक लाख पचास हजार का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जायेगा।
4. निर्यातक उद्यमी के लिए बासमती चावल, मेंथा आयल एंव तिल को छोड़ते हुए अन्य कृषि उत्पादन तथा सभी प्रकार के जैविक उत्पाद के रू0 10 लाख के निर्यात करने पर इस ब्याज मुक्त ऋण को अनुदान में परिवर्तित कर दिया जायेगा।
5. निर्यातक उद्यमी के द्वारा अगले रू0 10 लाख का निर्यात करने पर उसे एक बार रू0 50 हजार का अतिरिक्त अनुदान पुनः उपलब्ध कराया जायेगा।
6. ब्याजमुक्त ऋण की वापसी हेतु 2 वर्ष का Moratorium Period है। यदि निर्यातक उद्यमी दो वर्ष में रू0 10 लाख के कृषि उत्पाद का निर्यात नहीं कर पाता है तो इसकी वसूली निर्यातक उद्यमी से की जायेगी। प्रतिबन्ध यह है कि अवधि की गणना रू0 एक लाख पचास हजार का ब्याज मुक्त ऋण देने की तिथि से की जायेगी।
7. उत्तर प्रदेश राज्य के निवासी ही इस योजनान्तर्गत लाभान्वित होने के पात्र होंगे।

क्रमशः 2

8. उक्त योजना में राज्य में स्थापित मान्यता प्राप्त संस्थाओं को ही अनुदान दिया जायेगा।
9. मान्यता प्राप्त संस्थाओं के द्वारा चलाये जाने वाले सर्टीफिकेट पाठ्यक्रम का निर्धारण निर्यातकों की आवश्यकताओं के अनुसार उनकी सहभागिता से किया जायेगा।
10. लाभान्वित व्यक्तियों को निर्यात क्षेत्र में अपना करोबार स्थापित करने अथवा सेवायोजित होने की उचित समय अन्तराल पर सम्परीक्षा की जायेगी।
11. ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त करने हेतु लाभार्थी को निर्धारित प्रारूप पर मण्डी परिषद से अनुबन्ध करना होगा।
12. निर्यात की गयी मात्रा के मूल्य के सम्बन्ध में शिपमेन्ट बिल/एयर वे बिल की प्रति एवं ई0जी0एम0 (Export General Manifest) सहित उपलब्ध कराने पर निर्यात दायित्व पूर्ण माना जायेगा।
13. यह अनुदान इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद दिया जायेगा कि लाभार्थी द्वारा किसी अन्य स्रोत/विभाग से इस प्रकार का कोई अनुदान नहीं लिया गया है।
14. निर्यात दायित्व के सम्बन्ध में अन्य प्रक्रिया व शर्तो को निर्धारित करने हेतु निदेशक, मण्डी परिषद अधिकृत होंगे।

(जितेन्द्र प्रताप सिंह)
निदेशक

पृष्ठांकन– निर्यात–प्रकोष्ठ/(23)/2019– ८५३ तद्दिनांक

प्रतिलिपि अधोलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार, उ0प्र0 शासन।
2. कुलपति, समस्त विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश।
3. चेयरमैन, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली।
4. चेयरमैन, फेडरेशन आफ इण्डियन एक्सपोर्ट आर्गेनाईजेशन, नई दिल्ली।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. वित्त नियंत्रक, मण्डी परिषद, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त उप निदेशक (प्रशा0/विप0) मण्डी परिषद, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त सचिव, कृषि उत्पादन मण्डी समितियां, उत्तर प्रदेश।
9. सिस्टम ऐनालिस्ट, मण्डी परिषद को वेबसाईट पर कार्यालय ज्ञाप अपलोड करने हेतु।
10. गार्ड फाईल।

11.11.2019
निदेशक

उत्तर प्रदेश शासन
कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार अनुभाग-2
संख्या-3/2019/346/अस्सी-2-2019-100(9)/2019
लखनऊ दिनांक 13 सितम्बर,2019

अधिसूचना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 162 के अन्तर्गत कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल महोदया निम्नलिखित ''उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति-2019 को प्रख्यापित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है :-

उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति, 2019

1. पृष्ठभूमि

उत्तर प्रदेश भौगोलिक विस्तार की दृष्टि से चौथा सबसे बड़ा राज्य है, जिसका क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किमी. है जो देश के कुल क्षेत्रफल का 7.3 प्रतिशत है। इस राज्य के चार पारिस्थितिकी क्षेत्र हैं जो तराई, गंगा के मैदान, भाभर और विंध्य क्षेत्र को आच्छादित करते हैं। यह देश का सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य है, जिसमें 18 मंडल और 75 जिले हैं। इस राज्य में छः स्पष्ट और विशिष्ट मृदा समूह हैं-भाभर मृदा, तराई मृदा, विंध्य मृदा, बुंदेलखंड मृदा, अरावली मृदा और जलोढ़ मृदा हैं। वर्षा, भूभाग और मृदा की विशेषताओं के आधार पर उत्तर प्रदेश के नौ विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। इस राज्य की जलवायु उपोष्णकटिबंधीय और खेती के अनुकूल है। उत्तर प्रदेश के लोगों की आजीविका का मुख्य स्त्रोत कृषि है और लगभग 66% आबादी खेती और इसकी सहायक गतिविधियों से आजीविका कमाती है। गंगा नदी और इसकी सहायक नदियों के जल से राज्य में गेंहूँ, मक्का, धान, आलू, गन्ना, दालें, तिलहन और कई फल तथा सब्जियों की खेती की जाती है। उत्तर प्रदेश पूरे देश का 21% खाद्यान्न, 10.8% फल और 15.4% सब्जियाँ उगाता है।

कृषि का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी0एस0डी0पी0) में 25.7% (वर्तमान लागत पर 2017-18 में और 22.7% स्थिर कीमत में) का अंशदान है। इस राज्य में 177.21 लाख हेक्टेयर खेती योग्य क्षेत्र है जिसके विरुद्ध शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल 166 लाख हेक्टेयर है, जिसमें से 86.7 प्रतिशत सिंचित भूमि है। प्रदेश का खाद्यान्न, गन्ना, आलू, दूध, मांस तथा बागवानी में देश में पहला स्थान है।

किसान की आय को दोगुना करने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए यह जरूरी है कि कृषि उत्पाद की बेहतर माँग न केवल राष्ट्रीय स्तर पर उत्पन्न की जाए बल्कि इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उत्पन्न किया जाए और निर्यात बढ़ाकर बेहतर कीमत प्राप्त की जाए। किसानों को अपने उत्पादों की बेहतर कीमत प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए कृषि उत्पादों के निर्यात पर जोर देना जरूरी है। इसके लिए राज्य में एक स्थायी कृषि निर्यात नीति के गठन की आवश्यकता है।

राष्ट्रीय कृषि निर्यात में उत्तर प्रदेश का 7.35% योगदान है। वर्तमान में वर्ष 2018-19 में निर्यात की गई मात्रा की दृष्टि से भारत से कुल कृषि निर्यात में उत्तर प्रदेश का मांस में 50.34%, गेंहूँ में 37.88%, प्राकृतिक शहद में 26.59%, ताजे आम में 4.12%, अन्य ताजे फलों में 15.84%, दुग्ध उत्पादों में 13.31%, गैर-बासमती चावल में 4.02%, बासमती चावल में 3.21%, पुष्प कृषि उत्पाद में 0.57%, प्रसंस्कृत फलों, उनके जूस और मेवों आदि में 0.51% का योगदान रहा है।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2018 में लगभग 30+ बिलियन यू0एस0 डॉलर के कृषि निर्यात से दोगुना करते हुये वर्ष 2022 में लगभग 60+ बिलियन यू0एस0 डॉलर करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय कृषि निर्यात नीति प्रतिपादित की गई है। यह परिकल्पना की गई है कि प्रत्येक राज्य द्वारा इस उद्देश्य को हासिल करने में मदद करने के लिए अपनी कृषि निर्यात नीति प्रतिपादित की जाएगी। इस दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति राष्ट्रीय लक्ष्य के सामंजस्य में निरुपित की जा रही है।

2 . नीति का दृष्टिक्षेत्र (विजन)

उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति 2019 का विजन

"कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए नये ढांचे की व्यवस्था करना, कृषि फसलों एवं उत्पादों के निर्यात की क्षमता का सदुपयोग करना तथा किसानो एवं अन्य हितधारकों की आय पर्याप्त रूप से बढ़ाना"

3. नीति का उद्देश्य

- उत्तर प्रदेश से कृषि निर्यात को वर्ष 2024 तक 2524 मिलियन यू0एस0 डॉलर अर्थात रू0 17,591 करोड के वर्तमान मूल्य से दोगुना करना।
- पर्यावरण को रक्षित करने वाले कृषि उत्पादों के निर्यात को सुगम करना और अप्रसंस्कृत कृषि उत्पादों के निर्यात से मूल्य वर्द्धित उत्पादों की ओर गमन।

- निर्यात के लिए उन संभावित कृषि फसलों और उत्पादों की पहचान करना और बढ़ावा देना जो देशी एवं जैविक हैं और जो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं।
- अंतर्राष्ट्रीय बाजार का आंकलन करने और इसके प्रबंधन से संबंधित बाधाओं को दूर करने के लिए संस्थागत कार्यप्रणाली बनाना।
- निर्यात योग्य कृषि उत्पादों और वैश्विक अवसरों से संबंधित जानकारी को किसानों तक पहुँचाने के लिए ढांचा विकसित करना।
- कृषि क्षेत्र में निर्यात को बढ़ाने के लिए राज्य में मुख्य विभागों के बीच सहक्रियाशील अवसरो पर ध्यान देना।
- बाजारों का विस्तार करते हुए किसानों की आमदनी को बढ़ाना जिससे उन्हें बेहतर कीमत मिल सके।

4. कार्यान्वयन के लिए रणनीति

4.1 संस्थागत कार्यप्रणाली, विभागों के बीच ज्यादा तारतम्य को मजबूत करना और मौजूदा संस्थागत ढांचे का प्रभावी उपयोग करना।

4.2 राज्य से कृषि निर्यात की सुविधा के लिए बुनियादी ढांचे को सक्षम बनाना और गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करना और सभी स्तर पर आवश्यक मानक बनाए रखना।

4.3 हितधारकों के लिए संपर्क बिंदु के रूप में राज्य स्तरीय कृषि निर्यात सुविधा केन्द्र स्थापित करना।

4.4 कृषि फसलों और उत्पादों के निर्यातकों के लिए व्यवसाय को सुगम बनाने के तरीकों को बढ़ावा देना और सुविधाजनक बनाना।

4.5 आधुनिक मूल्य श्रृंखला बनाने के लिए निजी क्षेत्र के निवेशों को प्रोत्साहित करना जो वैश्विक बाजार से अच्छी तरह से एकीकृत हों।

4.6 अच्छी कृषि पद्धतियों को प्रोत्साहित करना, रोग मुक्त क्षेत्रों को विकसित करना और ताजे फल और सब्जियों के निर्यात के लिए लंबी दूरी के समुद्री प्रोटोकॉल को बढ़ावा देना।

4.7 कार्मिकों और हितधारकों की क्षमता का विकास करना।

4.8 नवोन्मेष और स्टार्ट-अप को प्रोत्साहित करने के लिए व्यवस्थाएं स्थापित करना।

4.9 राज्य को अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अवसरों से जोड़ने के लिए बढ़ावा देने के कार्यक्रम आयोजित करना।

4.10 ज्यादा निवेश के लिए व्यवसाय आकर्षित करना और राज्य के ब्रांड का प्रचार करने पर जोर देना।

4.11 जिले या जिलों के समूह में क्षेत्रों के क्लस्टर बनाते हुए क्लस्टर पद्धति के माध्यम से राज्य से कृषि निर्यात को बढ़ाना, ऐसे क्षेत्रों के क्लस्टर जिनमें निर्यात योग्य कृषि उत्पाद पारंपरिक रूप से उत्पादित या प्रसंस्कृत किया जा रहा है या जो इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त है।

4.12 राष्ट्रीय और राज्य स्तर की संस्थाओं के सहयोग से अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहित करना।

5. नीति का कार्यान्वयन

5.1 यह नीति अधिसूचना जारी होने की तिथि से लागू होगी।

5.2 इस नीति में किसी भी संशोधन की स्थिति में, यदि प्रोत्साहन राशि का कोई पैकेज जो राज्य सरकार की ओर से किसी किसान/ एफपीओ/ एफपीसी/ निर्यातक/ इकाई को पहले से ही प्रतिबद्ध है, वह वापस नहीं लिया जाएगा और किसान/ एफपीओ/ एफपीसी/ निर्यातक/ इकाई उस लाभ के लिए हकदार रहेगी।

6. कार्यान्वयन ढाँचा

6.1 संस्थागत कार्यप्रणाली को मजबूत करना:

6.1.1 इस नीति को कृषि एवं कृषि क्षेत्र से जुड़े सम्बंधित सभी विभाग जैसे कृषि विभाग, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार विभाग जिसमे राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद् उत्तर प्रदेश भी सम्मिलित है, पशुपालन विभाग, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, मत्स्य, डेयरी एवं दुग्ध विकास विभाग, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग एवं उन अन्य विभागों में जिन्हें इस नीति के प्रस्तर

6.1.2 द्वारा गठित राज्य स्तरीय निगरानी समिति निर्देशित कर सकेगी, द्वारा लागू की जायेगी और यह विभाग इस नीति के अंतर्गत सम्बंधित विभाग कहे जायेंगे।

6.1.2 नीति के कार्यान्वयन को मजबूत और निगरानी करने के लिए एक "राज्य स्तरीय निर्यात निगरानी समिति" बनाई जाएगी। राज्य स्तरीय निगरानी समिति निम्नवत होगी:

क्रम सं.	**समिति का पद**	**आधिकारिक पदनाम**
1	अध्यक्ष	मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन
2	उपाध्यक्ष	कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन
क. राज्य सरकार के कृषि निर्यात संबंधी विभाग/ संस्थाएँ		
1	सदस्य	अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन
2	सदस्य	अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन
3	सदस्य	प्रमुख सचिव, कृषि, उत्तर प्रदेश शासन
4	सदस्य	प्रमुख सचिव, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार, उत्तर प्रदेश शासन
5	सदस्य	प्रमुख सचिव, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उत्तर प्रदेश शासन
6	सदस्य	प्रमुख सचिव, पशुपालन, उत्तर प्रदेश शासन
7	सदस्य	प्रमुख सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, उत्तर प्रदेश शासन
8	सदस्य	प्रमुख सचिव, मत्स्य पालन, उत्तर प्रदेश शासन
9	सदस्य	प्रमुख सचिव, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास, उत्तर प्रदेश शासन
10	सदस्य	प्रमुख सचिव, डेयरी एवं दुग्ध विकास विभाग, उत्तर

		प्रदेश शासन
11	सदस्य	निर्यात आयुक्त, निर्यात संवर्धन ब्यूरो, उत्तर प्रदेश सरकार
12	सदस्य	आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उत्तर प्रदेश सरकार
13	सदस्य	महानिदेशक, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसन्धान परिषद्, (उपकार), उत्तर प्रदेश
14	सदस्य	प्रबंध निदेशक, उ०प्र० राज्य औद्यानिक सहकारी विपणन संघ,
15	सदस्य	निदेशक, राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद् , उत्तर प्रदेश
16	सदस्य	निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था लखनऊ
17	सदस्य सचिव	निदेशक, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार निदेशालय, उत्तर प्रदेश
ख. केंद्र सरकार के निर्यात संबंधी विभाग/ संस्थाएँ		
1	सदस्य	महानिदेशक, विदेश व्यापार या उसका प्रतिनिधि
2	सदस्य	मुख्य आयुक्त सीमा शुल्क, भारत सरकार
3	सदस्य	कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा), नई दिल्ली के प्रतिनिधि सदस्य
4	सदस्य	भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् (आई0सी0ए0आर0) नई दिल्ली के प्रतिनिधि सदस्य
5	सदस्य	निर्यात निरीक्षण परिषद (ई0आई0सी0) के क्षेत्रीय अधिकारी
6	सदस्य	क्षेत्रीय अधिकारी/ प्रतिनिधि, वनस्पति संरक्षण, संगरोध एवं संग्रह निदेशालय, फरीदाबाद, हरियाणा
7	सदस्य	क्षेत्रीय अधिकारी/ प्रतिनिधि, पशु संगरोध एवं प्रमाणन सेवाएँ, नई दिल्ली

8	सदस्य	भारतीय निर्यात संगठन संघ (एफ0आई0ई0ओ0), नई दिल्ली के प्रतिनिधि
ग. अन्य सदस्य		
1	सदस्य	राज्य सरकार द्वारा प्रगतिशील किसान एवं /अथवा एफपीओ में से नामित दो (02) सदस्य
2	सदस्य	राज्य सरकार द्वारा नामित दो (02) प्रख्यात निर्यातक
3	सदस्य	राज्य सरकार द्वारा नामित औद्योगिक चैम्बर्स के दो (02) प्रतिनिधि

अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष, अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे तथा नामित सदस्यो का कार्यकाल 02 वर्ष का होगा।

राज्य स्तरीय निर्यात निगरानी समिति इस नीति के उद्देश्य के लिए शक्ति प्राप्त समिति के रूप में कार्य करेगी। राज्य स्तरीय निर्यात निगरानी समिति समय-समय पर राज्य स्तर पर कृषि निर्यात की स्थिति की समीक्षा करेगी एवं राज्य और केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों एवं अन्य हितधारकों के बीच समन्वयन के द्वारा निर्यात संवर्धन उपाय करेगी। यह समिति क्लस्टर की सूची में सुधार, विस्तार, एवं गठन को भी अंतिम रूप प्रदान करेगी। यह मंडलीय और जिला स्तरीय समितियों को कार्यात्मक मार्गदर्शन भी प्रदान करेगी। इस नीति के उद्देश्य की पूर्ति हेतु समिति के अध्यक्ष किसी भी विभाग, संस्था इत्यादि से सदस्य को नामित करने के लिए अधिकृत होंगे।

6.1.3 कृषि विपणन और कृषि विदेश व्यापार विभाग, उत्तर प्रदेश राज्य स्तर पर नोडल विभाग के रूप में कार्य करेगा, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार निदेशालय, उत्तर प्रदेश नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगा। कृषि निर्यात संवर्धन की अपने दायित्वों और गतिविधियों का पर्याप्त निर्वहन करने के लिए सरकार द्वारा नोडल एजेंसी को न्यूनतम आवश्यकता के अनुसार प्रतिवर्ष बजट आवंटित किया जाएगा। नोडल एजेन्सी इस नीति के कार्यान्वयन हेतु राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद् उत्तर प्रदेश एवं मंडी समिति का सहयोग प्राप्त करेगी। राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए धन का उपयोग बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण अंतराल को भरने और निर्यात संबंधित मुद्दों को वित्तपोषित करने के लिए किया जाएगा।

नोडल एजेंसी निर्यातकों/ हितधारकों द्वारा उठाए जाने वाले मामलों का निस्तारण करने के लिए राज्य सरकार के विभिन्न विभागों से संपर्क स्थापित करेगी तथा कार्यक्रम और बैठकें आयोजित करेगी, जानकारी प्रसारित करेगी, क्षमता निर्माण कार्यक्रम आदि आयोजित करेगी। नोडल एजेंसी विभिन्न विभागों और संस्थाओं के लिए संचालन संबंधी एवं उत्पाद विशिष्ट मानक संचालन प्रक्रिया (एस0ओ0पी0) तैयार करने के लिए संबंधित एजेंसियों के साथ कार्य करेगी।

इस नीति के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए नोडल एजेंसी कृषि निर्यात के क्षेत्र के विशेषज्ञों को जोड़ते हुए तथा सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए और नोडल एजेंसी मंडल और जिला स्तरीय इकाइयों के लिए इस नीति के संबंध में संचालनात्मक एवं सूचना प्रौद्योगिकी सहयोग प्रदान करते हुए संस्थागत ढाँचे को मजबूत करेगी।

6.1.4 मंडलायुक्त के स्तर पर उनकी निगरानी में एक **मंडल स्तरीय कृषि निर्यात निगरानी समिति** गठित की जाएगी, जो निम्नवत होगी:-

क्रम सं.	समिति के पद नाम	आधिकारिक पदनाम
1.	अध्यक्ष	मंडलायुक्त
2.	सदस्य	कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) नई दिल्ली के प्रतिनिधि सदस्य
3.	सदस्य	वनस्पति संरक्षण, संगरोध एवं संग्रह निदेशालय, फरीदाबाद, हरियाणा के प्रतिनिधि सदस्य
4.	सदस्य	अध्यक्ष द्वारा नामित राज्य/केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय का प्रतिनिधि
5.	सदस्य	संयुक्त कृषि निदेशक, / उप कृषि निदेशक
6.	सदस्य	संयुक्त आयुक्त, उद्योग सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग
7.	सदस्य	उप निदेशक, उद्यान
8.	सदस्य	प्रधानाचार्य, राज्य खाद्य विज्ञान प्रशिक्षण केंद्र/ खाद्य प्रसंस्करण अधिकारी, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग
9.	सदस्य	अपर निदेशक, पशुपालन

10.	सदस्य	सहायक आयुक्त (खाद्य), खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग, उत्तर प्रदेश
11.	सदस्य	उप निदेशक (प्रशासन/ विपणन), मंडी परिषद
12.	सदस्य	उप निदेशक, मत्स्य
13.	सदस्य	अध्यक्ष द्वारा नामित महाप्रबंधक, चीनी मिल
14.	सदस्य	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के प्रतिनिधि
15.	सदस्य	लघु कृषक कृषि व्यापार संघ के प्रतिनिधि (एस0एफ0ए0सी0)
16.	सदस्य	अध्यक्ष द्वारा नामित एन0ए0बी0एल0 (राष्ट्रीय परीक्षण एवं अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड) से मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला का प्रतिनिधि
17.	सदस्य	अध्यक्ष द्वारा नामित प्रख्यात गैर सरकारी संस्थान (एन0जी0ओ0) के प्रतिनिधि
18.	सदस्य	अध्यक्ष द्वारा प्रगतिशील किसान एवं /अथवा एफपीओ में से नामित दो (02) सदस्य
19.	सदस्य	अध्यक्ष द्वारा नामित मंडल के दो (02) प्रख्यात निर्यातक
20.	सदस्य सचिव	सहायक कृषि विपणन अधिकारी/ सहायक विपणन अधिकारी, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार विभाग, उत्तर प्रदेश

नामित सदस्यो का कार्यकाल 02 वर्ष का होगा।

मंडल स्तरीय निर्यात निगरानी समिति वर्ष में न्यूनतम दो बार मंडल स्तर पर कृषि निर्यात की स्थिति की समीक्षा करेगी और विभिन्न विभागों के बीच समन्वयन द्वारा निर्यात को बढ़ावा देने का उपाय करेगी। यह समिति निर्यात योग्य कृषि उत्पाद और उत्पादन के लिए गठित क्लस्टरो के विकास और कामकाज की समीक्षा करेगी।

6.1.5 जिला स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में **क्लस्टर सुविधा इकाई** स्थापित की जाएगी, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:-

क्रम सं.	**समिति के पद नाम**	**आधिकारिक पदनाम**
1.	अध्यक्ष	जिलाधिकारी
2.	सदस्य	मुख्य विकास अधिकारी
3.	सदस्य	उप कृषि निदेशक / जिला कृषि अधिकारी
4.	सदस्य	जिला उद्यान अधिकारी
5.	सदस्य	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, पशुपालन
6.	सदस्य	उपायुक्त उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र
7.	सदस्य	अभिहित अधिकारी, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, उत्तर प्रदेश
8.	सदस्य	सहायक निदेशक, मत्स्य
9.	सदस्य	अध्यक्ष द्वारा नामित महाप्रबंधक, चीनी मिल
10.	सदस्य	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)/ लघु कृषक कृषि व्यापार संघ (एस0एफ0ए0सी0) के प्रतिनिधि
11.	सदस्य	अध्यक्ष द्वारा नामित प्रख्यात गैर सरकारी संस्थान (एन0जी0ओ0) के प्रतिनिधि
12.	सदस्य	अध्यक्ष द्वारा नामित एन0ए0बी0एल0 (राष्ट्रीय परीक्षण एवं अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड) से मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला का प्रतिनिधि
13.	सदस्य	अध्यक्ष द्वारा प्रगतिशील किसान एवं /अथवा एफपीओ में से नामित दो (02) सदस्य
14.	सदस्य	अध्यक्ष द्वारा नामित जनपद का एक (01) निर्यातक
15.	सदस्य सचिव	जिला कृषि अधिकारी/ ज्येष्ठ कृषि विपणन निरीक्षक, कृषि विपणन विभाग

नामित सदस्यो का कार्यकाल 02 वर्ष का होगा।

क्लस्टर सुविधा इकाई का प्रयास होगा कि:-

क) प्रत्येक संबंधित विभाग उपयुक्तता और निर्यात प्रोत्साहन के लक्ष्यों के अनुसार क्लस्टर में किसानों /एफ0पी0ओ0/एफ0पी0सी0 की संख्या और क्षेत्र का निर्धारण करे।

ख) क्लस्टर विकास कार्य की निगरानी करना।

ग) निर्यात योग्य मदों के क्लस्टर खेती के अंतर्गत क्षेत्र वृद्धि को प्रोत्साहित करना और उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार करना।

घ) प्रत्येक क्लस्टर में कई एजेंसियों जैसे लघु कृषक कृषि व्यापार संघ, नाबार्ड आदि के अंतर्गत एफपीओ/ एफपीसी के पंजीकरण को प्रोत्साहित करना।

ड़) विभिन्न कृषि फसलों और उत्पादों के लिए मुख्य विभागों (कृषि, पशुपालन, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, डेयरी एवं दुग्ध विकास, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, मत्स्य, कृषि विपणन, मंडी समिति आदि) और हितधारकों (निर्यातकों, संभावित निर्यातकों, किसान की उत्पादक कंपनियाँ (एफपीसी), किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ), किसान एवं उत्पादक सहकारी समितियाँ, किसान आदि) के बीच क्लस्टर स्तरीय समन्वयन स्थापित करना।

च) एपीडा ऑनलाइन ट्रैसेबिलिटी सिस्टम के तहत किसानों के पंजीकरण को सुगम बनाना और प्रोत्साहित करना। निर्यातकों को उत्पाद की सीधी खरीद के लिए पंजीकृत एफपीओ/ एफपीसी/ किसानों से जोड़ना।

छ) प्राथमिक और द्वितीयक प्रसंस्करण इकाईयों और निर्यातकों के साथ उनके संपर्क को प्रोत्साहित करना तथा सुगम बनाना।

ज) क्लस्टर को बनाने में संगठनों/ संस्थानो/ गैर सरकारी संगठनो (एन0जी0ओ0) एवं अन्य हितधारकों की मदद ली जायेगी।

झ) क्षेत्र की उपयुक्तता के आधार पर चिन्हित कृषि उत्पाद और उत्पादन के नये कलस्टर के निर्माण हेतु संस्तुति करेगी, जिसके सम्बन्ध में राज्य स्तरीय निर्यात निगरानी समिति कलस्टर के निर्माण को तय करने के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय लेगी ।

नोट-

1- फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी (एफपीसी) का अर्थ है किसान उत्पादक सदस्यों की एक कंपनी, जैसा कि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा IXA में परिभाषित है तथा कंपनियों के रजिस्ट्रार से यथा संशोधित एवं लागू निगमित है।

2- किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) का अर्थ है किसानों का एक संघ, जिसे किसी भी नाम / रूप में कहा जाता है / मौजूद है तथा जो तत्समय लागू किसी भी कानून के तहत पंजीकृत है, जो किसानों को सामूहिक संगठित कर उनमें उत्पादन और विपणन का लाभ उठाने की क्षमता का निर्माण करता है।

6.1.6 कृषि उत्पाद और उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने के लिए विभिन्न राज्य स्तरीय संबंधित नीतियों के लाभों को जोड़ने के प्रयास किये जाएँगे जिसमें कृषि नीति 2013, उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2017, उत्तर प्रदेश वेयरहाउससिंग तथा लॉजिस्टिक्स नीति 2018 और उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2017 शामिल है।

6.2 बुनियादी ढांचे को सक्षम करना - नए का विकास और मौजूदा बुनियादी ढांचे का उन्नयन

अन्तरराष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप विदेशी बाजारों को जोड़ने एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु सभी सुसज्जित उपकरणों सहित संग्रह केन्द्र, पैक हाउस, वेयरहाउस, पकाने वाले चैंबर, लॉजिस्टिक्स, अंतर्देशीय कंटेनर डिपो (आईसीडी), एयरपोर्ट पर कार्गो केन्द्रों के द्वारा राज्य, मण्डल एवं जिला स्तर पर कृषि निर्यात के सहायतार्थ पर्याप्त अवसंरचना स्थापित करना प्राथमिक आवश्यकता है। राज्य और मंडल स्तर पर आवश्यकतानुसार एन0ए0बी0एल0 मान्यता प्राप्त कीटनाशक अवशेष, भारी धातु और जैविक संदूषण परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना करने में मदद किया जाना लक्षित है।

सार्वज़निक, निजी, एवं निजी व सार्वज़निक साझेदारी (पी0पी0पी0) क्षेत्र में पैक हाउस/ संग्रह केंद्र/ पकाने का कक्ष/ रीफर वैन-नॉन रीफर वैन/ गोदाम/ शीतगृह की सुविधाओं को विकसित करना जिससे नष्ट होने वाले पदार्थो को विभिन्न स्तरों पर जैसे पैक हाउस, आईसीडी व एयरपोर्ट पर कार्गो केन्द्रों पर भी रक्षित किया जा सके। शीध्र नाशवान पदार्थो के परिवहन सुविधाओं यथा रीफर वैन/ रीफर ट्रको को उत्तर प्रदेश वेयरहाउससिंग तथा लॉजिस्टिक्स नीति 2018 और उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2017 के अन्तर्गत प्रदत्त अनुदान द्वारा पर्याप्त प्रोत्साहित किया जायेगा।

ढाँचागत सुविधाओं की आवश्यकताओं की पहचान करने के लिए सभी सम्बंधित विभागों द्वारा व्यापक विश्लेषण किया जाएगा एवं कमियों (need gap) को चिन्हित किया जायेगा, जो उनके संबंधित क्षेत्र में निर्यात के लक्ष्य को हासिल करने के लिए आवश्यक होगा। राज्य में संबंधित विभागों द्वारा अपने लक्ष्य निर्धारित किये जाएँगे और उन्हें हासिल करने की रणनीति बनाई जाएगी। उपयुक्त विश्लेषण के आधार पर प्रभावी मूल्य श्रृंखला आयातकर्ता देशों के कठोर गुणवत्ता और स्वच्छता एवं पादपस्वच्छता मानकों को पूरा करने के लिए विशेष रूप से जल्दी नष्ट होने योग्य उत्पादों के लिए विकसित की जाएगी।

6.2.1 उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति उत्पादन और उत्पादों के लिए क्लस्टर दृष्टिकोण पर केंद्रित है और क्लस्टर की पहचान उत्पादन, निर्यात में योगदान, निर्यातक के संचालन, प्रचालन की मापनीयता, निर्यात बाजारों के आकार और निर्यात में वृद्धि की क्षमता पर आधारित होगी। निर्यातों को बढ़ाने के लिए पहचान किए गए क्लस्टर्स में बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रयास किए जाएंगे।

इस नीति के अन्तर्गत निर्यात क्लस्टर के लिए न्यूनतम 50 हेक्टेयर की कृषि भूमि होनी चाहिये, यह भूमि 20-20 हेक्टेयर की आपस में निरन्तरता में हो, जिसे जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित क्लस्टर सुविधा इकाई द्वारा अनुमोदित किया जायेगा।

यह नीति विशेष रूप से अनुलग्नक-1 में वर्णित जिलों में फसलों और उत्पादों की कृषि निर्यात क्षमता की प्राप्ति के उद्देश्य से है। क्लस्टर की सूची का विस्तार और संशोधन जिला स्तरीय क्लस्टर सुविधा सेल की सिफारिश पर राज्य स्तरीय निर्यात निगरानी समिति द्वारा संशोधित किया जा सकता है और यह समिति इस नीति के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए क्लस्टर्स को अंतिम रूप देने के लिए एक शक्ति प्राप्त समिति के रूप में कार्य करेगी।

6.2.2 क्लस्टर्स के निकट स्थापित की जाने वाली नवीन प्रसंस्करण इकाईयों के लिए निर्यात आधारित प्रोत्साहन व्यवस्था

नोडल एजेंसी क्लस्टर्स में उत्पादित कृषि उत्पाद के प्रसंस्करण हेतु स्थापित की गयी नई प्रसंस्करण इकाई/पैक हाउस/शीत गृह/राइपेनिंग चैम्बर आदि को निर्यात की स्थिति में निर्यात प्रोत्साहन प्रदान करेगी। यह प्रोत्साहन निर्यात के टर्न ओवर के 10 प्रतिशत अथवा रूपया 25 लाख, जो भी कम हो, निर्यात प्रारम्भ करने के वर्ष से 05 वर्षों तक दिया जायेगा । यह केवल नई इकाइयों, जो क्लस्टरों के पास स्थापित की जायेंगी, को ही देय होगा । इसके लिए उक्त इकाई को क्रय किए गए कृषि उत्पाद को मौलिक अथवा प्रसंस्कृत रूप में न्यूनतम 40 प्रतिशत

निर्यात करना होगा। यह प्रोत्साहन धनराशि निर्यात दायित्व सिद्ध होने के उपरान्त दी जाएगी। इस संबंध में निर्णय राज्य स्तरीय निर्यात निगरानी समिति द्वारा लिया जाएगा, जो इस उद्देश्य के लिए शक्ति प्राप्त समिति के रूप में भी काम करेगी।

6.2.3 निजी क्षेत्र के लिए प्रोत्साहन

कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिये निर्यातकों को प्रोत्साहित करने हेतु निम्नलिखित उपाय किये जायेंगे :-

6.2.3.1

निर्यात उन्मुख क्लस्टर्स की सुविधा और गठन के लिए और ऐसे क्लस्टर्स में आवश्यक प्रसंस्करण इकाई की स्थापना सुनिश्चित करने के लिए और इन क्लस्टर्स से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन इस प्रकार दिया जाएगा:

वर्ग	**न्यूनतम पात्रता आवश्यकताएँ**	**प्रोत्साहन**
कृषक क्लस्टर	क्लस्टर क्षेत्र 50 हेक्टेयर से 100 हेक्टेयर तक	क्लस्टर निर्माण, पंजीकरण और निर्यात दायित्व पूर्ण होने पर रुपये 10 लाख।
	100 हेक्टेयर से अधिक एवं 150 हेक्टेयर तक	क्लस्टर निर्माण, पंजीकरण और निर्यात दायित्व पूर्ण होने पर रुपये 16 लाख।
	150 हेक्टेयर से अधिक एवं 200 हेक्टेयर तक	क्लस्टर निर्माण, पंजीकरण और निर्यात दायित्व पूर्ण होने पर रुपये 22 लाख।
	200 हेक्टेयर से अधिक एवं 250 हेक्टेयर तक	क्लस्टर निर्माण, पंजीकरण और निर्यात दायित्व पूर्ण होने पर रुपये 28 लाख।
	250 हेक्टेयर से अधिक एवं 300 हेक्टेयर तक	क्लस्टर निर्माण, पंजीकरण और निर्यात दायित्व पूर्ण होने पर रुपये

		34 लाख।
	300 हेक्टेयर से अधिक एवं 350 हेक्टेयर तक	क्लस्टर निर्माण, पंजीकरण और निर्यात दायित्व पूर्ण होने पर रुपये 40 लाख।
	उपर्युक्तानुसार क्लस्टर का क्षेत्रफल बढ़ने पर धनराशि में रूपये 6 लाख की बढ़ोत्तरी अनुमन्य होगी।	
	इसमें से प्रथम वर्ष में 40 प्रतिशत एवं उसके पश्चात 15 प्रतिशत प्रति वर्ष आगामी 04 वर्ष तक निर्यात होने पर।	

अतिरिक्त प्रोत्साहन प्राप्त करने हेतु क्लस्टर द्वारा उत्पादित कृषि जिन्स का स्थानीय उत्पादकता के आधार पर (कृषि विभाग/उद्यान विभाग/ सम्बन्धित विभाग के उत्पादन आकडों के अनुसार) कुल उत्पादन का न्यूनतम 30 प्रतिशत मात्रा में निर्यात होने पर दायित्व पूर्ण माना जायेगा तथा आगामी 04 वर्षो में निर्यात को बढाते हुए 50 प्रतिशत तक करने का प्रयास किया जाएगा।

क्लस्टर का भौतिक निरीक्षण एवं सत्यापन जिला स्तरीय क्लस्टर सुविधा इकाई के द्वारा किया जायेगा । क्लस्टर कम्पनी अधिनियम, 1956 अथवा उत्तर प्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम 1965 के अन्तर्गत एफ0पी0ओ0/एफ0पी0सी0 अथवा सोसायटीज पंजीकरण अधिनियम 1860 के अन्तर्गत कृषक समूह (Farmers' Aggregate) के रूप में गठित किये जायेंगे तथा प्रोत्साहन धनराशि उक्त संस्था को ही निर्यात एवं अच्छी कृषि पद्धति के सम्बन्ध में प्रसार हेतु दिया जायेगा ।

6.2.3.2 कृषि उत्पादों व प्रसंस्कृत वस्तुओं के निर्यात हेतु परिवहन अनुदान:

उत्तर प्रदेश समुद्री तट से बहुत दूर स्थित है, जिससे निर्यातकों को समुद्री तट वाले राज्यों से प्रतिस्पर्धा में कठिनाई आती है। वायु मार्ग से निर्यात करने पर बहुत खर्च आता है। उक्त के दृष्टिगत निर्यातकों को परिवहन अनुदान दिया जायेगा। कृषि उत्पादों व प्रसंस्कृत

वस्तुओं के निर्यात पर शक्ति प्राप्त समिति (इम्पावर्ड कमेटी) के द्वारा उक्त परिवहन अनुदान (वायु मार्ग/ सडक मार्ग/ जल मार्ग) दिया जायेगा।

कृषि उत्पादो एवं इनसे प्रसंस्कृत वस्तुओं के निर्यात पर परिवहन अनुदान कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार विभाग के द्वारा ही दिया जायेगा। परिवहन अनुदान (वायु मार्ग/ सडक मार्ग/ जल मार्ग) की दरों का निर्धारण निम्नवत् है:-

क) वायु मार्ग से निर्यात करने पर परिवहन अनुदान रू0 10 (रूपया दस) प्रति किलोग्राम अथवा वास्तविक भाडे का 25 प्रतिशत, जो भी कम हो।
ख) जल मार्ग अथवा सड़क मार्ग से निर्यात करने पर परिवहन अनुदान रू0 05 (रूपया पॉच) प्रति किलोग्राम अथवा वास्तविक भाडे का 25 प्रतिशत, जो भी कम हो।

परिवहन अनुदान मद में प्रतिवर्ष अधिकतम रू0 10 लाख प्रति निर्यातक/फर्म को देय होगा। उक्त परिवहन अनुदान मांस एवं चीनी के निर्यात पर देय नहीं होगा।

यह परिवहन अनुदान निर्यातक से इस आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के बाद दिया जायेगा कि उनके द्वारा अन्य किसी स्रोत/विभाग से इस प्रकार का कोई अनुदान नहीं लिया गया है।

6.2.3.3 कृषि निर्यात (उत्पाद/उत्पादन) में प्रयुक्त विर्निदिष्ट कृषि उपज पर मण्डी शुल्क एवं विकास सेस से छूट निम्नवत् दी जायेगी :

1: किसानों, कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ/ एफपीसी) अथवा सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के अन्तर्गत गठित कृषक उत्पादक समूह से सीधे क्रय करने पर मण्डी शुल्क शत-प्रतिशत एवं विकास सेस शत-प्रतिशत की छूट दी जायेगी।
2: आढ़तियो के माध्यम से खरीद करने पर मण्डी शुल्क की शत-प्रतिशत छूट दी जायेगी परन्तु निर्धारित विकास सेस देय होगा।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 में उपलब्ध प्राविधानों के अनुरूप निर्यात दायित्व सिद्ध करने के उपरान्त निर्यात पर मण्डी शुल्क एवं विकास सेस आदि से छूट मिलेगी, जो सामान्यत: 05 वर्षो तक देय है।

6.2.3.4 कृषि निर्यात/ पोस्ट हार्वेस्ट प्रबंधन और प्रौद्योगिकी में डिग्री/ डिप्लोमा/ सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए प्रोत्साहन:

रोजगार सृजन करने और बढ़ावा देने के लिए एवं राज्य में निर्यात और फसल प्रबंधन के क्षेत्र में कुशल कर्मियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कृषि निर्यात और पोस्टहार्वेस्ट प्रबंधन एवं प्रौद्योगिकी में डिग्री / डिप्लोमा / सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए उत्तर

प्रदेश में स्थित विश्वविद्यालयों/ सरकारी संस्थानों में वार्षिक फीस की 50 प्रतिशत या रुपया 0.50 लाख प्रति छात्र की अधिकतम सीमा के अन्तर्गत प्रदान किया जायेगा। 15 महीने से अधिक की अवधि के पाठ्यक्रमों हेतु फीस के लिए रुपया 1.0 लाख दिया जाएगा।

इस प्रकार के उच्च शिक्षा कार्यक्रम प्रारम्भ करने वाले राजकीय संस्थानों को एक मुश्त रूपया 50 लाख अनुदान दिया जायेगा ।

6.2.4 बाजार परिज्ञान एवं अनुसंधान

वर्तमान में उत्तर प्रदेश में बाजार काफी हद तक आपूर्ति आधारित है, जबकि वैश्विक रुझान दिन प्रतिदिन बदल रहा है। यह नीति मूल्य श्रृंखला के सभी चरणों में लाभप्रदता बढ़ाने के लिए मांग आधारित कृषि उत्पादन की ओर एक बदलाव का इरादा रखती है। नोडल एजेंसी द्वारा राज्य में निर्यात उन्मुख बाजार परिज्ञान प्रणाली को सुविधाजनक बनाने, विकसित करने और सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से हितधारकों के बीच प्रचार सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार से सहयोग प्राप्त किया जाएगा। इस संबंध में विशेषज्ञों की आवश्यक सेवाओं को लिया जा सकेगा।

6.2.5 पैकेजिंग:

अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार वस्तुओं की आकर्षक और स्वीकार्य पैकेजिंग की सुविधा के लिए हितधारकों को अंतर्राष्ट्रीय पैकेजिंग आवश्यकता के अनुसार पैकेजिंग सामग्री के डिजाइन,

मुद्रण, निर्माण के लिए जैसा कि शक्ति प्राप्त समिति द्वारा तय किया जाय, प्रोत्साहन राशि दी जायेगी। उत्तर प्रदेश सरकार प्रमुख राज्य/ केंद्रीय संस्थानों के सहयोग से आयात करने वाले देश

की विशिष्ट वस्तु आवश्यकताओं के लिए पैकेजिंग समाधानों के अनुसंधान और विकास को भी बढ़ावा देगी और हितधारकों को उसे उपलब्ध करायेगी।

6.2.6 ट्रेसेबिलिटी

निर्यात योग्य कृषि उपज की अंतर्राष्ट्रीय स्वीकार्यता को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल उपकरणों के माध्यम से राज्य में निर्यात योग्य उत्पादन की एक ट्रेसेबिलिटी प्रणाली स्थापित और प्रोत्साहित की जाएगी। राज्य स्तर की निर्यात निगरानी समिति ट्रेसेबिलिटी को प्रोत्साहन राशि प्रदान करने के लिए अधिकृत होगी।

6.3 निर्यात सुविधा केंद्रों को स्थापित करना

राज्य स्तरीय कृषि निर्यात सुविधा केंद्र/ कृषि निर्यात प्रोत्साहन इकाई कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार निदेशालय, उत्तर प्रदेश में स्थापित की जाएगी, जहाँ पर आवश्यकता पड़ने पर विशेषज्ञों की सेवाएँ प्राप्त की जाएँगी। यह विभिन्न योजनाओं और उत्पादों पर जानकारी और सहायता प्राप्त करने के लिए हितधारकों हेतु केंद्रीय संपर्क बिंदु के रूप में कार्य करेगी।

राज्य स्तर पर सभी सम्बंधित विभाग (कृषि, पशुपालन, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास, डेयरी एवं दुग्ध विकास, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, मत्स्य, मंडी परिषद आदि) नोडल एजेंसी के समन्वयन से निर्यात प्रोत्साहन इकाई स्थापित करेंगे। प्रत्येक सम्बंधित विभाग में स्थापित निर्यात प्रोत्साहन इकाई के द्वारा समन्वय करते हुए विभाग में निर्यात विकास प्रोत्साहन कार्य की निगरानी की जाएगी। प्रत्येक सम्बंधित विभाग निर्यात प्रोत्साहन, गुणवत्तापूर्ण निर्यात योग्य अधिशेष के उत्पादन में वृद्धि के लिए पर्याप्त बजट को आवंटित करने का प्रयास करेगा। सभी क्षेत्रीय विभाग राज्य से निर्यात को विविधीकृत करने और विस्तार करने के लिए वार्षिक कार्ययोजना विकसित करने और कार्यान्वित करने के लिए उत्तरदायी होगें।

6.4 सूचना प्रसार और क्षमता निर्माण

निर्यातकों और किसानों को विभागीय सुविधा केन्द्रों और विभागों द्वारा समय-समय पर कृषि निर्यात परिदृश्य पर पर्याप्त और अपडेटेड जानकारी प्रदान की जाएगी। नोडल एजेंसी

किसानों और अन्य हितधारकों तक पहुँचने के लिए सूचना, शिक्षा और संचार (आई0ई0सी0) सामग्री को प्रसारित करने के लिए इन विभागों एवं गैर सरकारी संगठनो (एन0जी0ओ0) से राज्य स्तर पर समन्वय स्थापित करेगी।

नोडल एजेंसी कृषि निर्यात प्रोत्साहन और सुगमीकरण के विविध पहलुओं पर विश्वविद्यालयों, संस्थाओं, गैर सरकारी संगठनो (एन0जी0ओ0), अन्तराष्ट्रीय संगठनों (यू0एस0डी0ए0, सी0आइ0टी0डी0 इत्यादि) और संबंधित राज्य स्तरीय विभागों के सहयोग से क्षमता निर्माण कार्यक्रमों की योजना बनाएगी और इसे आयोजित करेगी। कार्यक्रमो को राज्य में कृषि निर्यात तथा पर्यावरण के अनुकूल स्थायी कृषि पद्धतियो के प्रोत्साहन करने पर केन्द्रित किया जायेगा।

6.5 व्यवसाय को प्रोत्साहित करना, स्टार्ट अप और निवेश प्रोत्साहन

नोडल एजेंसी कृषि निर्यात के क्षेत्र में स्टार्ट-अप और निजी निवेश को बढ़ावा देने और इस संबंध में व्यवसाय को प्रोत्साहित करने का प्रयास करेगी।

सभी सम्बंधित विभागों में अपनी विभागीय योजनाओं के माध्यम से निर्यात के प्रयोजन के लिए किसानों/एफपीओ/ कृषि निर्यातकों को प्रोत्साहन राशि देने और खेती के इनपुट जैसे गुणवत्तापूर्ण बीज, उर्वरक, कीटनाशक, जैविक उत्पादन तथा फार्म मशीनरी तथा दुकानें एवं स्थान आवंटित करने में अधिमान्यता और परिवहन आदि में मदद करने के भी प्रयास किये जायेंगे।

सभी निर्यात योग्य फल और सब्जियों के लिए अबाधित आपूर्ति श्रृंखला को बढ़ावा दिया जायेगा तथा इन पर देय मंडी शुल्क और सेस में छूट दी जाएगी। सीधे विपणन (मंडी स्थल, उप मंडी स्थल, निजी मंडी स्थल से बाहर किसानों से सीधी थोक खरीद), अनुबंध खेती, निजी मंडी स्थल की स्थापना, विशिष्ट जिन्स मंडी की स्थापना, एकत्रीकरण केन्द्र/पकाने के कक्ष/ पैक हाउस/ गोदाम/ साइलो/ कोल्ड स्टोरेज/ या ऐसी अन्य संरचना या स्थान को मंडी उप स्थल घोषित किया जाना और किसान/ उत्पादक को विपणन स्वतंत्रता को बढ़ावा दिया जाएगा और राज्य में इसकी सुविधा प्रदान की जाएगी।

क्लस्टर के लिए सामान्य सुविधा केन्द्र (कॉमन फैसिलिटी सेन्टर) की सुविधा सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी।

6.6 अच्छी कृषि पद्धतियों का कार्यान्वयन

अंतर्राष्ट्रीय मानकों और दिशानिर्देशों के अनुसार, सम्बंधित विभाग दीर्घकाल में बेहतर व्यवसाय सुनिश्चित करने के लिए अच्छी कृषि पद्धतियों को प्रोत्साहित करेंगे। नोडल एजेंसी विभिन्न स्तरों पर अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओ पर जानकारी साझा करने के लिए विभागों और संस्थाओं के साथ समन्वयन में कार्य करेगी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उत्पाद की स्वीकार्यता को सुनिश्चित करने के लिए हितधारकों के बीच जानकारी प्रसारित की जाएगी। इस प्रयोजन के लिए आसान सन्दर्भ हेतु पर्याप्त प्रलेखन भी किया जाएगा तथा कृषि विभाग के प्रसार तंत्र का भी उपयोग किया जायेगा ।

6.7 नवोन्मेष, शोध और विकास

विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों और निर्यात को बढ़ावा देने वाली एजेंसियों के बीच अधिक से अधिक सहभागिता सुनिश्चित करने की आवश्यकता है जो अनुसंधान निकायों को निर्यात विशिष्ट आवश्यकताओं पर काम करने में सक्षम बनाएंगे। विशिष्ट अनुसंधान के लिए क्षेत्रों (जैसे रोग मुक्त क्षेत्र, लंबी दूरी की समुद्री प्रोटोकॉल, निर्यात किस्मों का विकास/निर्यात योग्य प्रजाति का आयात, आदि) का चिन्हांकन अनुसंधान संस्थानों द्वारा स्वदेशी प्रजातियों के विकास, जैविक कृषि प्रथाओं और अच्छी गुणवत्ता के निर्यात योग्य उत्पाद सुनिश्चित करने के लिए नोडल एजेंसी द्वारा किया जायेगा। नवोन्मेष, शोध और विकास को अतिरिक्त प्रोत्साहन दिये जाने के सम्बन्ध में राज्य स्तरीय निर्यात निगरानी समिति निर्णय लेने हेतु अधिकृत होगी।

6.8 प्रचार कार्यक्रम

नोडल एजेंसी देश और विदेश में अंतर्राष्ट्रीय क्रेता-विक्रेता समागम (बी0एस0एम0) आयोजित करेगी। इसके लिये वह सभी प्लेटफार्म और साधनों अर्थात रोड शो, सोशल मीडिया, प्रदशर्नी, डिजीटल प्लेटफार्म आदि का प्रयोग करेगी।

6.9 विविध

इस नीति के कार्यान्वन में हितधारकों के बीच व्यवसाय को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न अवसर विभिन्न विभागों और एजेंसियों के सहयोग से उत्पन्न किये जाएँगे। सभी

संबंधित विभागों के लिए बेहतर समन्वयन और कार्यान्वयन तथा किसानों और निर्यातकों तक पहुँचने के लिए सूचना और प्रोद्यौगिकी का प्रयोग किया जाएगा तथा सम्बंधित विभाग इस नीति के समय से कार्यान्वयन के लिए सरकारी आदेश और दिशानिर्देश जारी करना सुनिश्चित करेंगे।

6.10 प्रभाव मूल्यांकन

कृषि निर्यात को बढ़ाने के वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने और इस संबंध में महत्वपूर्ण अंतराल (गैप) को समाप्त करने के लिए इस नीति के प्रभाव का आकलन करने के लिए एक तीसरे पक्ष द्वारा समय-समय पर मूल्यांकन किया जाएगा।

6.11 निष्कर्ष

उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति 2019 (यू0पी0-ए0ई0पी0, 2019) का लक्ष्य कृषि निर्यात प्रोत्साहन के क्षेत्र में विभिन्न मुद्दों और संभावनाओं पर सम्यक ध्यान देना है जिससे उत्तर प्रदेश की कृषि अर्थ व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा सकेगा।

अमित मोहन प्रसाद
प्रमुख सचिव।

संख्या-3/2019/346/अस्सी-2-2019, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2-सचिव, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3-स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
4-कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
5-समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
6-स्थानिक आयुक्त, उत्तर प्रदेश नई दिल्ली।
7-समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8-निदेशक, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार निदेशालय, किसान मण्डी भवन, गोमती नगर, लखनऊ।
9-निदेशक, राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उ0प्र0 किसान मण्डी भवन, गोमती नगर, लखनऊ।

10-निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।

11-गोपन अनुभाग-1, उ0प्र0सचिवालय।

12-वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1

13-निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, ऐशबाग,लखनऊ को असाधारण गजट में प्रकाशनार्थ इस अनुरोध सहित प्रेषित कि कृपया 500 मुदि्त प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्टकरें।

14-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

शिवराम त्रिपाठी
विशेष सचिव।

अधिसूचना संख्या-3/2019/346/अस्सी-2-2019-100(9)/2019, दिनांक 13 सितम्बर, 2019 का संलग्नक

अनुलग्नक -1

उत्तर प्रदेश के चिन्हांकित क्लस्टर की सूची

उत्पाद	जनपद
ताजे फल/सब्जी, खाद्यान्न, तिलहन	
आम	वाराणसी, सहारनपुर, मेरठ, लखनऊ, सीतापुर, उन्नाव, अमरोहा, रामपुर
केला	गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज, बहराइच, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर नगर, बाराबंकी, कौशाम्बी
अमरूद	कौशाम्बी, प्रयागराज, कानपुर नगर, बदायूं, फर्रूखाबाद
आंवला	प्रतापगढ़, कौशाम्बी, फैजाबाद
आलू	आगरा, फर्रूखाबाद, कानपुर नगर, कन्नौज, बदायूं, सम्भल, फिरोजाबाद
ताजी सब्जियां (हरी मिर्च, भिण्डी, लौकी, करेला, हरी मटर, परवल, टमाटर, पत्तेदार सब्जियां इत्यादि)	लखनऊ, अयोध्या, कानपुर नगर, वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र, चन्दौली, कौशाम्बी, जालौन, कासगंज, बरेली, बाराबंकी, बुलन्दशहर, अलीगढ़, फैजाबाद, बलिया
बासमती चावल	सहारनपुर, मेरठ, अलीगढ़, आगरा, बरेली, मुरादाबाद
तिल	झांसी, हमीरपुर, महोबा, बांदा, जालौन
काला नमक चावल	गोरखपुर, महाराजगंज, संतकबीर नगर, सिद्धार्थनगर नगर, बहराइच, गोण्डा, देवरिया, बस्ती, कुशीनगर, चन्दौली, मऊ
चिकोरी	एटा, कासगंज
लहसुन	फिरोजाबाद, एटा, मैनपुरी

भौगोलिक संकेत वाली फसलें	
इलाहाबादी सुर्ख अमरूद	प्रयागराज, कौशाम्बी
मलिहाबादी दशहरी	लखनऊ
बासमती चावल	पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 23 जिले
काला नमक चावल	गोरखपुर, महाराजगंज, संतकबीर नगर, सिद्धार्थनगर नगर, बहराइच, गोण्डा, देवरिया, बस्ती, कुशीनगर, चन्दौली, मऊ
जैविक उत्पादन	
धान, गेहूं, सब्जियां, आलू, औषधीय पौधे, सरसों, बाजरा, आम, अमरूद, मूंग, उरद, गन्ना, हल्दी, मटर, अरहर इत्यादि	उत्तर प्रदेश राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था की लिस्ट के अनुसार क्लस्टर जिला/क्षेत्र
पशु/डेयरी एवं उनके उत्पाद	
ताजा दूध, स्किम्ड दूध, पनीर, घी, मांस इत्यादि	एटा, मथुरा, बुलन्दशहर, वाराणसी, गोरखपुर, उन्नाव, अलीगढ़, रामपुर, लखनऊ, मेरठ
प्रसंस्कृत उत्पाद	
अचार, फ्रोजन सब्जियां, जूस, जैम, रेडी टू ईट, रेडी टू कुक, कन्फेक्शनरी, खाद्यान्न आटा, खाद्यान्न रोस्टेड, नमकीन इत्यादि	गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, मेरठ, आगरा, मथुरा, लखनऊ, वाराणसी, झांसी, कानपुर, प्रयागराज
मछली एवं मछली उत्पाद	
मछली एवं मछली उत्पाद	गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया

अमित मोहन प्रसाद
प्रमुख सचिव।

राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उ0प्र0,

किसान मण्डी भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ
दूरभाष सं0 0522–2720387, फैक्स : 2720766

पत्रांकः विप–3/2743/2018– 538 दिनांकः 26.9.2018

1. समस्त उप निदेशक(प्रशा0/विप0)
   मण्डी परिषद, उ0प्र0।
2. समस्त सचिव,
   कृषि उत्पादन मण्डी समितियॉ,
   उ0प्र0।

विषयः– मण्डी परिषद द्वारा मण्डी समितियों के माध्यम से संचालित कल्याणकारी योजनाओं का नाम "मुख्यमंत्री कृषक कल्याणकारी योजना" रखने एवं उसमें संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में।

मण्डी परिषद द्वारा मण्डी समितियो के माध्यम से संचालित कल्याणकारी योजनओं के स्वरूप एवं संबंधित बिन्दुओं पर कतिपय परिवर्तन मा0 संचालक मण्डल की 154वीं बैठक दिनांक 18.01.2018 के निर्णय एवं शासन के अनुमोदन दिनांक 10.09.2018 के माध्यम से किये गये हैं। तद्नुसार मण्डी परिषद द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में निम्नलिखित प्रविधान एवं संबधित बिन्दु दिनांक 01 अप्रैल, 2018 से प्रभावी होगें :–

1. "मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना सहायता योजना"

उत्तर प्रदेश की अधिसूचित मण्डी क्षेत्रों के कृषकों, खेतिहर मजदूरों तथा मण्डी स्थल में कार्यरत पल्लेदारों, जो कृषि कार्य अथवा कृषि उपकरणों के संचालन में संलग्न है अथवा कृषि संबंधी बिजली उपकरणों अथवा कुँओं की खुदाई अथवा गहराई बढ़ाने हेतु कार्यरत हैं अथवा ट्रैक्टर का उपयोग कृषि उत्पादन की ढुलाई/थ्रेसिंग करते समय तथा अन्य कृषि कार्य करते समय दुर्घटनाग्रस्त होने पर और उसके फलस्वरूप शारीरिक क्षति/अपंगता/मृत्यु होने पर आर्थिक सहायता हेतु मण्डी परिषद द्वारा मण्डी समितियों के माध्यम से "समूह कृषक व्यक्तिगत दुर्घटना सहायता योजना संचालित की जा रही है, इस योजना के अन्तर्गत दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों एवं मृत्यु की दशा में उनके वैध वारिसों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना को और अधिक उपयोगी, व्यापक एवं पारदर्शी बनाने हेतु वर्तमान में प्रभावी योजना के स्थान पर संशोधित **"मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना सहायता योजना"** के प्राविधान निम्नवत् होंगे–

1–योजना आवरण का कार्यक्षेत्र

इस योजना का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश होगा। इस योजना के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति हेतु दुर्घटना से मृत्यु अथवा विकलांगता, जिसमें अंग से हानि शामिल है (शरीर से अलग होने पर) एवं ऑखों की क्षति, कृषि एवं कृषि से सम्बन्धित कार्य करते समय हुए दुर्घटनाग्रस्त होने पर इस योजना की परिधि के अन्तर्गत आयेंगे। उत्तर प्रदेश के समस्त कृषक, खेतिहर मजदूर एवं मण्डी पल्लेदार जो केवल कृषि अथवा कृषि से सम्बन्धित कार्य में संलग्न हो, इस योजना के अन्तर्गत आच्छादित होंगे। यदि कोई व्यक्ति या मजदूर किसी ठेकेदार अथवा व्यवसायिक प्रतिष्ठान/निमित्त अथवा स्वयं एक व्यवसायी की भॉति कोई कार्य कर रहा है, तो वह इस योजना के अन्तर्गत संरक्षित नहीं होगा और उसको कोई आर्थिक सहायता नहीं दी जायेगी।

2–शारीरिक दुर्घटना का तात्पर्य

इस योजना के अन्तर्गत सहायता हेतु व्यक्तिगत/शारीरिक दृर्घटना का अर्थ वाह्य हिंसक एवं दृष्टिगत कारणों से जिसके द्वारा दुर्घटना घटित हुई तथा वह स्पष्ट रूप से शरीर पर दृष्टिगोचर हो रही हो, जिसके फलस्वरूप प्रत्यक्ष सम्पूर्ण रूप से मृत्यु अथवा शारीरिक क्षति का कारण हो तथा वह बाह्य दुर्घटना कृषि तथा कृषि सम्बन्धी कार्य करते समय ही हुई हो, तभी स्वीकार करने के उपयुक्त होगी।

3–योजना की शर्तें व नियम–

(1) योजना के अन्तर्गत सहायता प्राप्ति हेतु दावा स्वीकार करने के लिए पात्रता की आयु सीमा केवल 18 से 70 वर्ष के मध्य ही होगी।

(2) यह योजना केवल उत्तर प्रदेश के निवासी कृषकों, खेतिहर या मण्डी मजदूरों पर ही लागू होगी। दुर्घटना केवल उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा में ही घटित हुई हो, परन्तु यदि किसी दूसरे प्रान्त का कृषक/ मजदूर 02 वर्ष से उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी है, इसकी पुष्टि तहसीलदार द्वारा की गयी है तो वह इस योजना के अन्तर्गत संरक्षित माना जायेगा।

4– योजना के अन्तर्गत निम्न प्रकार की दुर्घटनाएं आच्छादित होंगी :–

(1) कृषि उपकरणों एवं कीट–रोग नाशक रसायनों के प्रयोग के समय घटित दुर्घटनाएं ।

(2) बैल/भैंसा गाड़ी, ट्रैक्टर –ट्राली व अन्य वाहनों का उपयोग कृषि कार्य व ढुलाई आदि के समय घटित होने वाली दुर्घटनाएं ।

(3) कुओं/नलकूपों की खुदाई अथवा उनकी गहराई बढाते समय घटित दुर्घटनाएं ।

(4) गाय/बैल आदि पशुओं द्वारा सींग मारने से अथवा विषैले जन्तुओं अथवा हिंसक जानवरों के काटने/हमला करने से घटित दुर्घटनाएं।

(5) कृषि कार्य करते समय घटित होने वाली उपरोक्त व अन्य दुर्घटनाएं बाह्य हिंसक दृष्टिगत कारणों के द्वारा हुई समझी जायेंगी और वह इस योजना के अन्तर्गत संरक्षित मानी जायेंगी।

5– किसी भी दुर्घटना में किसी अंग के विच्छेद के होने की दशा में कम से कम निकटतम प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के चिकित्सक से अथवा किसी भी सरकारी अस्पताल से चिकित्सा प्रमाण–पत्र प्राप्त करना आवश्यक है। क्षतिग्रस्त अंग का फोटोग्राफ एवं पूर्ण विवरण सहित आवेदन–पत्र, आवेदक के निकटतम दो रिश्तेदारों अथवा दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों (ग्राम प्रधान/पंचायत सदस्य आदि) द्वारा सत्यापित होना चाहिए। मृत्यु होने पर शव–विच्छेदन का प्रमाण–पत्र आवश्यक है।

6– योजनान्तर्गत कृषि कार्य करते समय सर्पदंश अथवा विषैले जन्तुओं के काटने के फलस्वरूप हुई मृत्यु के सम्बन्ध में शव विच्छेदन (पोस्टमार्टम) रिपोर्ट के स्थान पर पंचनामा अथवा ग्राम प्रधान का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

7– जान बूझकर शरीर को पहुँचाई गयी चोट, आत्महत्या/नशे की हालत में हुई दुर्घटना, किसी भी हिसंक कार्य में भाग लेने पर हुई शारीरिक क्षति अथवा मृत्यु या असंवैधानिक/असामाजिक / उग्रवाद/आतंकवाद या दंगा–फसाद अथवा बाढ़/भूकम्प/युद्ध/आणविक/ रेडिएशन (विकरण) आदि घटनाओं से अथवा शत्रुता द्वारा की गयी मार–पीट/झगड़ा/कानूनी कार्यवाही हेतु किसी न्यायिक दण्डाधिकारी द्वारा विधि के अन्तर्गत दी गयी सजा द्वारा मृत्यु अथवा शारीरिक क्षति अथवा स्वाभाविक मृत्यु इस योजना के अन्तर्गत संरक्षित नहीं है, उनकी क्षतिपूर्ति किसी भी दशा में नहीं की जा सकती है।

उपर्युक्त शर्तो के अन्तर्गत उपयुक्त पात्र, जिनको उपरोक्त वार्णित दुर्घटनाओं द्वारा मृत्यु अथवा शारीरिक क्षति हुई हो, तो निम्न विवरणिका की सीमा के अनुसार आर्थिक सहायता दी जायेगी:–

क्र0स0	दुर्घटना का प्रकार	देय सहायता धनराशि
1	दुर्घटना द्वारा मृत्यु होने पर	रू0 2,00,000/–
2	दुर्घटना द्वारा दोनों पैर, दोनों हाथ या दोनों ऑखे या उपरोक्त में से कोई दो की क्षति होने पर	रू0 75,000/–
3	दुर्घटना द्वारा एक हाथ, एक पैर अथवा एक ऑख की क्षति होने पर	रू0 40,000/–

4	दुर्घटना द्वारा एक हाथ की एक साथ चार अँगुलियों की क्षति होने पर	रू0 30,000/–
5	दुर्घटना द्वारा एक हाथ की एक साथ तीन अँगुली की क्षति होने पर	रू0 25,000/–
6	अँगूठे की क्षति होने पर	रू0 20,000/–
7	दुर्घटना द्वारा एक हाथ की दो अँगुलियों की क्षति होने पर	रू0 15,000/–
8	किसी एक अँगुली की क्षति होने पर	रू0 5,000/–

8–क्षतिपूर्ति हेतु दावों की प्रमाणिकता एवं नियंत्रण

इस योजना के अन्तर्गत मण्डी समिति का दायित्व है कि स्वार्थी व्यक्ति/तत्व इस सुविधा का दुरूपयोग न कर पाये, इस हेतु समिति का सचिव सम्बन्धित पीड़ित के सम्बन्ध में अलग से जॉच कर यह पुष्टि करेंगें कि आवेदनकर्ता द्वारा उसकी शारीरिक क्षति अथवा मृतक के बालिग बच्चे/वैध उत्तराधिकारी द्वारा क्षतिपूर्ति किया गया आवेदन पत्र देय मानदण्डों/प्राविधानों के अनुसार प्रमाणित है तथा हर प्रकार से सही है। मण्डी समिति को छल–कपट, धोखा आदि की जानकारी किसी स्तर पर प्राप्त होती है तो इसकी पुष्टि होने पर दी गयी धनराशि ब्याज सहित दोषी व्यक्तियों/लाभार्थियों से वसूल कर ली जायेगी।

9–दावा निस्पादन/निस्तारण हेतु प्रकिया

(1)– दुर्घटना में प्रभावित कृषक अथवा मजदूर द्वारा 90 दिन के अन्दर दुर्घटना की सूचना क्षेत्र के मण्डी समिति के सचिव अथवा उप जिलाधिकारी को देनी होगी। विशेष परिस्थितियों में समय सीमा सचिव की संस्तुति पर सभापति की अनुमति से 90 दिन तक और बढाया जा सकता है। दुर्घटना का संज्ञान होने पर सम्बन्धित मण्डी समिति के सचिव स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ मण्डी सहायक से अन्यून किसी कर्मचारी से अनिवार्य रूप से स्थलीय जॉच करायेंगे और लाभार्थी के दावा प्रपत्र को तैयार कराने में सहयोग करेंगे।

(2)– दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की मृत्यु हो जाने की स्थिति में उसके वैध प्रतिनिधि अथवा उत्तराधिकारी के अतिरिक्त दावा प्रपत्र पर उसके निकटस्थ दो रिश्तेदारों अथवा दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों के गवाह के रूप में सत्यापन हेतु हस्ताक्षर होने चाहिए। प्रार्थना–पत्र ग्राम प्रधान अथवा पंचायत के दो सदस्यों द्वारा सत्यापित होने चाहिए। नगर महापालिका अथवा कस्बा क्षेत्र/टाउन एरिया होने की स्थिति में आवेदन पत्र की सभी प्रविष्टियां/हस्ताक्षर/ अंगूँठे कटे हाथों के निशान, वहॉ के प्रशासक/अध्यक्ष (चेयरमैन) द्वारा प्रमाणित/ सत्यापित होना चाहिए।

(3)– दुर्घटना द्वारा मृत्यु की दशा में प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र/जिला अस्पताल के चिकित्सक द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र/शव विच्छेदन रिपोर्ट, प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ0आई0आर0) आवश्यक है।

(4)– दुर्घटनाग्रस्त स्थिति में चिकित्सा प्रमाण पत्र कटे या अलग हुए तथा क्षतिग्रस्त अंगों के फोटोग्राफ एवं निकटस्थ दो रिश्तेदारों अथवा दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा सत्यापित प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

(5)– दावा आवेदन पत्र सम्पूर्ण रूप से भरा होना चाहिए मण्डी समिति द्वारा दुर्घटना की पुष्टि की जानी आवश्यक है।

(6)– दावा आवेदन पत्र पर आवेदक की तरफ से हस्ताक्षर/बॉये/दायें हाथ अंगूठे के निशान सहित दावा प्रपत्र भरा होना चाहिए। यदि बॉया अँगूठा कटा हो, तो दांये अँगूठे के निशान और यदि दोनों अँगूठे कटे हों, तो कियाशील हाथ की अँगुलियों के निशान लगाये जा सकते हैं। यदि दोनों हाथ कट गये हों, तो कटे हुए हाथ के आगे के भाग का निशान लगाना होगा। यह महिलाओं तथा पुरूषों दोनों के लिए मान्य होगा।

(7)– योजना में परिभाषित दुर्घटना का संज्ञान होने पर सम्बन्धित मण्डी समिति सचिव स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ मण्डी सहायक से अन्यून किसी कर्मचारी से अनिवार्य रूप से स्थलीय जॉच करायेंगे और लाभार्थी के दावा आवेदन पत्र को तैयार कराने में सहयोग करेंगे। दावा यथा सम्भव एक माह में स्वीकृत किया जावेगा, लेकिन विशेष परिस्थितियों में उक्त समयावधि सचिव की संस्तुति पर सभापति द्वारा एक माह तक बढायी जा सकती है।

10– (1) सचिव, मण्डी समिति द्वारा जॉचोपरान्त सम्पूर्ण दावा आवेदन पत्र अपनी संस्तुति सहित भुगतान हेतु सभापति के माध्यम से सम्बन्धित उपजिलाधिकारी को अनुमोदन/स्वीकृति हेतु भेजा जायेगा तथा दावा आवेदन पत्र यथा सम्भव

एक माह में स्वीकृत किया जायेगा, लेकिन विशेष परिस्थितियों में स्वीकर्ता अधिकारी द्वारा उक्त समयावधि बढायी जा सकती है। दावा आवेदन पत्र स्वीकृत करने के उपरान्त सभापति द्वारा लाभार्थियों को रेखांकित चेक अथवा बैक ड्राफ्ट द्वारा भुगतान कराया जायेगा। इस योजना हेतु प्राप्त धनराशि का उपयोग लाभार्थियों की सहायता किये जाने के अतिरिक्ति अन्य किसी प्रयोजन में नहीं किया जायेगा।

(2) दावों का भुगतान विकलांग या मृतक व्यक्ति के कानूनी उत्तराधिकारी को मण्डी समिति की संस्तुति के आधार पर किया जायेगा। मृत्यु की स्थिति में मण्डी समिति मृतक के वैध उत्तराधिकारी के नाम 50 प्रतिशत धनराशि अर्थात रू0 1.00 लाख की धनराशि रेखाकिंत चेक अथवा बैक ड्राफ्ट द्वारा एवं शेष 50 प्रतिशत धनराशि अर्थात रू0 1.00 लाख तीन वर्षीय बैक सावधि जमा (एफ.डी.आर.) के रूप में दिया जायेगा।

2– "मुख्यमंत्री खेत–खलिहान अग्निकाण्ड दुर्घटना सहायता योजना "

उत्तर प्रदेश के अधिसूचित मण्डी क्षेत्रों में स्थित खलिहानों में मड़ाई हेतु रखी फसल/ उपज/अवशेष अंश एवं खड़ी फसल की अग्नि दुर्घटना से हुई क्षति हेतु वित्तीय सहायता, मण्डी परिषद द्वारा मण्डी समितियों के माध्यम से योजना संचालित की जा रही है। इस सहायता योजना के अन्तर्गत प्रभावी प्राविधानों एवं नियमों के अनुसार वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना को अधिक उपयोगी, व्यापक एवं पारदर्शी बनाने हेतु वर्तमान में प्रभावी योजना के स्थान पर संशोधित "**मुख्यमंत्री खेत–खलिहान अग्निकाण्ड दुर्घटना सहायता योजना**" के प्राविधान निम्नवत् होंगे :–

1– योजना का क्षेत्र एवं कार्यक्षेत्र

इस योजना का कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश होगा। इस योजना में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अधिसूचित समस्त मण्डी समितियों के क्षेत्रान्तर्गत खलिहान में एकत्रित फसल एवं खेत में खड़ी फसल में अग्निकाण्ड दुर्घटना में हुई क्षति आच्छादित होगी।

2– योजना में देय सहायता धनराशि (अधिकतम् दायित्व)

कृषक के सम्बन्ध में नीचे दिये गये विवरण की सीमा के आधार पर उनको देय सहायता **धनराशि का विवरण निम्न प्रकार है:–**

क्र0सं0	अग्निकाण्ड में क्षतिग्रस्त फसल/क्षेत्रफल	देय सहायता धनराशि
(अ)	एक हेक्टेयर अर्थात 2.5 एकड़ तक क्षतिग्रस्त होने की दशा में	अधिकतम् रू030,000/– अथवा वास्तविक ऑकलित क्षति जो भी कम हो।
(ब)	एक हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर अर्थात् 2.5 एकड़ से 5 एकड़ तक क्षतिग्रस्त होने की दशा में	अधिकतम् रू0 40,000/– अथवा वास्तविक ऑकलित क्षति जो भी कम हो।
(स)	02 हेक्टेयर या 05 एकड़ से अधिक क्षतिग्रस्त होने की दशा में	अधिकतम् रू0 50,000/– अथवा वास्तविक ऑकलित क्षति जो भी कम हो।

किसी एक स्थान में घटित अग्निकाण्ड दुर्घटना में सामूहिक क्षति की धनराशि रू0 2.00 लाख (दो लाख) अथवा अधिक आंकलित हो रही हो, तो इन प्रार्थना–पत्रों के निस्तारण हेतु निर्णय जनपद के जिलाधिकारी द्वारा लिया जायेगा।

3– अग्नि दुर्घटना का तात्पर्य

अग्नि दुघर्टना का तात्पर्य यह है कि बाह्य दृष्टिगत कारणों से अग्निकाण्ड हुआ हो अथवा तड़ित (लाईटिनिंग) प्राकृतिक बिजली गिरने से आग लगी हो। इसी दशा में सहायता धनराशि दी जायेगी। किसी सार्वजनिक दंगे अथवा सार्वजनिक प्राधिकरण के आदेश पर फसल अथवा उपज आदि जलाई गयी हो या स्वयं कृषक के द्वारा दुर्भावना से जलाई गयी हो, तो वह इस योजना की परिधि में आच्छादित नहीं होगी।

4– क्षतिपूर्ति के आधार एवं निस्पादन प्रक्रिया

(1) किसी कृषक की खलिहान में रखी फसल/उपज/अवशेष अंश अथवा खड़ी फसल की प्रस्तर–3 में उल्लिखित दशा में अग्नि दुर्घटना द्वारा क्षति हो गयी है, उसी दशा में सहायता दी जायेगी।

(2) खलिहान में रखी फसल/उपज की अग्निकाण्ड में हुई क्षति हेतु सहायता उपज पर वास्तविक स्वामित्व रखने वाले कृषकों को दी जायेगी। यदि स्वामित्व का कोई विवाद न्यायालय में विचाराधीन है अथवा संदिग्धतापूर्ण है, तो उसका निर्धारण मण्डी समिति के सचिव को करना होगा अथवा न्यायालय के निर्णय पर निर्भर होगा।

(3) खड़ी फसल अथवा खलिहान में रखी फसल की क्षति के लिए सम्बन्धित कृषक की जोत की जितनी फसल अग्निकाण्ड में क्षतिग्रस्त हुई है, उसी भूमि के क्षेत्रफल को आधार मानकर देय सहायता धनराशि का निर्धारण किया जायेगा।

(4) मण्डी समिति को दावा निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

5–दावा निपटान (निष्पादन/निस्तारण) हेतु प्रक्रिया

(1)– अग्नि दुर्घटना की सूचना प्रभावित कृषक/उत्पादक को निर्धारित प्रारूप पर आवेदन 90 दिन के अन्दर क्षेत्र के मण्डी समिति के सचिव अथवा उप जिलाधिकारी को देनी होगी। विशेष परिस्थितियों में सचिव की संस्तुति पर सभापति की अनुमति पर 90 दिन अतिरिक्त समय सीमा बढाई जा सकेगी।

(2)– आवेदन पत्र की जॉच मण्डी समिति के सचिव स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ मण्डी सहायक से अन्यून किसी कर्मचारी से स्थलीय जॉच अनिवार्य रूप से करायेंगे तथा जॉच कार्य पूर्ण कर सम्बन्धित मण्डी समिति क्षेत्र के उप जिलाधिकारी को दावा आवेदन पत्र स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

(3)– मण्डी समिति कार्यालय द्वारा आवेदन पत्र का विधिवत परीक्षणोपरान्त सम्बन्धित उप जिलाधिकारी से स्वीकृत उपरान्त लाभार्थी को भुगतान रेखांकित चेक द्वारा सचिव, मण्डी समिति के माध्यम से किया जायेगा।

(4)–योजना के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्राप्त होने के पश्चात समस्त कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर करके दावा निस्तारण एक सप्ताह में कराया जायेगा। विशेष परिस्थितियों में सचिव की संस्तुति पर सभापति द्वारा दो सप्ताह तक का अतिरिक्त समय बढ़ाया जा सकता है।"

3–"मुख्यमंत्री कृषक उपहार योजना "

कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 की धारा–19 के अन्तर्गत मण्डी समिति की निधि एवं उसका उपयोग की व्यवस्था तथा अधिनियम की धारा–26 एम के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा नियत की जाने वाली योजनाओं के प्राविधानान्तर्गत वर्तमान में मण्डी आवक किसान उपहार योजना संचालित है। इस योजना के अन्तर्गत कृषक उत्पादकों की सहभागिता बढ़ाये जाने के लिए नवीन मण्डी स्थलों में कृषि उपज का विक्रय करने की दशा में प्रवेश पर्ची एवं प्रपत्र संख्या–6 के आधार पर कृषकों को रू0 5,000.00 मूल्य पर ईनामी कूपन निर्गत कर मासिक, त्रैमासिक एवं छःमाही ड्रा द्वारा उपहार दिये जाने की व्यवस्था लागू है।

नवीन मण्डी स्थलों तक ही इस योजना को लागू किये जाने में यह देखा गया है कि जिन कृषकों द्वारा नवीन मण्डी स्थल के बाहर मण्डी क्षेत्र में व्यापारियों अथवा सरकारी क्रय केन्द्रों पर कृषि उत्पाद विक्रय करते है। ऐसे बड़ी संख्या में कृषक योजना के लाभ से वंचित रह जाते हैं इसलिए अधिकाधिक कृषकों को योजनान्तर्गत जोड़े जाने के उद्देश्य से मण्डी आवक कृषक उपहार योजना का क्षेत्र सम्पूर्ण मण्डी क्षेत्र में निर्दिष्ट कृषि उत्पाद बिक्री करने वाले कृषकों को सम्मिलित किया जाना औचित्यपूर्ण है। कृषकों को उपहार देने वाली योजना के अन्तर्गत मासिक ड्रा की व्यवस्था को समाप्त करते हुए त्रैमासिक व छःमाही ड्रा की व्यवस्था को बनाये रखते हुए वर्तमान में प्रभावी योजना के स्थान पर "**मुख्यमंत्री कृषक उपहार योजना**" के प्राविधान निम्नवत् होगें:–

1–योजना का उद्देश्य

कृषि विपणन कार्य में कृषक उत्पादकों की सहभागिता बढ़ाने, नवीन मण्डी स्थलों अथवा मण्डी क्षेत्र/सरकारी कय केन्द्रों पर अपनी उपज लाकर बेचने हेतु उन्हें अभिप्रेरित करना तथा उनकी रूचि प्रवेश पर्ची एवं प्रपत्र संख्या–6 (विक्रेता बाउचर) प्राप्त करने की ओर बढ़ाने के उद्देश्य से इस योजना का संचालन मण्डी परिषद द्वारा मण्डी समितियों के माध्यम से किया जाएगा।

2–योजना हेतु पात्रता

(1) प्रदेश के ऐसे समस्त कृषक–उत्पादक जो अपनी स्वयं की भूमि पर कृषि कार्य करते हुए स्वयं द्वारा उत्पादित कृषि उपज को नवीन मण्डी स्थल अथवा मण्डी क्षेत्र में बेचते हैं।

(2) ऐसे उत्पादक विक्रेता जो वैधानिक रूप से जमीन विधिवत् पट्टे पर लेकर कृषि कार्य करते है तथा अपने उत्पाद को नवीन मण्डी स्थल अथवा मण्डी क्षेत्र में लाकर बेचते है।

(3) योजना का लाभ उन्हीं व्यक्तियों को दिया जायेगा जो उत्तर प्रदेश की किसी भी मण्डी क्षेत्र के स्थाई निवासी होगें, परन्तु प्रश्नगत योजना का लाभ किसानों को ही प्राप्त हो इस हेतु किसान बही/अन्य प्रासंगिक अभिलेखों की अनिवार्यता होगी।

(4) योजना के तहत केवल उन्हीं कृषक–उत्पादकों को लाभ अनुमन्य होगा जिनके द्वारा एक ही त्रैमास में /पूरे वर्ष की प्रत्येक छःमाही अवधि में किसी एक मण्डी स्थल अथवा मण्डी क्षेत्र में कम से कम रू0 5000/– के मूल्य की निर्दिष्ट कृषि उत्पादों की बिक्री की गयी हो।

3–योजना संचालन की प्रक्रिया

(1) सर्वप्रथम कृषक उत्पादक द्वारा नवीन मण्डी स्थल अथवा मण्डी क्षेत्र/सरकारी कय केन्द्रों पर बेचे गये कृषि उत्पादों से सम्बन्धित प्रवेश पर्ची, प्रपत्र संख्या–6/भुगतान स्लिप की मूलप्रतियां सम्बन्धित मण्डी समिति कार्यालय में प्रस्तुत करके उपहार कूपन प्राप्त किये जायेंगे। प्रत्येक रू0 5000/– के गुणांक पर एक कूपन देय होगा।

(2) सम्भाग के उप निदेशक (प्रशासन/विपणन) द्वारा प्रत्येक त्रैमास की समाप्ति पर त्रैमास की अवधि में सम्भाग की मण्डियों के स्तर से निर्गत कूपनों के आधार पर निर्धारित प्रकिया के अनुरूप उपहार हेतु त्रैमासिक ड्रा निकलवाये जायेंगे।

(3) सम्भाग के उप निदेशक (प्रशासन/विपणन) द्वारा प्रत्येक छःमाही की समाप्ति पर छःमाही अवधि में सम्भाग की मण्डियों के स्तर से निर्गत कूपनों के आधार पर निर्धारित प्रकिया के अनुरूप उपहार हेतु छःमाही बम्पर ड्रा निकलवाये जायेंगे।

(4) प्रत्येक सम्भाग स्तर पर निम्न अधिकारियों की समिति द्वारा ड्रा निकाले जायेंगेः–

(1) – मण्डलायुक्त अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि – अध्यक्ष
(2) – सम्भाग के उप निदेशक (प्रशासन/विपणन), मण्डी परिषद– सदस्य/सचिव
(3) – मण्डल मुख्यालय पर तैनात अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व– सदस्य
(4) – सम्भागीय मुख्यालय पर तैनात मण्डी सचिव– सदस्य
(5) – सम्भागीय लेखा एवं सम्प्रेक्षाधिकारी,मण्डी परिषद– सदस्य

(5) उपहार ड्रा निकालने की तिथि के 30 दिन के भीतर विजेताओं को अपने कूपन के साथ उपहार हेतु दावा प्रस्तुत करना होगा।

(6) उपहार

(अ) त्रैमासिक ड्रा –

प्रत्येक त्रैमास की समाप्ति पर प्रत्येक सम्भाग में सम्पूर्ण त्रैमास के दौरान सम्भाग की मण्डियों के स्तर से निर्गत कूपन के आधार पर त्रैमासिक ड्रा वर्ष में चार बार निकाला जायेगा, जिसमें उपहार स्वरूप चयनित कृषकों को निम्न प्रकार उपहार दिये जायेंगे:–

उपहार	उपहार की वस्तु	प्रत्येक सम्भाग में उपहारों की संख्या
प्रथम	पम्पिंग सेट(8 हार्सपावर किर्लोस्कर इंजन) अथवा रोटावेटर	दो
द्वितीय	पावर विनोइंग फैन	तीन
तृतीय	पावर स्प्रेयर	तीन
चतुर्थ	मिक्सर ग्राइंडर	तीन

(ब) <u>छमाही बम्पर ड्रा –</u>

प्रत्येक छःमाही की समाप्ति पर प्रत्येक सम्भाग में सम्पूर्ण छःमाही के दौरान सम्भाग की मण्डियों के स्तर से निर्गत कूपन के आधार पर बम्पर ड्रा वर्ष में दो बार निकाला जायेगा, जिसमें उपहार स्वरूप चयनित कृषकों को निम्न प्रकार उपहार दिये जायेंगे:–

उपहार	उपहार की वस्तु	प्रत्येक सम्भाग में उपहारों की संख्या
प्रथम	ट्रैक्टर 35 हार्स पावर	दो
द्वितीय	पावर टिलर (सीटयुक्त 900 सी0सी0) (11के0वी0)(13.7 एच पी)	दो
तृतीय	पावर ड्रिवेन हार्वेस्टर/रीपर (4.00 हार्सपावर डीजल इंजन सहित)	तीन
चतुर्थ	सोलर पावर पैक सयंत्र	दस

(7) उपहार वितरण हेतु त्रैमास इस प्रकार होंगे:–

प्रथम त्रैमास	द्वितीय त्रैमास	तृतीय त्रैमास	चतुर्थ त्रैमास
अप्रैल से जून	जुलाई से सितम्बर	अक्टूबर से दिसम्बर	जनवरी से मार्च

(8) छःमाही बम्पर ड्रा प्रत्येक वर्ष के लिए दो बार निकाले जायेंगे। प्रथम छःमाही अवधि माह अप्रैल से सितम्बर तक एवं द्वितीय छःमाही अवधि माह अक्टूबर से मार्च तक होगी।

(9) प्रत्येक त्रैमास की समाप्ति पर उसके अगले मास में उपहार हेतु ड्रा निकाला जायेगा। द्वितीय त्रैमास से सम्बन्धित ड्रा के साथ प्रथम छःमाही बम्पर ड्रा निकाला जायेगा। इसी प्रकार चतुर्थ त्रैमास से सम्बन्धित ड्रा के साथ द्वितीय छःमाही बम्पर ड्रा भी निकाला जायेगा।

(10) सम्भाग स्तर पर त्रैमासिक ड्रा के लिए कूपन प्राप्त करने वाले कृषकों की न्यूनतम संख्या निम्नवत् होगी:–

क्रसं0	मण्डी समिति की श्रेणी	त्रैमास में कूपन प्राप्त करने वाले कृषकों की संख्या
1	'क' विशिष्ट श्रेणी	50
2	'क' श्रेणी	
3	'ख' श्रेणी	25
4	'ग' श्रेणी	

(11) त्रैमासिक एवं छःमाही बम्पर ड्रा, कार्यक्रमों का व्यापक प्रचार–प्रसार कर किसानों की सहभागिता व जन प्रतिनिधियों की उपस्थिति में कराया जायेगा।

(12) योजना के अन्तर्गत ड्रा के विजेता कृषकों को उपहार का वितरण कृषक के नाम व पता एवं पहचान की पुष्टि करके ही किया जायेगा। पहचान की पुष्टि करना सम्बन्धित सचिव, मण्डी समिति का दायित्व होगा।

(13) त्रैमासिक एवं छःमाही ड्रा के उपहारों का क्रय प्रभावी क्रयदारी नियमों के अनुसार किया जायेगा।

(14) प्रत्येक त्रैमासिक ड्रा एवं छःमाही बम्पर ड्रा के विजेता कृषकों/ विक्रेताओं का पूर्ण विवरण पंजिका में स्थायी रूप

से अनुरक्षित किया जायेगा।

4–"मुख्यमंत्री कृषक छात्रवृत्ति योजना "

उ0प्र0 कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम की धारा 19 (11)(क) में मण्डी परिषद से अनुमोदित संस्थाओं, मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं को, अपनी वार्षिक आय का अधिकतम दो प्रतिशत तक वित्तीय सहायता प्रदान करने की व्यवस्था है। इस प्राविधान के अन्तर्गत कृषकों एवं खेतिहर मजदूरों के पुत्र व पुत्रियों एवं उन पर पूर्ण रूप से आश्रितों को छात्रवृत्ति दिये जाने की योजना लागू है। यह छात्रवृत्ति प्रदेश के मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालयों/कृषि संस्थानों एवं कृषि महाविद्यालयों में कृषि की उच्च शिक्षा– स्नातक, स्नातकोत्तर छात्रों एवं शोधार्थियों को दी जा रही है।

इस योजना को अधिक उपयोगी, व्यापक एवं पारदर्शी बनाने हेतु वर्तमान में प्रभावी योजना के स्थान पर संशोधित "**मुख्यमंत्री कृषक छात्रवृत्ति योजना**" के प्राविधान निम्नवत् होंगे:–

1–योजना का उद्देश्य –

उत्तर प्रदेश के सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालयों, कृषि संस्थानों एवं कृषि महाविद्यालयों में अध्ययनरत कृषि/होम सांइस स्नातक एवं स्नातकोत्तर में अध्ययनरत छात्र व छात्राओं को मण्डी परिषद द्वारा छात्र वृत्तियॉ दी जायेगी। प्रत्येक कृषि विश्वविद्यालय/कृषि संस्थान एवं कृषि महाविद्यालय में अध्ययनरत स्नातक एवं स्नातकोत्तर छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना में छात्र/छात्राओं की संख्या, छात्रवृत्ति की धनराशि एवं योजना की शर्ते एवं नियम इस प्रकार है:–

स्नातक एवं स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति हेतु छात्र/छात्राओं की संख्या एवं छात्रवृत्ति की धनराशि :–

क्रमांक	शिक्षण संस्था का नाम	पाठ्यक्रम स्तर	छात्र/ छात्राओं की संख्या	छात्रवृत्ति की दर (रू0 प्रति माह)
1	कृषि विश्वविद्यालय एवं कृषि संस्थान	कृषि स्नातक	25	3000/–
		होम सांइस स्नातक	06	3000/–
		कृषि स्नातकोत्तर	10	3000/–
		होम सांइस स्नातकोत्तर	04	3000/–
2	कृषि महा विद्यालय	कृषि स्नातक	10	3000/–
		कृषि स्नातकोत्तर	05	3000/–

कृषि स्नातक एवं कृषि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के अन्तर्गत कृषि एवं उससे सम्बन्धित विधाओं यथा–उद्यान, वानिकी, पशुपालन आदि के छात्र/छात्राओं को सम्मिलित करते हुए छात्रवृत्तियॉ प्रदान की जायेंगी।

2–छात्रवृत्ति के लिए पात्रता :–

(1) छात्रवृत्ति हेतु छात्र/छात्राओं का उत्तर प्रदेश का निवासी होना अनिवार्य है।

(2) कृषकों एवं खेतिहर मजदूरों के पुत्र व पुत्रियों तथा उन पर पूर्णरूप से आश्रितों को छात्रवृत्ति प्रदान की जायेगी। कृषक का आशय ऐसे व्यक्ति से है, जिसके नाम भू–अभिलेख में कृषि भूमि आवेदन के दिनांक को दर्ज हो।

(3) छात्रवृत्ति का आधार मेरिट होगा। स्नातक छात्र/छात्राओं हेतु यू0पी0 बोर्ड से इण्टरमीडियट की उर्त्तीण परीक्षा में न्यूनतम 70 प्रतिशत प्राप्तांक और अन्य बोर्ड के लिए न्यूनतम 85 प्रतिशत प्राप्तांक का मानक होगा, जबकि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम हेतु स्नातक स्तर पर न्यूनतम प्राप्तांक 70 प्रतिशत होगा।

3–योजना की शर्ते व नियम:–

(1) छात्र /छात्रा को अपना आवेदन/प्रमाण–पत्र, 12वीं कक्षा अथवा स्नातक की अंक तालिका के साथ शिक्षा संस्था के सक्षम प्राधिकारी के पास जमा करना होगा।

(2) इस योजना के अन्तर्गत मेरिट के आधार पर पात्र छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति का लाभ दिया जायेगा। प्रथम

वर्ष के पश्चात आगामी वर्षों में उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को ही इस योजना का लाभ प्रदान किया जायेगा। किसी भी वर्ष अनुत्तीर्ण होने पर छात्र/छात्रा अग्रेतर इस योजना हेतु अपात्र होगा।

(3) छात्र/छात्रा को यदि कोई अन्य छात्रवृत्ति विश्वविद्यालय/महाविद्यालय या अन्य स्रोत्र से प्राप्त हो रही है, तो ऐसी दशा में मण्डी परिषद द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्ति में से एक विकल्प चुनकर अन्य छात्रवृत्तियॉ वापस करनी होगी।

(4) छात्र/छात्रा को शिक्षण अवधि में अच्छा अनुशासन व आचरण करना अनिवार्य होगा।

(5) यदि किसी समय यह ज्ञात होता है कि छात्र/छात्रा ने कोई सूचना छिपाई अथवा छिपवायी है, तो बिना किसी पूर्व सूचना के छात्रवृत्ति समाप्त कर दी जायेगी।

4–छात्रवृत्ति के लिए चयन प्रक्रियाः–

(1) छात्रवृत्ति हेतु मेरिट के आधार पर घटते क्रम (डिसेन्डिग आर्डर) में पात्र छात्रों का चयन सम्बन्धित विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा। पात्र छात्र सूची अनुमोदन हेतु चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी। चयन समिति में विश्वविद्यालय के अधिकारियों के साथ सम्बन्धित सम्भागीय उप निदेशक (प्रशासन/विपणन) का उपस्थित होना अनिवार्य होगा।

(2) महाविद्यालय के मामले में महाविद्यालय द्वारा पात्र छात्रों/छात्राओं का चयन किया जायेगा। पात्र छात्र सूची अनुमोदन हेतु चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी। चयन समिति में महाविद्यालय के प्राचार्य व अन्य अधिकारियों के साथ सम्बन्धित सम्भाग के उप निदेशक (प्रशासन/विपणन), मण्डी परिषद सदस्य होंगे।

(3) छात्रवृत्ति की स्वीकृति हेतु सम्बन्धित सम्भाग का उप निदेशक (प्रशासन/विपणन) सक्षम अधिकारी होगा। छात्रवृत्ति हेतु छात्रों का चयन सम्भागीय उप निदेशक (प्रशासन/विपणन) स्तर पर अन्तिम किया जायेगा तथा चयनित छात्रों की सूची, लिये गये निर्णय का कार्यवृत्त तथा देय धनराशि का विवरण परिषद मुख्यालय को प्रेषित किये जाने पर परिषद मुख्यालय द्वारा धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

किसी कठिनाई की दशा में प्रकरण को मण्डी परिषद मुख्यालय को संदर्भित किया जाए।

उपर्युक्तानुसार प्रभावी कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

26.9.18

(रमाकान्त पाण्डेय)
निदेशक

पृष्ठांकन व दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार विभाग, उ0प्र0 शासन को शासन के पत्र संख्या–सी0एम0337–1/80–1–2018–600(2)/98 दिनांक 10.09.2018 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
2. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
3. समस्त अधिकारी, मण्डी परिषद,मुख्यालय।

निदेशक

राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उ0प्र0

"किसान मण्डी भवन" विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ

पत्रांकः विप0–3/(399)/2019– 188 दिनांक 29·6·2019

1. समस्त उपनिदेशक (प्रशासन/विपणन),
   मण्डी परिषद, उ0प्र0।
2. समस्त सचिव,
   कृषि उत्पादन मण्डी समितियॉ उ0प्र0।

विषय–मुख्यमंत्री व्यापारी एवं आढ़ती कल्याणकारी योजनाएं लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

मण्डी परिषद के मा0 संचालक मण्डल की 156वीं बैठक दिनांक 07.03.2019 के मद संख्या–12 पर प्रदेश की अधिसूचित मण्डी समितियों से लाइसेन्स प्राप्त व्यापारियों एवं आढ़तियों की निर्मित मण्डी स्थल एवं उप मण्डी स्थल परिसरों में व्यापारिक कार्य करते समय दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर एवं निर्मित मण्डी स्थल/उप मण्डी स्थल परिसरों में अग्निकाण्ड दुर्घटना में क्षति के लिए आर्थिक सहायता हेतु मण्डी परिषद द्वारा मण्डी समितियों के माध्यम से **"मुख्यमंत्री कृषि उत्पादन मण्डी समिति के व्यापारी एवं आढ़ती दुर्घटना सहायता योजना"** तथा **"मुख्यमंत्री मण्डी स्थल/उप मण्डी स्थल अग्निकाण्ड दुर्घटना सहायता योजना"** लागू किये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, जिस पर मा0 संचालक मण्डल द्वारा लिए गये निर्णय एवं शासन के पत्र संख्या–671/80–1–2019–600(8)/2019 दिनांक 18.06.2019 द्वारा प्रदत्त स्वीकृति के क्रम में मण्डी समितियों के माध्यम से मुख्यमंत्री व्यापारी एवं आढ़ती कल्याणकारी योजना के अन्तर्गत निम्नवत् योजनाएं लागू की जाती हैं:–

1. "मुख्यमंत्री कृषि उत्पादन मण्डी समिति के व्यापारी एवं आढ़ती दुर्घटना सहायता योजना"

इस योजना का कार्यक्षेत्र उत्तर प्रदेश की अधिसूचित मण्डी समितियों का निर्मित मण्डी स्थल/उपमण्डी स्थल के परिसर होंगे। इस योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश की समस्त अधिसूचित मण्डी समितियों के मण्डी स्थल/उपमण्डी स्थल के परिसरों में लाईसेंस प्राप्त व्यापारी एवं आढती, जिनकी निर्दिष्ट कृषि उत्पादों का व्यापार कार्य करते समय दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण मृत्यु हो जाती है, आच्छादित होंगे। इस योजना के प्राविधान निम्नवत् होंगे:–

1–शारीरिक दुर्घटना का तात्पर्य

इस योजना के अन्तर्गत आर्थिक सहायता के लिए मण्डी समितियों के निर्मित मण्डी स्थल/उप मण्डी स्थल परिसरों में लाईसेंस प्राप्त किसी व्यापारी एवं आढ़ती की दुर्घटना में मृत्यु का अर्थ निर्दिष्ट कृषि उत्पादों के व्यापारिक कार्य करते समय वाह्य हिंसक एवं दृष्टिगत कारणों से हुई मृत्यु से है।

2–योजना के नियम व शर्तें–

(1) यह योजना केवल उत्तर प्रदेश की मण्डी समितियों के मण्डी स्थल/उपमण्डी स्थल के परिसरों में लाईसेंस प्राप्त व्यापारियों एवं आढ़तियों के लिए ही लागू होगी।

(2) दुर्घटना केवल मण्डी स्थल/उपमण्डी स्थल के परिसरों की सीमा में निर्दिष्ट कृषि उत्पादों का व्यापारिक कार्य करने के दौरान घटित हुई हो।

(3) दावा–प्रपत्र के साथ सरकारी अस्पताल से प्राप्त शव–विच्छेदन रिपोर्ट/पंचनामा आवश्यक है।

(4) दावा–प्रपत्र पूर्ण विवरण सहित आवेदक के निकटतम दो रिश्तेदारों अथवा दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा सत्यापित होना चाहिए।

(5) दुर्घटना के समय व्यापारी एवं आढ़ती मण्डी समिति से वैध लाईसेंसधारक हो।

उपर्युक्त नियम–शर्तो के अन्तर्गत मृतक व्यापारी एवं आढ़ती के विधिक उत्तराधिकारी को योजना में आर्थिक सहायता के रूप में सहायता राशि रू0 3,00,000/–(तीन लाख रूपये) दी जायेगी।

3–योजना के अन्तर्गत निम्न प्रकार की दुर्घटनाएं आच्छादित होंगी:–

(1) बैल/भैसा गाड़ी, ट्रैक्टर–ट्राली व अन्य वाहनों से टकराने व दब जाने के कारण घटित होने वाली दुर्घटनाएं।

(2) जानवरों द्वारा मारने अथवा सर्पदंश या अन्य विषैले जन्तुओं अथवा हिंसक जानवरों के काटने/हमला करने से घटित दुर्घटनाएं।

(3) मण्डी स्थल /उप मण्डी स्थल के परिसरों में व्यापारिक कार्य करते समय घटित होने वाली उपरोक्त व अन्य दुर्घटनाएं बाह्य दृष्टिगत कारणों के द्वारा हुई समझी जायेंगी और वह इस योजना के अन्तर्गत आच्छादित मानी जायेंगी।

जान बूझकर शरीर को पहुँचाई गयी चोट, आत्महत्या/नशे की हालत में हुई दुर्घटना, किसी भी हिंसक कार्य में भाग लेने पर हुई मृत्यु या असंवैधानिक/ असामाजिक/उग्रवाद/ आतंकवाद या दंगा–फसाद अथवा बाढ़/भूकम्प/युद्ध/आणविक /रेडिएशन (विकरण) आदि घटनाओं से अथवा शत्रुता द्वारा की गयी मार–पीट/ झगड़ा/कानूनी कार्यवाही हेतु किसी न्यायिक दण्डाधिकारी द्वारा विधि के अन्तर्गत दी गयी सजा द्वारा मृत्यु अथवा स्वाभाविक मृत्यु इस योजना के अन्तर्गत संरक्षित नहीं है। ऐसे मामलों में योजना के अन्तर्गत सहायता राशि देय नहीं होगी।

4. दावों की प्रमाणिकता एवं नियंत्रण

इस योजना के अन्तर्गत मण्डी समिति का दायित्व है कि स्वार्थी व्यक्ति/तत्व इस सुविधा का दुरूपयोग न कर पाये, इस हेतु मण्डी समिति का सचिव अलग से जॉच कर यह पुष्टि करेंगे कि मृतक के बालिग बच्चे/विधिक उत्तराधिकारी द्वारा आर्थिक सहायता हेतु किया गया आवेदन पत्र देय मानदण्डों/प्राविधानों के अनुसार प्रमाणित है तथा हर प्रकार से सही है। मण्डी समिति को छल–कपट, धोखा आदि की जानकारी किसी स्तर पर प्राप्त होती है, तो इसकी पुष्टि होने पर दी गयी सहायता धनराशि ब्याज सहित दोषी व्यक्तियों/लाभार्थियों से वसूल कर ली जाएगी।

5–दावा निस्पादन/निस्तारण हेतु प्रक्रिया

(1) दुर्घटना में प्रभावित मृतक के आश्रितों द्वारा 90 दिन के अन्दर दुर्घटना की सूचना क्षेत्र के मण्डी समिति के सचिव अथवा सभापति को देनी होगी। विशेष परिस्थितियों में समय सीमा सचिव की संस्तुति पर सभापति की अनुमति से 90 दिन तक और बढाया जा सकता है। दुर्घटना का संज्ञान होने पर सम्बन्धित मण्डी समिति के सचिव स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ मण्डी सहायक से अन्यून किसी कर्मचारी से अनिवार्य रूप से स्थलीय जॉच करायेंगे और दावाकर्ताओं के दावा– प्रपत्र को तैयार कराने में सहयोग करेंगे।

(2) दुर्घटनाग्रस्त व्यापारियों एवं आढतियों की मृत्यु हो जाने की स्थिति में उसके विधिक उत्तराधिकारी द्वारा दावा प्रपत्र पर उसके निकटस्थ दो रिश्तेदारों अथवा दो प्रतिष्ठित

व्यक्तियों के गवाह के रूप में सत्यापन हेतु हस्ताक्षर होने चाहिए। प्रार्थना–पत्र यथास्थिति ग्राम प्रधान अथवा पंचायत के दो सदस्यों अथवा नगर निगम, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत के प्रशासक/अध्यक्ष (चेयरमैन) द्वारा सत्यापित होना चाहिए।

(3) सरकारी अस्पताल के चिकित्सक से प्राप्त शव विच्छेदन रिपोर्ट/पंचनामा दावा–प्रपत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा।

(4) दावा–प्रपत्र के साथ सक्षम स्तर से निर्गत मृत्यु प्रमाण–पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा।

(5) दावा आवेदन पत्र सम्पूर्ण रूप से भरा होना चाहिए।

(6) दावा आवेदन पत्र पर आवेदक की तरफ से हस्ताक्षर/बॉये/दायें हाथ के अँगूठे के निशान सहित दावा प्रपत्र भरा होना चाहिए। यदि बॉया अँगूठा कटा हो, तो दाये अँगूठे के निशान और यदि दोनों अँगूठे कटे हों, तो क्रियाशील हाथ की अँगुलियों के निशान लगाये जा सकते हैं। यदि दोनों हाथ कट गये हों, तो कटे हुए हाथ के आगे के भाग का निशान लगाना होगा। यह महिलाओं तथा पुरूषों दोनों के लिए मान्य होगा।

(7) योजना में परिभाषित दुर्घटना का संज्ञान होने पर सम्बन्धित मण्डी समिति सचिव स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ मण्डी सहायक से अन्यून किसी कर्मचारी से अनिवार्य रूप से स्थलीय जॉच करायेंगे और लाभार्थी के दावा आवेदन पत्र को तैयार कराने में सहयोग करेंगे। दावा यथा सम्भव एक माह में स्वीकृत किया जावेगा, लेकिन विशेष परिस्थियों में उक्त समयावधि सचिव की संस्तुति पर सभापति द्वारा एक माह तक बढायी जा सकती है।

(8) सचिव मण्डी समिति द्वारा जॉचोपरान्त सम्पूर्ण दावा आवेदन पत्र अपनी संस्तुति सहित भुगतान हेतु सभापति, मण्डी समिति को अनुमोदन/स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जायेगा तथा दावा आवेदन पत्र यथा सम्भव एक माह में स्वीकृत किया जायेगा, लेकिन विशेष परिस्थितियों में स्वीकर्ता अधिकारी द्वारा उक्त समयावधि बढायी जा सकती है।

(9) दावा आवेदन पत्र स्वीकृत करने के उपरान्त सभापति, मण्डी समिति द्वारा लाभार्थियों को रेखांकित चेक/बैक ड्राफ्ट एवं बैंक सावधि जमा (एफ0डी0आर0) के माध्यम से भुगतान कराया जायेगा।

(10) इस योजना हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग मण्डी समिति द्वारा लाभार्थियों की सहायता किये जाने के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन में नहीं किया जायेगा।

(11) दावों का भुगतान लाईसेंस प्राप्त मृतक व्यापारी एवं आढ़ती के विधिक उत्तराधिकारी को मण्डी समिति द्वारा किया जायेगा। मण्डी समिति मृतक के विधिक उत्तराधिकारी के नाम सहायता राशि रू0 3,00,000/– (तीन लाख रूपये) में से 50 प्रतिशत धनराशि अर्थात रू0 1,50,000/– (एक लाख पचास हजार रूपये) रेखांकित चेक अथवा बैंक ड्राफ्ट द्वारा एवं शेष 50 प्रतिशत धनराशि अर्थात रू0 1,50,000/–(एक लाख पचास हजार रूपये) तीन वर्षीय बैक सावधि जमा (एफ.डी.आर.) के रूप में दिया जायेगा।

2. "मुख्यमंत्री मण्डी स्थल/उप मण्डी स्थल अग्निकाण्ड दुर्घटना सहायता योजना"

इस योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश की अधिसूचित मण्डी समितियों के क्षेत्रान्तर्गत निर्मित मण्डी स्थल/उप मण्डी स्थल के परिसरों में अग्नि दुर्घटना में हुई क्षति के एवज में लाईसेंस प्राप्त व्यापारियों एवं आढतियों को मण्डी परिषद द्वारा मण्डी समितियों के माध्यम से वित्तीय सहायता दिये जाने की योजना के प्राविधान निम्नवत् होंगे:–

1—अग्नि दुर्घटना का तात्पर्य

अग्नि दुघर्टना का तात्पर्य यह है कि बाह्य दृष्टिगत कारणों से अग्निकाण्ड हुआ हो अथवा तड़ित (लाईटिनिंग) प्राकृतिक बिजली गिरने से आग लगी हो। इसी दशा में सहायता धनराशि दी जायेगी। किसी सार्वजनिक दंगे पर अग्निकाण्ड हुआ हो या स्वयं लाईसेंसी व्यापारियों एवं आढ़तियों द्वारा दुर्भावना से आग लगाई गयी हो, तो वह इस योजना में आच्छादित नहीं होगी।

2— योजना के नियम—शर्ते

(1) मण्डी स्थल/उप मण्डी स्थल के परिसर में अग्निकाण्ड दुर्घटना होने पर व्यापारियों एवं आढ़तियों को वास्तविक क्षति अथवा धनराशि रू0 2,00,000/—(दो लाख रूपये) जो भी कम हो, आर्थिक सहायता के रूप में दी जायेगी।

(2) योजना में मण्डी स्थल/उप मण्डी स्थल के परिसरों में कार्यरत ऐसे लाईसेंस प्राप्त व्यापारियों एवं आढ़तियों, जिन्हें मण्डी समिति द्वारा दुकान अथवा स्थान आवंटित किया गया है, को ही अग्निकाण्ड दुर्घटना सहायता राशि अनुमन्य होगी।

(3) दुकान अथवा स्थान आवंटन स्वामित्व के सम्बन्ध में यदि कोई विवाद न्यायालय में विचाराधीन है, तो उसका निराकरण न्यायालय के निर्णय पर निर्भर होगा। अन्य प्रकार के विवाद की स्थिति में मण्डी समिति द्वारा निराकरण के आधार पर दावा—प्रपत्रों का निस्तारण किया जायेगा।

(4) अग्निकाण्ड सहायता सम्बन्धी प्राप्त दावा प्रपत्रों को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार मण्डी समिति में निहित होगा।

3—अग्निकाण्ड दुर्घटना में क्षति का आंकलन

मण्डी स्थल/उप मण्डी स्थल के परिसरों में अग्निकाण्ड दुर्घटना में व्यापारियों एवं आढ़तियों को हुई क्षति का आंकलन निम्नलिखित समिति द्वारा किया जायेगा:—

5. सम्बन्धित मण्डी समिति का सभापति।
6. सम्बन्धित अग्निशमन अधिकारी।
7. सम्बन्धित मण्डी समिति का सचिव।
8. सम्बन्धित क्षेत्र के लोक निर्माण विभाग,उ0प्र0 का अवर अभियन्ता से अन्यून अधिकारी।

4—दावा निष्पादन/निस्तारण हेतु प्रक्रिया

1— अग्निकाण्ड दुर्घटना योजना में सहायता प्राप्त करने हेतु प्रभावित व्यापारी अथवा आढ़ती को निर्धारित प्रारूप पर आवेदन 30 दिन के अन्दर सम्बन्धित मण्डी समिति के सचिव अथवा सभापति को देनी होगी। विशेष परिस्थितियों में सचिव की संस्तुति पर सभापति, मण्डी समिति की अनुमति पर 60 दिन अतिरिक्त समय सीमा बढाई जा सकेगी।

2— आवेदन पत्र की जॉच मण्डी समिति के सचिव स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ मण्डी सहायक से अन्यून किसी कर्मचारी से स्थलीय जॉच अनिवार्य रूप से करायेंगे तथा उपरोक्तानुसार गठित समिति से क्षति का आंकलन कराकर जॉच कार्य पूर्ण कर सम्बन्धित मण्डी समिति के सभापति को दावा आवेदन पत्र स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

3— मण्डी समिति कार्यालय द्वारा आवेदन पत्र का विधिवत परीक्षणोपरान्त सभापति, मण्डी समिति से स्वीकृत उपरान्त लाभार्थी को भुगतान रेखांकित चेक/बैक ड्राफ्ट के माध्यम से मण्डी समिति द्वारा किया जायेगा।

4—योजना के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्राप्त होने के पश्चात् समस्त कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर करके दावा निस्तारण एक माह में कराया जायेगा। विशेष परिस्थितियों में सचिव

की संस्तुति पर सभापति, मण्डी समिति द्वारा दो माह तक का अतिरिक्त समय बढ़ाया जा सकता है।

उपरोक्तानुसार सहायता योजनाएं दिनांक 1 अप्रैल, 2019 से प्रभावी होगी। योजनाओं के संचालन एवं क्रियान्वयन में दिन प्रतिदिन आने वाली कठिनाइयों एवं विसंगतियों के निराकरण करने का अधिकार निदेशक, मण्डी परिषद को होगा। निदेशक का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।

उपरोक्तानुसार प्रभावी कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

(रमाकान्त पाण्डेय)
निदेशक

पृष्ठांकन एवं दिनांक –उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रमुख सचिव कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार विभाग,उ0प्र0 शासन को शासन के पत्र संख्या–671/80–1–2019–600(8)/2019 दिनांक 18.06.2019 के क्रम में सूचनार्थ।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. वित्त नियंत्रक मण्डी परिषद उ0प्र0।
4. समस्त अधिकारी, मण्डी परिषद, मुख्यालय।

22.6.19
निदेशक

राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उत्तर प्रदेश

किसान मण्डी भवन" विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ
दूरभाष: 0522–2720383, 384, 137, 138, 139 फैक्स : 0522–2720056

पत्रांक: विप0–1/(उपविधि संशोधन–453)/2019–429 दिनांक: 27/09/2019

आदेश

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 की धारा–17 एवं मण्डी नियमावली, 1965 के नियम–70 निर्दिष्ट कृषि उत्पादों का कारोबार करने वालों को लाइसेंस निर्गत किये जाने के संबंध में उपविधि 20(ग) एवं 20(घ) के अन्तर्गत प्राविधानित व्यवस्था में परिषद पत्र संख्या–विप0–2/(उपविधि संशो0–142)/2017–798 दिनांक 09.12.2017 संशोधित आदेश निर्गत किये गये हैं। उक्त निर्गत परिषद आदेश संख्या–विप0–2/(उपविधि संशो0–142)/2017–798 दिनांक 09.12.2017 के स्तम्भ–2 के बिन्दु संख्या–23 में निम्नवत् संशोधन किया जाना आवश्यक है:–

मण्डी अधिनियम, 1964 की धारा 39(2) के अधीन परिषद में निहित अधिकारों, जिनका प्रत्यायोजन उक्त अधिनियम की धारा 26–ज के अधीन किया गया है, का प्रयोग करते हुए मैं जितेन्द्र प्रताप सिंह, निदेशक, उपविधि 20(ग) के बिन्दु संख्या–23 के अन्तर्गत अतिरिक्त प्राविधान सम्मिलित करने का आदेश देता हूँ, अर्थात:–

"अथवा आवेदक अपने प्रत्येक छः माह के कारोबार पर सम्भावित/अनुमानित देय मण्डी शुल्क एवं विकास सेस के योग के तुल्य धनराशि की एफ0डी0आर0 अग्रिम रूप से मण्डी समिति में जमा रखेगा।"

इस प्रकार बिन्दु संख्या–23 को अग्रलिखित रूप में पढ़ा जायेगा।

"मण्डी समिति के दो गारण्टरों के शपथ–पत्र संलग्न/अपलोड करें अथवा आवेदक अपने प्रत्येक छः माह के कारोबार पर सम्भावित/अनुमानित देय मण्डी शुल्क एवं विकास सेस के योग के तुल्य धनराशि की एफ0डी0आर0 अग्रिम रूप से मण्डी समिति में जमा रखेगा।"

अतः समस्त मण्डी समितियॉ उपर्युक्त प्राविधान को संकल्प कर अंगीकार करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित करें।

26.09.2019

(जितेन्द्र प्रताप सिंह)
निदेशक

पृष्ठांकनः पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार ।

प्रतिलिपि–अधोलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त उप निदेशक (प्रशासन/विपणन), मण्डी परिषद, उ0प्र0
3. समस्त सभापति/सचिव, मण्डी समितियॉ, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त अधिकारी, मण्डी परिषद, मुख्यालय।
5. सिस्टम एनालिस्ट को मैसेज बॉक्स/मण्डी परिषद की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. गार्ड फाईल हेतु।

26.09.2019

निदेशक

उत्तर प्रदेश शासन

कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार अनुभाग-1

संख्या-03/2017/2459/80-1-2017-78/2014

लखनऊ दिनांक- 01 दिसम्बर, 2017

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश, अधिनियम संख्या-1 सन् 1904) की धारा-21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 (उत्तर प्रदेश, अधिनियम संख्या-25 सन् 1964) की धारा-40 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी नियमावली, 1965 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (तेइसवॉ संशोधन) नियमावली, 2017

संक्षिप्त नाम

1.(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (तेइसवॉ संशोधन) नियमावली, 2017 कही जायेगी।

(2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

नियम-67 का संशोधन

2. उक्त नियमावली, 1965 जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, में नियम 67 में, लाइसेंस निर्गत किये जाने और उसके नवीकरण हेतु शुल्क की सारणी में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये खण्ड 6 की प्रविष्टियों के स्थान पर स्तम्भ-2 में दी गयी प्रविष्टि स्तम्भवार रख दी जायेगी

अर्थातः-

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम				स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम			
67	लाइसेन्स का वर्ग	लाइसेन्स का विवरण	लाइसेन्स शुल्क	67	लाइसेन्स का वर्ग	लाइसेन्स का विवरण	लाइसेन्स शुल्क
	6	थोक व्यापारी-सह-आढ़तिया, या थोक व्यापारी, या आढ़तिया के लिए एकीकृत लाइसेन्स	1,00,000		6	थोक व्यापारी- सह-आढ़तिया, या थोक व्यापारी, या आढ़तिया के लिए एकीकृत लाइसेन्स	10,000

नियम-68 का संशोधन

3.उक्त नियमावली में, नियम 68 में, स्तम्भ 1 मे दिये गये उप नियम(4) के स्थान पर, स्तम्भ 2 में दिया गया उप नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्-

स्तम्भ-1 विद्यमान उपनियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम
(4) मण्डी शुल्क तथा लाइसेन्स शुल्क आदि का भुगतान मण्डी समिति को नगद अथवा विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रीयकृत बैंक के बैंक ड्राफ्ट द्वारा किया जायेगा।	(4) मण्डी शुल्क तथा लाइसेन्स शुल्क आदि का भुगतान मण्डी समिति को नगद या डिटिजल पेमेन्ट अथवा विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रीयकृत बैंक के बैंक ड्राफ्ट द्वारा किया जायेगा।

आज्ञा से,

अमित मोहन प्रसाद

प्रमुख सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उ0प्र0,

किसान मण्डी भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ
दूरभाष: 0522–2720383, 384, 137, 138, 139 फैक्स : 0522–2720056

पत्रांक : विप0–1/(उपविधि संशो0–451)/2019–455 दिनांक: 05/10/2019

आदेश

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 की धारा–17 एवं मण्डी नियमावली, 1965 के नियम–70 में निर्दिष्ट कृषि उत्पादों का कारोबार करने वालों को लाइसेंस निर्गत किये जाने का प्राविधान है। मण्डी समितियों की उपविधि में लाइसेंस निर्गत करने की प्रकिया तथा नियम एवं शर्तें निर्धारित की गयी हैं। मण्डी अधिनियम तथा नियमावली में विभिन्न संशोधनों के फलस्वरूप उपविधि में तद्नुसार नवीन संशोधन तथा कुछ अतिरिक्त प्राविधान सम्मिलित किये जाने आवश्यक हैं।

अतः मण्डी अधिनियम, 1964 की धारा–39(2) के अधीन परिषद में निहित अधिकारों, जिनका प्रत्यायोजन उक्त अधिनियम की धारा 26–ज के अधीन निदेशक में किया गया है, का प्रयोग करते हुए मैं जितेन्द्र प्रताप सिंह, निदेशक, उपविधि 52(क) के रूप में निम्नलिखित अतिरिक्त प्राविधान सम्मिलित करने का आदेश देता हूँ :–

स्थानीय लाइसेंस को एकीकृत लाइसेंस में एवं एकीकृत लाइसेंस को स्थानीय लाइसेंस में परिवर्तित किये जाने की प्रकिया

(क) मण्डी समिति के ऐसे थोक व्यापारी एवं आढ़तिया, थोक व्यापारी लाइसेंसी जो स्थानीय लाइसेंस को एकीकृत लाइसेंस में परिवर्तित करना चाहते हैं वे फार्म 20(ग) में आवेदन के साथ निम्नलिखित अभिलेख, शुल्क एवं सिक्योरिटी जमा करेंगे। एकीकृत लाइसेंस हेतु दो नई अथवा नवीनीकृत गारण्टी जमा करेंगे।

1– एकीकृत लाइसेंस हेतु लाइसेन्स शुल्क।

2– एकीकृत लाइसेंस हेतु सिक्योरिटी धनराशि।

(ख) इसी प्रकार एकीकृत लाइसेंसी यदि अपने लाइसेंस को स्थानीय मण्डी समिति के किसी लाइसेंस की श्रेणी में परिर्वतन कराना चाहता है तो उसे नवीन आवेदन फार्म 20 (ग) के साथ लाइसेंस शुल्क, सिक्योरिटी तथा नवीन लाइसेंस हेतु शपथ–पत्र एवं गारण्टी जमा करने होंगे। परिर्वतन के उपरान्त एकीकृत लाइसेंस हेतु जमा सिक्योरिटी धनराशि लाइसेन्सी को वापस कर दी जायेगी।

अतः समस्त मण्डी समितियॉं उपर्युक्त प्राविधान को संकल्प कर अंगीकार करते हुए आवश्यकतानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

04.10.19

(जितेन्द्र प्रताप सिंह)
निदेशक

पृष्ठांकनः पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार ।

प्रतिलिपि–अधोलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त उप निदेशक (प्रशासन/विपणन), मण्डी परिषद, उ0प्र0
3. समस्त सभापति/सचिव, मण्डी समितियॉं, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त अधिकारी, मण्डी परिषद, मुख्यालय।
5. सिस्टम एनालिस्ट को मैसेज बॉक्स/मण्डी परिषद की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. गार्ड फाईल हेतु।

04.10.19

निदेशक

उत्तर प्रदेश शासन
कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार अनुभाग–1
संख्याः-07/2019/2485/80–1–2018–600(22)/2002 टी.सी.।।
लखनऊः दिनांक 07 फरवरी 2019

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम,1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–1 सन् 1904) की धारा–21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम 1964 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25, सन् 1964) की धारा 40 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी नियमावली, 1965 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (इक्कीसवाँ संशोधन) नियमावली, 2019

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (इक्कीसवाँ संशोधन) नियमावली, 2019 कही जायेगी।

(2) यह गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

नियम 03 का संशोधन

2. उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी नियमावली 1965, जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये नियम–3 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
3. समिति के सदस्यों का नाम निर्देशन– इस सम्बन्ध में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (क) से (छ) के अधीन सदस्यों का नाम निर्देशन राज्य सरकार द्वारा, निदेशक मण्डी परिषद् की सिफारिशों पर सम्यक् विचारोपरान्त किया जायेगा। अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (ज) में निर्दिष्ट दो सदस्यों को नाम निर्दिष्ट करने की शक्ति का प्रयोग सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर द्वारा किया जायेगा।	3–समिति के सदस्यों का नामनिर्देशन–अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (क) से (घ) के अधीन सदस्यों का नामनिर्देशन, उस सम्भाग के उप निदेशक, प्रशासन /विपणन, जहाँ पर उक्त मण्डी स्थित हो, की सिफारिशों जो निदेशक, राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् के माध्यम से प्राप्त हों, पर सम्यक रूप से विचार करने के पश्चात् और अधिनियम की धारा13(2) के उपबन्धों के अनुसार तैयार किये गये अभ्यर्थियों के नामों की छानबीन करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा। इस सम्बन्ध में निर्धारण हेतु निर्दिष्ट दिनांक, उस कृषि वर्ष, जिसमें नामनिर्देशन पर विचार किया जा रहा हो, से ठीक पूर्ववर्ती कृषि वर्ष का अन्तिम दिनांक होगा।

को प्रस्तुत करेगा।

(8) लेखा–परीक्षा प्रतिवेदनों के अनुपालन की एक यथाविधि प्रमाणीकृत प्रतिलिपि जिसमें समिति के अधिकारियों द्वारा की गयी कार्यवाही का और प्रत्येक प्रश्न पर समिति की टीका तथा निर्णय का उल्लेख होगा, लेखा–परीक्षा प्रतिवेदन की प्राप्ति के दिनांक से 90 दिन के भीतर स्थानीय विधि परीक्षक तथा निदेशक को भेजी जाएगी।

करने वाली लेखा परीक्षा टिप्पणी होगी। महालेखा परीक्षक एवं नियंत्रक का परीक्षक/लेखा परीक्षक उक्त प्रतिवेदनों की प्रत्येक की एक प्रति, मण्डी समिति तथा निदेशक को उपलब्ध करायेगा।

(8) समिति के अधिकारियों द्वारा कृत कार्यवाही को दर्शाने वाले लेखा परीक्षक, प्रतिवेदन का सम्यक रूप में अधिप्रमाणित अनुपालन और प्रत्येक बिन्दु पर समिति की टिप्पणियां एवं विनिश्चय, महालेखा परीक्षक तथा नियंत्रक के परीक्षक/लेखा–परीक्षक को तथा निदेशक को लेखा–परीक्षा प्रतिवेदन प्राप्ति के दिनांक के नब्बे दिनों के भीतर प्रेषित किये जायेंगे।

नियम 137 का संशोधन

9. उक्त नियमावली में, नियम 137 में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये, उप नियम (1) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया उप नियम रख दिया जायेगा, अर्थात–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
137–(1) ऐसी नई प्रसंस्करण इकाई, जिसके संयंत्र और मशीनरी की लागत पाँच करोड़ या उससे अधिक हो, मण्डी शुल्क से छूट या उसमें कमी के लिए विहित प्रपत्र सोलह में यथाविनिर्दिष्ट दस्तावेजों और संलग्नकों तथा प्रसंस्करण शुल्क के रूप में सम्बन्धित मण्डी समिति के पक्ष में रू0 20,000 के बैंक ड्राफ्ट के साथ मण्डलायुक्त के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर सकती है। आवेदन–पत्र प्राप्त होने के सात दिनों के भीतर मण्डलायुक्त उक्त आवेदन–पत्र को सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी को आख्या हेतु अग्रसारित कर देगा।	137–(1) ऐसी नव स्थापित कृषि प्रसंस्करण इकाई, जिसके संयंत्र और मशीनरी की लागत, पाँच करोड़ या उससे अधिक हो, मण्डी शुल्क से छूट या उसमें कमी के लिए विहित प्रपत्र सोलह में यथाविनिर्दिष्ट समस्त सुसंगत दस्तावेजों और संलग्नकों तथा प्रसंस्करण शुल्क के रूप में सम्बन्धित मण्डी समिति के सचिव के पक्ष में 20,000 रूपये के बैंक ड्राफ्ट के साथ सम्बन्धित मण्डलायुक्त को आवेदन कर सकती है। आवेदन–पत्र प्राप्त होने के सात दिनों के भीतर मण्डलायुक्त उक्त आवेदन–पत्र को सम्बन्धित जिले के जिला मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट हेतु अग्रसारित कर देगा। प्रतिबन्ध यह है कि नव स्थापित प्रसंस्करण इकाई, जो मण्डी शुल्क से छूट अथवा कमी की इच्छुक हो, अपनी स्थापना के दिनांक से 06 माह

के भीतर आवेदन करेगी।

प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त मण्डी शुल्क से छूट, प्लांट और मशीनरी की लागत से अधिक नहीं होगी।

प्रपत्र एक, दो, तीन, चार और चार-क का निकाला जाना

10. उक्त नियमावली में, प्रपत्र संख्या –एक, दो, तीन, चार और चार-क निकाल दिये जायेंगे।

नियमावली में नये प्रपत्रों का बढ़ाया जाना

11. उक्त नियमावली में, प्रपत्र 10 के पश्चात् निम्नलिखित प्रपत्र बढ़ा दिये जायेंगे:–

प्रपत्र–दस–क
(नियम 5(1)(च))

क्रम सं.	कृषक का नाम	पिता का नाम	पूरा पता	उत्तर प्रदेश में उसके द्वारा धारित कुल भूमि का क्षेत्रफल	विगत तीन कृषि वर्षों में प्रपत्र–6 पर विक्रीत संचयी मूल्य			
					वर्ष	वर्ष	वर्ष	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9

प्रपत्र–दस–ख
(नियम 5(1)(छ))

क्रम सं.	व्यापारी का नाम	पिता का नाम	पूरा पता	विगत तीन कृषि वर्षों में मण्डी शुल्क का संचयी मूल्य			
				वर्ष	वर्ष	वर्ष	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8

प्रपत्र–दस–ग
(नियम 5(1)(ज))

क्रम सं.	आढतिया का नाम	पिता का नाम	पूरा पता	विगत तीन कृषि वर्षों में मण्डी शुल्क का संचयी मूल्य			
				वर्ष	वर्ष	वर्ष	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8

संख्याः–07/2019/2485(1)/80–1–2018तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को उपरोक्त अधिसूचना की अंग्रेजी अनुवाद की प्रति सहित दिनांक 07 फरवरी, 2019 असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट के भाग–4 के खण्ड में प्रकाशनार्थ। कृपया अधिसूचना की 50 प्रतियाँ शासन को भेजने का कष्ट करें।

2– समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

3– समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

4– निदेशक, मण्डी परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

5– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(समर बहादुर)
अनु सचिव

राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उत्तर प्रदेश

किसान मण्डी भवन, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ
दूरभाषः 0522–2720383, 384, 405, 137, 138, 139 फैक्स –0522–2720056

पत्रांक– विप0–2/(पी0पी0पी0–199)/2019–1836 दिनांक 01/8/2019

उपनिदेशक(प्रशा0/विप0)
मण्डी परिषद, इलाहाबाद, गोरखपुर, कानपुर,
मुरादाबाद, वाराणसी, लखनऊ, झाँसी एवं सहारनपुर।

विषयः **प्रदेश के मण्डी स्थलों में पी0पी0पी0 माडल पर कृषि उत्पाद प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना के सम्बन्ध में।**

कृपया उपर्युक्त विषयक परिषद पत्रांक–विप0–2/(पी0पी0पी0199)/2018–1555 दिनांक 08.01.2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मा0 परिषद के संचालक मण्डल एवं शासन के पत्र संख्या–2542/80–1–2018–600(15)/2010 दिनांक 13 दिसम्बर, 2018 द्वारा प्राप्त स्वीकृति के कम में प्रदेश में कृषि उत्पाद प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना हेतु 11 बिन्दुओं की नीति निर्धारित करते हुए आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिये गये थे।

उक्त सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उक्त योजना को अधिक लोकोपयोगी बनाये जाने के लिये शासन द्वारा निर्देशित 11 शर्तों के साथ 12वीं शर्त सम्मिलित करने हेतु शासन को प्रेषित किये जाने हेतु मा0 संचालक मण्डल की 156वीं बैठक दिनांक 07.03.2019 के मद संख्या–10 पर प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था जिसे मा0 संचालक मण्डल द्वारा अनुमोदित किया गया। इस सम्बन्ध में शासन के पत्र संख्या–813/80–1–2019–600(15)/2010 दिनांक 22 जुलाई, 2019 (प्रति संलग्न) द्वारा पी0पी0पी0माडल पर निर्दिष्ट कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण के लिए प्रसंस्करण इकाई लगाये जाने के विषय में शासनादेश दिनांक 13 दिसम्बर, 2018 द्वारा निर्गत नीति के साथ उक्त संशोधित प्राविधानों को सम्मिलित किये जाने पर शासन द्वारा सहमति प्रदान की गयी है।

उक्त सम्बन्ध में मा0 संचालक मण्डल एवं शासन द्वारा लिये गये निर्णय कम में निर्धारित नीति निम्न प्रकार से उल्लिखित की गयी है :–

1. नई खाद्य प्रसंस्करण नीति एवं नई औद्योगिक नीति के अन्तर्गत समाचार पत्रों के माध्यम से विज्ञापन प्रकाशित करते हुए प्राप्त आवेदन पत्रों का निस्तारण सिंगल विण्डों सिस्टम से किया जायेगा।
2. विहित समय सीमा के अर्न्तगत प्राप्त, पात्र आवेदनों पर, प्रथम आगत प्रथम प्रावत (First Come & First Serve) का सिद्वान्त लागू होगा।
3. आवेदक की पात्रता, राज्य स्तरीय इम्पावर्ड समिति/औद्योगिक विकास आयुक्त/प्रमुख सचिव, कृषि विपणन की समिति द्वारा सुनिश्चित की जायेंगी।
4. कृषि प्रसंस्करण इकाई की स्थापना के लिए मण्डी समिति की भूमि के उपयोग का अधिकार प्राप्त होनें के एक वर्ष के अन्दर यदि फर्म द्वारा उत्पादन प्रारम्भ नही किया जाता है तो ऐसी दशा में भूमि मण्डी समिति को स्वतः वापस प्राप्त हो जायेगी, जिसका मण्डी समिति द्वारा पुनः उपयोग किया जा सकेगा और फर्म को कोई भी क्षतिपूर्ति देय नहीं होगीं।
5. भूमि के उपयोग का अधिकार देने के लिए मण्डी समिति और कृषि प्रसंस्करण इकाई के मध्य आपसी समझौता (M.O.U.) की शर्तो में यह उल्लेख किया जायेगा कि यदि फर्म द्वारा निर्धारित अवधि (30 वर्ष) में कभी भी तीन माह या अधिक माह उत्पादन बाधित किया जाता है अथवा ऐसा प्रतीत होता है कि फर्म द्वारा उत्पादन/कार्य सम्पादन में रूचि नहीं ली जा रही है या जानबूझकर उत्पादन बन्द किया गया है या कम उत्पादन किया जा रहा है, तो ऐसी दशा में निदेशक, मण्डी परिषद द्वारा फर्म के विरूद्व कार्यवाही की जा सकती है।
6. कृषि प्रसंस्करण इकाई की स्थापना के लिए मण्डी समिति की भूमि के उपयोग का अधिकार दिये जाने के बाद भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई ऋण प्रभावी नही होगा। उक्त भूमि

पर किसी भी प्रकार का भार स्वीकार नहीं होगा। भूमि को बन्धक या गिरवी नही रखा जा सकेगा।

7. परियोजना की अवधि (30 वर्ष) के उपरान्त भूमि मण्डी समिति को स्वतः प्राप्त हो जायेगी तथा आपसी समझौता (M.O.U.) निष्प्रभावी हो जायेगी।

8. फर्म को भूमि का उपयोग का अधिकार दिये जाने बाद भूमि का उपयोग निर्धारित प्रयोजन से भिन्न उपयोग में नहीं किया जा सकेगा। भूमि की सतह से अनावश्यक छेड़–छाड़ नही की जायेगी।

9. कृषि प्रसंस्करण ईकाईयों में प्रयुक्त होने वाला निर्दिष्ट कृषि उत्पाद का 80 प्रतिशत भाग सीधे किसानों से क्रय किया जायेगा।

10. भूमि अन्तरण तथा प्रसंस्करण इकाई के चयन का अन्तिम निर्णय मण्डी परिषद के मा0 संचालक मण्डल द्वारा अनुमोदित किया जायेगा।

11. कृषि प्रसंस्करण इकाई की स्थापना हेतु समझौता ज्ञापन के आधार पर उपयोग में लायी जाने वाली मण्डी समिति की भूमि (अधिकतम 2.5 एकड़ की सीमा तक) का किराया समझौता ज्ञापन वर्ष में जिलाधिकारी द्वारा घोषित वाणिज्यिक सर्किल रेट के डेढ़ गुना से आगणित तथा 30 वर्षो में वार्षिक रूप से विभाजित धनराशि के तुल्य होगा।

12. बैंक द्वारा स्वीकृत डी0पी0आर0 (Detail Project Report) का 10 प्रतिशत अधिकतम रू0 1.50 करोड़ तक मण्डी समिति का अंशदान होगा। अंशदान की आधी धनराशि उद्योग के आधे निर्माण पर शेष का भुगतान उत्पादन आरम्भ करने पर निर्गत किया जायेगा।

प्रदेश के मण्डी स्थलों में पी0पी0पी0 मांडल पर कृषि उत्पाद प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना किये जाने हेतु मण्डी समितियों के नाम

कमांक	संभाग का नाम	मण्डी समिति का नाम	फल एवं सब्जी/खाद्यान्न
1.	इलाहाबाद	प्रतापगढ़	ऑवला
2.	गोरखपुर	सहजनवॉ (गोरखपुर)	राइपनिंग चैम्बर/कोल्ड स्टोरेज
3.	कानपुर	कानपुर (चकरपुर)	हरी मिर्च–फल–सब्जी कोल्ड स्टोरेज एवं राइपनिंग चैम्बर
4.	कानपुर	फर्रूखाबाद	आलू
5.	मुरादाबाद	बिलासपुर	धान/गेहूँ
6.	वाराणसी	वाराणसी	हरी मिर्च
7.	लखनऊ	लखनऊ, मलिहाबाद/दुबग्गा	आम
8.	झॉसी	झॉसी	दलहन/तिलहन/गेहूँ प्रसंस्करण
9.	झॉसी	कोंच	दलहन/तिलहन/हरी मटर प्रसंस्करण
10.	सहारनपुर	खतौली	गुड़ खाद्यान्न

अतः पी0पी0पी0माडल पर निर्दिष्ट कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण के लिए अधिक से अधिक प्रसंस्करण इकाई लगाये जाने हेतु इच्छुक व्यक्तियों को प्रेरित करने की कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक–यथोपरि।

01.03.19

(जितेन्द्र प्रताप सिंह)
निदेशक

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि–सचिव, कृषि उत्पादन मण्डी समिति, प्रतापगढ़, सहजनवॉ(गोरखपुर), कानपुर(चकरपुर), फर्रूखाबाद, बिलासपुर, वाराणसी, लखनऊ(मलिहाबाद/दुबग्गा), झॉसी, कोंच एवं खतौली को इस निर्देश के साथ कि उक्त सम्बन्ध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

01.03.19

निदेशक